जून 2022

भानुपल्ली बिलासपुर बैरी नवीन ब्राड गेज रेलवे लाइन के लिए बिलासपुर ज़िले में भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वव्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक प्रभाव आंकलन और सहमति) नियम-2015 के तहत

अंतिम रिपोर्ट

(कार्यकारी सारांश व मुख्य रिपोर्ट)

प्लान फाउंडेशन (सामाजिक प्रभाव आंकलन पार्टनर एवं प्रैक्टिशनर)

ब्रॉडवे एन्क्लेव, संजौली, शिमला (हि.पी.)-171006 Phn: 0177-2841204, , www.planfoundation.org

द्वारा

हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई को प्रस्तुत

हिपा फेयर लॉन शिमला (हि.प्र.)-.171012

तालिका सूची

1 विस्तृत परियोजना ब्यौरा 20

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमी 20

1.1.1 अंतर राज्य/अंतर्राष्ट्रीय पहलू 20

1.1.2 डेवलपर /विकासकर्ता की पृष्ठभूमि 21

1.2 परियोजना का मूल आधार 22

1.3 परियोजना विवरण 23

1.3.1 परियोजना का आकार 23

1.4 अनुकल्पों की परीक्षा 27

1.5 लागू किये गए विधान और नीतियां 28

1.5.1 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की तैयारी 28

1.5.2 भूमि अर्जन की प्रक्रिया 28

1.5.3 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 29

1.5.4 हिमाचल प्रदेश **RTFCTLARR** नियम 2015 30

1.5.4.1 *SIA* 31

2 दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली एवं सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची 34

2.1 दल विवरण 34

2.2 प्रयुक्त पद्धति और उपकरण का विवरण व औचित्य 36

2.2.1 लक्ष्य 36

2.2.2 उदेश्य 36

2.2.3 दृष्टिकोण और पद्धति 36

2.2.4 पद्धति का औचित्य 39

2.3 सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सूचना संग्रहण करने के लिए संसाधन 40

2.4 नमूना प्रणाली का उपयोग 43

2.5 सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यवलोकन 43

2.6 प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाई के संक्षिप्त विचरण की अनुसूची 52

3 भूमी निर्धारण 61

3.1 भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी 62

3.2 परियोजना के प्रभावों के आधीन पूर्ण प्रभावित क्षेत्र 65

3.3 परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 65

3.4 परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावित पहले से ही खरीदी गई भूमि, अलग-अलग, लीज़ /अर्जित और प्रत्येक भूखंड के लिए प्रस्तावित उपयोग 66

3.5 परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान 67

3.6 भूमि का वर्तमान उपयोग ,प्रकृति और वर्गीकरण 68

3.6.1 सिंचाई क्रम 68

3.7 जोत / भूमी का आकार, स्वामित्व पैटर्न 69

3.8 भूमि वितरण और आवासीय मकानों की संख्या 71

3.8.1 सम्पति नुक्सान की किस्मे 72

3.9 भूमि की कीमतें और हाल ही में स्वामित्व और हस्तांतरण में परिवर्तन 73

4 प्रभावित परिवारों और आस्तियों का अनुमान और गणना 76

4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति 76

4.2 किराएदार / क़ब्ज़ाधारी 77

4.2.1 जनजाति और पारंपरिक वन निवासी 77

4.2.2 सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता 77

4.2.3 राज्य सरकार द्वारा दी गई भूमि 78

4.2.4 आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता 78

4.3 उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की सूची 78

5 सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल 81

5.1 परियोजना गांवों में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण 81

5.1.1 परियोजना प्रभावित लोगों का जनसांख्यिकीय विवरण....82

लिंग अनुपात....83

5.1.2 सामाजिक समूह....84

5.1.3 साक्षरता....84

5.2 आर्थिक प्रोफ़ाइल....86

5.3 आय और गरीबी स्तर....87

5.4 दुर्बल समूह....87

32....88

5.5 भूमि उपयोग और आजीविका....89

5.6 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ....90

5.7 ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं....91

5.8 रिश्तेदारी पद्धति....92

5.9 प्रशासनिक, राजनीतिक और नागरिक सामाजिक संगठन....93

5.9.1 प्रशासनिक/राजकीय विभाग/संगठन....93

5.9.2 राजनैतिक संगठन....93

5.9.3 समुदाय आधारित और नागरिक समाज संगठन....93

5.9.4 मंदिर कमेटी....93

5.9.5 परियोजना क्षेत्र में मुख्य उद्योग....94

5.9.6 पंचायतवार प्रशासनिक एवं अन्य संस्थाओं तक पहुंच....94

5.10 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं....97

5.11 जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता....97

6 सामाजिक प्रभाव....99

6.1 प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण....99

6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण....105

6.3 प्रभाव क्षेत्रों की सांकेतिक सूची 108
6.3.1 भूमि मालिको पर प्रभाव 109
6.3.2 आजीविका और आय पर प्रभाव 109
6.3.3 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव 110
6.3.4 जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रभाव 112
6.3.5 सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव 112
6.3.6 स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव 113
6.3.7 लिंग आधारित प्रभाव 113
6.4 PAPs द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान 114
6.5 भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन के बारे में जागरूकता 116
6.6 परियोजना के लिए सहमति 117
6.7 प्रतिकर वरीयताएँ 117
6.8 प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग 118
7 अर्जन पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण 119
7.1 लोक प्रयोजन का आकलन 119
7.2 कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 120
7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता 120
7.4 सुझाये गये शमन उपाय की व्यवहार्यता 122
7.4.1 अंतिम सिफारिश 124
8 सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना 125
8.1 समाघात में कमी करने पर दृष्टीकोण 125
8.2 समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय 125
8.2.1 सामाजिक उपाय 125
8.2.2 पुनर्वास व् पुनार्व्यवस्थापन के उपाय 125

8.2.3 पर्यावरणीय उपाय 126

8.2.3 अन्य उपाय.....126

8.3 *R&R* में शामिल उपाय और अधिनियम 2013 के अनुरूप मुआवज़ा 128

8.3.1 SIMP कार्यान्वयन का व्यय.....131

8.4 आवश्यक निकाय द्वारा दिए गए उपाय 135

8.5 पुनर्वास और पुनाव्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था 135

8.5.1 शिकायत निवारण समिति)G.R.C(.....136

8.5.2 शिकायत निवारण के चरण 137

9 निष्कर्ष और सिफ़ारिश 141

.2.....147

10 सन्दर्भ.....147

11 अनुलग्नक 148

लघुरूप

BPL (बीपीएल)	गरीबी रेखा से नीचे
BJP (भाजपा)	भारतीय जनता पार्टी
AAP (आप)	आम आदमी पार्टी
CA (सीए)	चार्टर्ड एकाउंटेंट
CHC (सीएचसी)	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
CPRs (सीपीआर)	समुदायिक संपत्ति संसाधन
CS (सीएस)	कम्पनी सचिव
Dept (डिपार्टमेंट)	विभाग
EIA (ईआईए)	पर्यावरण प्रभाव आकलन
FC (एफ़सी)	वित्तीय शुल्क
FGD (एफ़जीडी)	समूह केंद्रित चर्चा
Govt (गवर्न्मेंट)	सरकार
GP (जीपी)	ग्राम पंचायत
GSI (जीएसआई)	भारतीय भू सर्वेक्षण
H.P RTFCTLARR Rules	हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015
SIAU (एसआईएयू)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
HR (एचआर)	मानव संसाधन
IDC (आईडीसी)	निर्माण के दोरान ब्याज
JJM (जेजेएम)	जल शक्ति विभाग
LADF (एलएडीएफ़)	स्थानीय क्षेत्र विकास निधि
NGO (NGO)	गैर सरकारी संगठन
NHM (एनएचएम)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
OBC (ओबीसी)	अन्य पिछड़ी जातियां
PAFs (पीएएफ़)	परियोजना प्रभावित परिवार
PAPs (पीएपी)	परियोजना विस्थापित व्यक्ति
PDFs (पीडीएफ़)	परियोजना विस्थापित परिवार
PHC (पीएचसी)	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
PMAY(पीएमएवाय)	प्रधानमंत्री आवास योजना
PWD (पीडबल्यूडी)	लोक निर्माण विभाग
RTFCTLARR Act	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
R&R (आर &आर)	पुनर्वास और पुनार्व्यिस्थापन

SC (एससी)	अनुसूचित जाति
SIA (एसआईए)	सामाजिक समाघात निर्धारण
SIMP (एसआईएमपी)	सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
MGNREGA (मनरेगा)	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम
ST (एसटी)	अनुसूचित जनजाति

शब्दावली

- **अधिनियम** का अर्थ है: भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30)।

- **प्रशासक** का अर्थ है, अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन के उद्देश्य से नियुक्त एक अधिकारी।

- **प्रभावित क्षेत्र** का मतलब ऐसे क्षेत्र से है, जिन्हें भूमि अर्जन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

- **प्रभावित परिवार में शामिल हैं:**
  - i. एक परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति का अर्जन किया गया है।
  - ii. ऐसा परिवार जिसके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे परिवार के सदस्य (सदस्य) शायद खेतिहर मजदूर, किरायेदारों के किसी भी रूप में या सूदखोरी का अधिकार रखने वाले, कारीगरों के प्रति शेयर-फसल या जो प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हों, तीन वर्ष, भूमि के अर्जन से पहले, जिसका आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित होता है।
  - iii. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2 का 2007) के तहत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है।
  - iv. परिवार जिसका अर्जन से पहले तीन वर्षों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत जंगलों या जल निकायों पर निर्भर है और इसमें वन उपज, शिकारी, मछुआरे और नाविक शामिल हैं और भूमि के अर्जन के कारण ऐसी आजीविका प्रभावित होती है।
  - v. परिवार का कोई सदस्य जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अपनी किसी भी योजना के तहत जमीन सौंपी हो और ऐसी जमीन अर्जन के तहत हो।
  - vi. शहरी क्षेत्रों में किसी भी भूमि पर रहने वाले परिवार को भूमि के अर्जन से पहले तीन साल या उससे अधिक समय के लिए रहने की अनुमति या भूमि के अर्जन से पहले तीन साल तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित होता है।
- **कृषि भूमि** का अर्थ है:

i. कृषि या बागवानी।
ii. डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पिसी कल्चर, सेरीकल्चर, beej फार्मिंग, मवेशी नस्ल सुधार या नर्सरी उगाने वाली औषधीय जड़ी-बूटियाँ।
iii. फसलों, पेड़ों, घास या बगीचे की उपज का उत्पादन; तथा
iv. पशुओं के चरने के लिए प्रयुक्त भूमि।

❖ **गरीबी रेखा से नीचे या** BPL **परिवार** भारत के योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे गिरने वाले परिवारों को संदर्भित करता है, साथ ही समय-समय पर हिमाचल प्रदेश की **BPL** सूची में शामिल लोगों को भी शामिल करता है।

❖ **केंद्र सरकार** भारत सरकार को संदर्भित करती है।

❖ **कलेक्टर** का अर्थ एक राजस्व जिले का कलेक्टर होता है, और इसमें एक डिप्टी कमिश्नर और विशेष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा नामित कोई भी अधिकारी शामिल होता है, जो अधिनियम 2013 के तहत कलेक्टर के कार्य करता है।

❖ **आयुक्त** का मतलब अधिनियम 2013 की धारा 44 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त पुनर्वास और पुनर्वास के लिए आयुक्त से है।

❖ **प्रतिकर** अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली राशि को संदर्भित करता है, निजी संपत्ति, संरचनाओं और परियोजना के लिए अर्जित अन्य संपत्तियों के लिए, जिनमें पुनर्वास और पुनर्वास अधिकार शामिल हैं।

❖ **अर्जन की लागत में शामिल हैं:**

i. प्रतिकर की राशि, जिसमें इतना सोलाशियम शामिल है, भूमि अर्जन और पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित किसी भी बढ़ाया प्रतिकर और इस तरह या अदालत द्वारा प्रभावित परिवारों को देय के रूप में निर्धारित किसी भी अन्य राशि पर दिया ब्याज।
ii. अर्जन की प्रक्रिया में भूमि और खड़ी फसलों को नुकसान लागत के लिए भुगतान किए जाने की मांग।
iii. विस्थापित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों के निपटान के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत।

iv. पुनर्वास क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास की लागत।

v. एक्ट 2013 के अंतर्गत पुनर्वास व् पुनाव्स्थापन के खर्चों के प्रावधान।

vi. प्रशासनिक लागत:

क) भूमि अर्जन के लिए, परियोजना स्थल और परियोजना क्षेत्र की भूमि से बाहर दोनों सहित, प्रतिकर की लागत के ऐसे प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

ख) मालिक के पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन के लिए इसलिए भूमि और अन्य प्रभावित परिवार जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किया जाना प्रस्तावित है या ऐसे अर्जन से प्रभावित अन्य परिवार हैं।

vii. SIA स्टडी लेने के तहत लागत।

- **विस्थापित परिवार** का मतलब किसी भी परिवार से है, जो जमीन के अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से हटाकर पुनर्वास क्षेत्र में बसाया जाना है।
- **परिवार** में एक व्यक्ति, उसके पति या पत्नी, नाबालिक बच्चे, नाबालिक भाई और उस पर निर्भर नाबालिक बहनें शामिल हैं:
  बशर्ते परिवारों द्वारा निर्जन विधवाओं, तलाकशुदा और महिलाओं को अलग परिवार माना जाएगा।
- **भूमि** में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ शामिल हैं, और पृथ्वी से जुड़ी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए उपवास किया गया है।
- **भूमि अर्जन** का मतलब भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के तहत भूमि का अर्जन है।
- **भूमिहीन** का अर्थ है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो हो सकते हैं:
  लागू होने के समय के लिए किसी भी राज्य कानून के तहत माना या निर्दिष्ट; या भूमिहीन के एक मामले में खंड (**i**) के तहत निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- **भूमि स्वामी** में कोई भी व्यक्ति शामिल है-

(i) जिसका नाम दर्ज किया गया है वह संबंधित प्राधिकारी के रिकॉर्ड में भूमि या भवन का मालिक है या वहां का हिस्सा है; या

(ii) कोई भी व्यक्ति जिसे अनुसूचित अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 की अधिनियम संख्या 2) या किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार प्रदान किया जाता है; या

(iii) राज्य के किसी भी कानून के तहत भूमि पर पट्टा अधिकार दिए जाने का हकदार कौन है, जिसमें निर्दिष्ट भूमि या शामिल हैं

(iv) कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के आदेश के अनुसार घोषित किया गया हो;

- **सीमांत किसान** का अर्थ है, एक हेक्टेयर से सिंचित भूमि या एक हेक्टेयर तक सिंचित भूमि के साथ एक किसान।
- **बाजार मूल्य** का अर्थ है धारा 26 क के अनुसार भूमि निर्धारण का मूल्य अधिनियम 2013।
- **अधिसूचना** का अर्थ है भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना या, जैसा कि मामला हो सकता है, एक राज्य का राजपत्र और अभिव्यक्ति "अधिसूचित" तदनुसार निर्धारित की जाएगी।
- **परियोजना** का अर्थ है भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन ।
- **लोक प्रयोजन** का अर्थ है, धारा 2 एक्ट 2013 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट गतिविधियाँ।
- **पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन (R & R)** का अर्थ है RFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन।
- अपेक्षित निकाय का मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) लिमिटेड है।
- **अनुसूचित क्षेत्र** का अर्थ अनुसूचित क्षेत्रों से है जैसा कि पंचायतों के प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम**,** 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों 2 में परिभाषित किया गया है।
- **छोटे किसान** का अर्थ है**,** दो हेक्टेयर तक की नन-सिंचित भूमि के साथ या एक हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि के साथ एक किसान**,** लेकिन सीमांत किसान की जोत से अधिक।
- **सामाजिक समाघात निर्धारण** का मतलब अधिनियम की धारा 4 के उपधारा (1) के तहत किया गया मूल्यांकन है।
- **सामाजिक समाघात प्रबंध योजना** का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार की गई योजना।
- **राज्य सरकार या** "**सरकार**" का अर्थ है हिमाचल प्रदेश सरकार

- **किरायेदार** वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास भूमि के अर्जन से पहले तीन साल के लिए बोनाफाइड टेनेंसी समझौते होते हैं, एक संपत्ति के मालिक के पास स्पष्ट संपत्ति खिताब के साथ, निवास, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए एक संरचना या भूमि पर कब्जा करने के लिए।
- **दुर्बल समूहों** में अलग-अलग लोगों जैसे कि एक धब्बा, विधवा, और महिलाओं के नेतृत्व वाले घर, साठ साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य समूह शामिल हैं, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- **महिला मुखिया सदन की पकड़** का मतलब है कि एक महिला के नेतृत्व वाला परिवार और पुरुष कमाने वाला सदस्य नहीं है। यह महिला एक विधवा, अलग या निर्जन महिला हो सकती है।

कार्यकारी सार

परियोजना और लोक प्रयोजन

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जाने वाली भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन लाइनों में से एक होगी। यह इस परियोजना की विशिष्टता को दर्शाता है। यह आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा और बेहतर बुनियादी ढांचे, पर्यटन विकास और रेल संपर्क को भी बढ़ावा देगा। यह परियोजना लंबे समय में स्थानीय निवासियों और आसपास के क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। साथ ही, यह परियोजना आने वाले भविष्य में रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसके महत्व और राष्ट्रीय हित के लिए भी महत्वपूर्ण है।

यह आगे स्थापित किया जा सकता है कि निजी भूमि का अधिग्रहण करके और इस तरह परियोजना के निर्माण को पूरा करके एक सार्वजनिक उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। यदि परियोजना पूरी हो जाती है, तो यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और यात्रियों को सुगम, तेज और सुरक्षित आवागमन और परिवहन सेवाएं प्रदान करेगी। यदि परियोजना में देरी होती है, तो इससे परियोजना की कुल लागत में वृद्धि होगी, जिसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश सरकार और इसके निवासियों दोनों पर पड़ेगा। यदि परियोजना को रोक दिया जाता है, तो इससे न केवल धन की हानि होगी, बल्कि परियोजना पर अब तक खर्च किए गए संपूर्ण जनशक्ति और संसाधनों की भी बर्बादी होगी। इसलिए, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की सामाजिक लागत और लाभों का आकलन यह मानकर किया गया है कि परियोजना के स्थान या अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा।

आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 उप-धारा 1 (बी) के अनुसार भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की परिभाषा के तहत उचित है।

स्थान /अवस्तिथि

प्रस्तावित रेलवे लाइन (तीसरा चरण) 11 किमी की दूरी को कवर करती है जो जिला बिलासपुर में निम्न 6 पंचायतों (10 गांवों) से होकर गुजरती है:

नोग

कुडी

निचली भटेर

बैरी राजदियाँ

बरमाना

नाओनी

भूमि अर्जन का आकार और विशेषता

चरण 3 के लिए 50.56 हेक्टेयर की आवश्यकता है। उक्त भूमि में 40.54 हेक्टेयर निजी भूमि और 10.02 सरकारी भूमि शामिल है। वर्तमान में 40.54 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिस भूमि को अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है, बिलासपुर जिले की सदर तहसील के 10 गांवों में आती है,

ज़िला	पंचायत	गाँव का नाम	सरकारी/वन भूमि (हैक्ट)	निजी भूमि (हैक्ट)	कुल
बिलासपुर	नोग	नोग कवालु	2.24	4.54	6.78
	कुडी	बैहली बिल्ला	0.98	1.61	2.59
		बैहली झलेड़ा	0.01	0.30	0.31
		भराथु	0.03	1.82	1.85
	निचली भटेड़	बगड़ी	0.29	1.69	1.98
	बैरी राजदयाँ	बैरी राजदयाँ	---	0.03	0.03
	बरमाणा	खतेड	4.58	15.81	20.39
		भटेड़ ऊपरली	0.53	7.84	8.37
		बरमाणा	1.36	6.88	8.24
	नाओनी	मंडी	--	0.02	0.02
कुल			10.02	40.54	50.56

अधिग्रहीत की जा रही कुल 1109 भूमि धारकों/परिवारों की भूमि में से 136 पीएएफ बेघर हो रहे हैं। अधिकांश पीएपी के पास (अधिग्रहण किए जा रहे खसरा के अलावा) अतिरिक्त भूमि है । नोग पंचायत में 2 परिवारों ने प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान बताया है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बाद वे पूरी तरह से भूमिहीन हो जाएंगे। इस प्रस्तावित अधिग्रहण के बाद कुल 238 आवासीय ढांचे का अधिग्रहण किया जा रहा है और 136 परिवार बेघर हो जाएंगे।

अर्जित की जा रही भूमि और PAPs के बारे में अधिक जानकारी के लिए अध्याय 3 और 4 के तहत विस्तार से चर्चा की गई है।

अनुकल्पो पर विचार

संरेखण को अंतिम रूप देने के दौरान, डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम), भूवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपग्रह इमेजरी से उत्पन्न व्याख्याओं को उत्पन्न करने के बाद परियोजना क्षेत्र के भीतर चार संरेखण विकल्पों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इन विकल्पों की समीक्षा के लिए, RVNL ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की और IIT रुड़की को भी शामिल किया। सभी विकल्पों के गुण-दोष का मूल्यांकन किया गया। तदनुसार, निर्माण क्षमता, महत्वपूर्ण स्थानों के लिए उचित कनेक्टिविटी और क्षेत्र में अपेक्षित भविष्य के विकास को देखते हुए वर्तमान संरेखण को मंजूरी दी गई थी।

संरेखण को अंतिम रूप देते समय निम्नलिखित पहलुओं पर भी विचार किया गया है-

1. अधिकतम अनुमेय रूलिंग ग्रेडिएंट का पालन करते हुए जहां भी संभव हो सबसे छोटा मार्ग अपनाया गया है।
2. मौजूदा बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, पुलों, संरचनाओं के साथ बड़े हस्तक्षेप से बचा गया है।
3. जहां तक संभव हो, भूगर्भीय रूप से कमजोर क्षेत्रों को लंबवत रूप से पार कर दिया गया है
4. सुरंग की लंबाई को अनुकूलित करने के लिए पहाड़ी इलाकों में स्थलाकृतिक निम्न बिंदु स्थित हैं।
5. प्रमुख नदी/खाड़ को पार करने और सुरंग पोर्टल के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की पहचान की गयी है
6. यात्री आराम और गति में सुधार, रेल की परिचालन टूट-फूट को कम करना, वक्र की त्रिज्या को बढ़ाकर रखरखाव को कम करना।
7. अनिवार्य बिंदुओं को पहचान कर, क्षेत्र में मौजूदा बुनियादी ढांचे के उपयोग को ध्यान में रखा गया है
8. क्षेत्र में प्राकृतिक भूमि स्थलाकृति और वन के साथ न्यूनतम हस्तक्षेप।
9. संरेखण के साथ सुरंग और कट स्थानों से बड़ी मात्रा में सामग्री की खुदाई की जाएगी। इन उत्खननों से उत्पन्न मलबे को योजनाबद्ध तरीके से निपटाना आवश्यक है ताकि यह कम से कम जगह घेर सके और पर्यावरण के लिए खतरनाक न हो।
10. परियोजना के लिए स्थायी भूमि की आवश्यकता इस प्रकार प्रस्तावित है कि न्यूनतम भूमि चौड़ाई रखी जाए। लाइन के निष्पादन चरण, रखरखाव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल अलाइनमेंट, एप्रोच रोड और मक डंप यार्ड में पड़ने वाली भूमि पर काम किया गया है। रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की सीमा को प्रस्तावित नई लाइन, जैसे पुल, स्टेशन, सुरंग और पोर्टल, कटिंग और

फिलिंग सेक्शन, उनकी संबंधित सुरक्षा के लिए विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक स्थान के आधार पर परिभाषित किया गया है। इन संरचनाओं के लिए कार्य और दृष्टिकोण।

11. पुलों का प्रावधान परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। बिलासपुर बस्ती के घनी आबादी वाले क्षेत्र में गोविंद सागर जलाशय के बाएं किनारे के माध्यम से 2.118 किलोमीटर की कुल लंबाई के वायडक्ट्स के साथ प्रस्तावित की गई है। यह इस तरह से प्रस्तावित किया गया है ताकि अधिकतम संभव सीमा तक बसावट से बचा जा सके।

सामाजिक समाघात

प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका, रोजगार, आय, आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य, कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा।

परियोजना के विवरण और मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का आकलन किया गया है। परियोजना का पीएएफ, स्थानीय आबादी और पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ेगा। एक ओर, यह क्षेत्र के समग्र विकास को, कनेक्टिविटी में सुधार, देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच बढ़ाना, यात्रा के समय को कम करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, प्रवास को कम करना और बेहतर बुनियादी ढांचे में योगदान देना, के द्वारा बढ़ावा देगा । यह परियोजना राज्य और राष्ट्रीय हित में एक सकारात्मक कदम साबित होगी। कुछ पीएएफ अपनी वर्तमान आजीविका गतिविधियों और रहने की स्थिति को खो देते हुए अपनी जमीन खो देंगे, लेकिन यह लाइन अन्य रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी जो उनकी आर्थिक और रहने की स्थिति को बेहतर कर सकती है। व्यक्तिगत और सामुदायिक संपत्ति जैसे सामुदायिक संरचना, सामुदायिक जल संसाधन, वनस्पति आदि का नुकसान निश्चित रूप से उनके वर्तमान सामाजिक आर्थिक वातावरण को प्रभावित करेगा। प्रमुख मुद्दों का सारांश इस प्रकार है;

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से निजी और सार्वजनिक संपत्ति जैसे व्यक्तिगत आवास संरचना, पशु शेड, आंगनवाड़ी, भूतपूर्व सैनिक निगम का कार्यालय, सार्वजनिक शौचालय, पूर्व सैनिक परिवहन संघ कार्यालय, पुलिस थाना संरचना, आदि का भी नुकसान होगा। इसके अलावा सामुदायिक अधिकार और संसाधन जैसे जल स्रोत, जंगल, चरागाह आदि भी प्रभावित होंगे ।

कुल 238 आवासीय ढांचों, 39 व्यावसायिक संरचनाओं, 54 गौशालाओं को निजी संपत्ति के रूप में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। भूमि से जुड़ी अन्य संपत्तियों में 15174 फलदार वृक्ष, 35921 गैर फलदार वृक्षों का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

बुनियादी ढांचे और संपत्ति को हुए नुकसान के विवरण पर अध्याय 4 में चर्चा की गई है। पीएपी के साथ-साथ ग्रामीणों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकल्पों के बारे में चिंता थी और सामान्य संपत्ति संसाधनों के खो जाने से खोई हुई सुविधाओं के अनुपात में सुविधाओं का पुनर्निर्माण/सुधार किया जाएगा। परियोजना अधिकारियों/सरकार द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। परियोजना क्षेत्र में परियोजना गतिविधियों के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए प्राधिकरण।

शमन के उपाय

प्रस्तावित रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता है। परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण लोगों को उनके वर्तमान स्थान से विस्थापित कर देगा जिससे उनकी आजीविका का आधार और व्यवसाय का आधार प्रभावित होगा। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और अन्य महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभावों के परिमाण को कम करने के लिए विस्तृत सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) का प्रस्ताव किया गया है। एसआईए अध्ययन इस सिद्धांत पर आधारित है कि परियोजना से प्रभावित लोगों को उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद की जाएगी। SIMP में प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक अस्थिरता को कम करना शामिल है। यह रेलवे लाइन (चरण 3) के निर्माण के कारण परियोजना प्रभावित परिवारों / गांवों के लिए पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज भी प्रदान करता है। विस्तृत सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP) पर बाद में रिपोर्ट में चर्चा की गई है।

धारणाएं और सीमाएं

यह सामाजिक समाघात अध्ययन महामारी के बाद की स्थिति में आयोजित किया गया था। लेकिन फिर भी लोगों के बीच महामारी के डर ने जनसंचार में बाधा डाली। इसके अलावा इस एस आइ ए अध्ययन की अन्य सीमाएँ भी थीं, जिसके कारण अध्ययन के परिणामों को बढ़ाया नहीं जा सका। विस्तृत अनुमान और सीमाएँ इस प्रकार हैं;

• COVID-19 महामारी के कारण बड़ी सभा या समूह चर्चा नहीं की जा सकी , जिसने सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की क्षमता और परिणामों को सीमित कर दिया।

• प्रभावित आस्तियों की संख्या का अनुमान हमारे प्राथमिक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण अध्ययन पर आधारित है जिसने प्रभावित संरचनाओं और परिसंपत्तियों की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ गणना को प्रभावित किया हो सकता है। निर्मित संरचनाओं की गणना जिला प्रशासन द्वारा की गई है लेकिन आगे पेड़, बागवानी उत्पादों सहित अन्य संपत्तियों की गिनती की जा सकती है।

• निर्माण परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट और डिजाइन योजना की अनुपलब्धता के कारण, हिमाचल प्रदेश में भू-भौतिक स्थितियों को मानते हुए पहाड़ी क्षेत्र में पिछली रेलवे परियोजनाओं के आधार पर पर्यावरणीय प्रभावों का अनुमान लगाया गया है।

सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

विश्लेषण करने पर, परियोजना की सामाजिक लागत और लाभ बड़े पैमाने पर परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक लागतों से स्पष्ट रूप से अधिक हैं। आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के तहत भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पीएपी और पीएएफ को परियोजना से प्रभावित होने वाले नुकसान और असुविधा की उदारतापूर्वक क्षतिपूर्ति की जाती है। अधिनियम न केवल अधिग्रहण की जा रही भूमि के लिए बल्कि उससे जुड़ी संरचनाओं और संपत्तियों के लिए भी क्षतिपूर्ति करता है। इसके अलावा अधिनियम खड़ी फसलों और पेड़ों (फल और गैर-फल वाले दोनों) के लिए क्षतिपूर्ति करता है। विस्थापन के मामले में, अधिनियम निर्वाह के रूप में अतिरिक्त मुआवजा और स्थानांतरण के लिए परिवहन भत्ता प्रदान करता है। आजीविका के नुकसान के लिए, अधिनियम पीएपी को उसकी आजीविका को फिर से स्थापित करने के लिए या तो उसे वैकल्पिक रोजगार स्रोत या एकमुश्त सहायता प्रदान करके क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान करता है।

लागत-लाभ विश्लेषण किसी स्थिति या कार्यों से अपेक्षित संभावित पुरस्कारों का योग करता है और एक परियोजना के संबंध में निर्णय लेने में एक उपयोगी उपकरण है। CBA में, लागत और लाभ दोनों में मौद्रिक और गैर-मौद्रिक तत्व होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हितधारकों के संदर्भ में होते हैं। इस परियोजना की सभी लागतों और लाभों का आर्थिक मूल्यांकन कई सीमाओं के कारण संभव नहीं हो सकता है। कई मामलों में, मूल्यों को आरोपित करना पड़ता है और अनुमान कार्य करना पड़ता है।

इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना का लाभ प्रभावित क्षेत्र, जिले और राज्य के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यदि प्रस्तावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाकर सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतों को कम किया जा सकेगा।

1 विस्तृत परियोजना ब्यौरा

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमी

भानुपल्ली और बिलासपुर के बीच नई ब्रॉड गेज (BG) रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास परियोजना है। प्रस्तावित नई रेल लाइन औद्योगीकरण, पर्यटन, लघु और मध्यम व्यापार उद्यमों और व्यापार को बढ़ावा देकर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदल देगी। यह परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास, खनिज समृद्ध क्षेत्रों और जिला बिलासपुर में सीमेंट संयंत्रों को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ने के साथ-साथ रणनीतिक उद्देश्यों के लिए लेह की ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने के लिए एक प्रवेश द्वार जैसे कई उद्देश्यों की पूर्ति करेगी।

भारत सरकार ने भानुपल्ली (जिला रूपनगर, पंजाब में आनंदपुर साहिब के पास) से बेरी (जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में) तक एक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण की योजना बनाई है। रेल लाइन की कुल लंबाई 63.10 किलोमीटर है। इसमें से 63.10 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर रेलवे लाइन पंजाब से होकर गुजरती है और बाकी लगभग 52 किलोमीटर रेलवे लाइन जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है; जो नामित परियोजना क्षेत्र है। सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) को इस रेलवे लाइन (तीसरे चरण) के निर्माण के लिए जिला बिलासपुर के 10 गांवों में रेलवे लाइन के 11 किमी के खंड के अंतर्गत आने वाले निजी भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मामले के लिए नामित किया गया है। इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कुल निजी भूमि हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में सदर तहसील के 10 गांवों में 538-9-05 बीघा है। भूमि का विवरण और आकार भूमि अधिग्रहण कार्यालय (एलएओ), जिला बिलासपुर से प्राप्त भूमि विवरण के अनुसार है। जिसमें से 538-9-05 की निजी भूमि बिलासपुर जिले की सदर तहसील के 10 गांवों नामतः नोग, बहली बिल्ला, बहली झलेड़ा, भरथू, बगड़ी, बेरी राजदियां, खटेर, भटेर उपरली, बरमाना और मंडी में स्थित है.

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), रेल मंत्रालय को सर्वेक्षण, डिजाइन, योजना और कार्य के निष्पादन का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तर रेलवे के सरहिंद-नंगल बांध खंड के मौजूदा भानुपल्ली स्टेशन (पंजाब) में मौजूदा रेलवे लाइन से प्रस्तावित रेल लिंक शाखाएं। प्रस्तावित रेल लाइन पंजाब राज्य की सीमा को पार करेगी और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित बिलासपुर होते हुए बेरी पहुंचेगी।

1.1.1 अंतर राज्यअंतर्राष्ट्रीय पहलू/

भानुपल्ली (जिला रूपनगर, पंजाब में आनंदपुर साहिब के पास) से बेरी (जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में) तक प्रस्तावित ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। यह लाइन लेह को रेलवे लाइन से जोड़ने के ड्रीम प्रोजेक्ट का

हिस्सा है। चूंकि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण केवल हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसलिए कोई अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय पहलू नहीं पाए गए हैं जो प्रस्तावित प्रक्रिया पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं।

1.1.2 डेवलपर विकासकर्ता /की पृष्ठभूमि

इस परियोजना में काम का यह हिस्सा रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा किया जा रहा है। इसे 2015 में परियोजना को लागू करने के लिए सौंपा गया था। आरवीएनएल रेल मंत्रालय की एक विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करता है और रेल मंत्रालय की ओर से काम करता है। यह परियोजना विकास, संसाधन जुटाने आदि को सीधे या परियोजना विशिष्ट एसपीवी बनाकर या उपयुक्त पाए जाने वाले किसी अन्य वित्तपोषण ढांचे द्वारा एक अम्ब्रेला एसपीवी के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त है। आरवीएनएल के अधिदेश में इक्विटी के मिश्रण के माध्यम से अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाना, और बैंकों, वित्तीय संस्थानों, एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों और पोर्ट और हिंटरलैंड कनेक्टिविटी के लिए परियोजना विशिष्ट एसपीवी के गठन द्वारा पीपीपी के माध्यम से परियोजना निष्पादन के लिए द्विपक्षीय एजेंसियों से ऋण लेना शामिल है। आरवीएनएल फास्ट ट्रैक पर रेल बुनियादी ढांचे की क्षमता के निर्माण और वृद्धि से संबंधित व्यवसाय में प्रवेश कर सकता है और उसे आगे बढ़ा सकता है। तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण के साथ, जिसके आधार पर आरवीएनएल को 24 जनवरी, 2003 को पीएसयू के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी ने निदेशक मंडल की नियुक्ति के साथ 2005 में अपना संचालन शुरू किया। कंपनी को सितंबर 2013 में मिनीरत्न का दर्जा दिया गया था।

आरवीएनएल में विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां (पीआईयू), संयुक्त उद्यम (जेवी) और विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) शामिल हैं। जिन परियोजनाओं का नेतृत्व आरवीएनएल पर होता है और पूरी तरह से आरवीएनएल पर निर्भर होते हैं, उन्हें मुख्य परियोजना प्रबंधक (सीपीएम) की अध्यक्षता में पीआईयू के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के जनादेश के तहत परियोजना विकास, वित्तीय संसाधनों को जुटाने और लागू करने के लिए लागू किया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज को मजबूत करने और विभिन्न बंदरगाहों से बेहतर कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं, संयुक्त उद्यमों (जेवी) के रूप में छह विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया गया है।

आरवीएनएल की विशिष्ट भूमिका और कार्य इस प्रकार हैं;

• परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना। इस प्रयोजन के लिए, आरवीएनएल को संपर्क करने के लिए अधिकृत किया गया है

वित्तीय संस्थान, बैंक, घरेलू बाजार और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियां

- परियोजना का विकास करना और कार्यों का निष्पादन करना
- व्यक्तिगत कार्यों के लिए परियोजना विशिष्ट एसपीवी बनाना, यदि आवश्यक हो
- जहां भी आवश्यक और व्यवहार्य समझे, परियोजनाओं का व्यावसायीकरण
- आरवीएनएल द्वारा एक रेलवे परियोजना के पूरा होने पर, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे

एक विशिष्ट वित्तीय व्यवस्था के तहत अपना संचालन और रखरखाव करना

- आरवीएनएल को एक राजस्व स्रोत प्रदान करने के लिए, परियोजनाओं को आरवीएनएल द्वारा बीओटी अवधारणा, जहां रेल मंत्रालय को एक्सेस चार्ज/यूजर चार्ज का भुगतान करना है, पर किया जा सकता है

1.2 परियोजना का मूल आधार

प्रस्तावित नई ब्रॉड-गेज रेल लाइन क्षेत्रीय विकास, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी के साथ-साथ रणनीतिक उद्देश्यों के लिए लेह की ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने के लिए प्रवेश द्वार जैसे कई उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। इस रेल परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को ब्रॉड गेज ट्रेन कनेक्टिविटी प्रदान करना है। स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग पर हाल ही में राज्य के लिए कुछ ब्राड गेज रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी. भनोपाली-बिलासपुर-बेरी रेल परियोजना उन स्वीकृत परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के पूरा होने पर बिलासपुर, बेरी और इस लाइन के साथ अन्य क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों में रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे जो स्थानीय लोगों और स्थानीय लघु उद्योगों की जरूरतों को भी पूरा करेगा जो उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे। आम जनता के अलावा, बरमाना में सीमेंट फैक्ट्री, बिलासपुर, बेरी और सुंदरनगर के आसपास सब्जियों और फूलों की खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ कुल्लू घाटी के सेब के बागवान इस रेल परियोजना के विशेष लाभार्थी होंगे क्योंकि सड़क परिवहन पर उनकी निर्भरता उनके विपणन के लिए है। उत्पादन उत्पादों में काफी गिरावट आएगी।

यह परियोजना औद्योगीकरण, पर्यटन, लघु और मध्यम व्यापार उद्यमों और व्यापार को बढ़ावा देकर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने की संभावना है। भविष्य में, इस क्षेत्र में देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा बलों की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे लाइन को लेह तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस स्थान पर परिवहन के तेज़ और हर मौसम में विश्वसनीय साधन की आवश्यकता सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है।

1.3 परियोजना विवरण

1.3.1 परियोजना का आकार

इस परियोजना में भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी के बीच एक नई ब्राड गेज लाइन के निर्माण की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावित लाइन का पहला चरण प्रगति पर है और आगे के हिस्से जो 11 किमी है, की योजना बनाई जा रही है जिसके लिए वर्तमान एसआईए आयोजित किया गया।

नक्शा 1-1: सामान्य लेआउट योजना, बीबीबी ब्राड गेज रेलवे लाइन

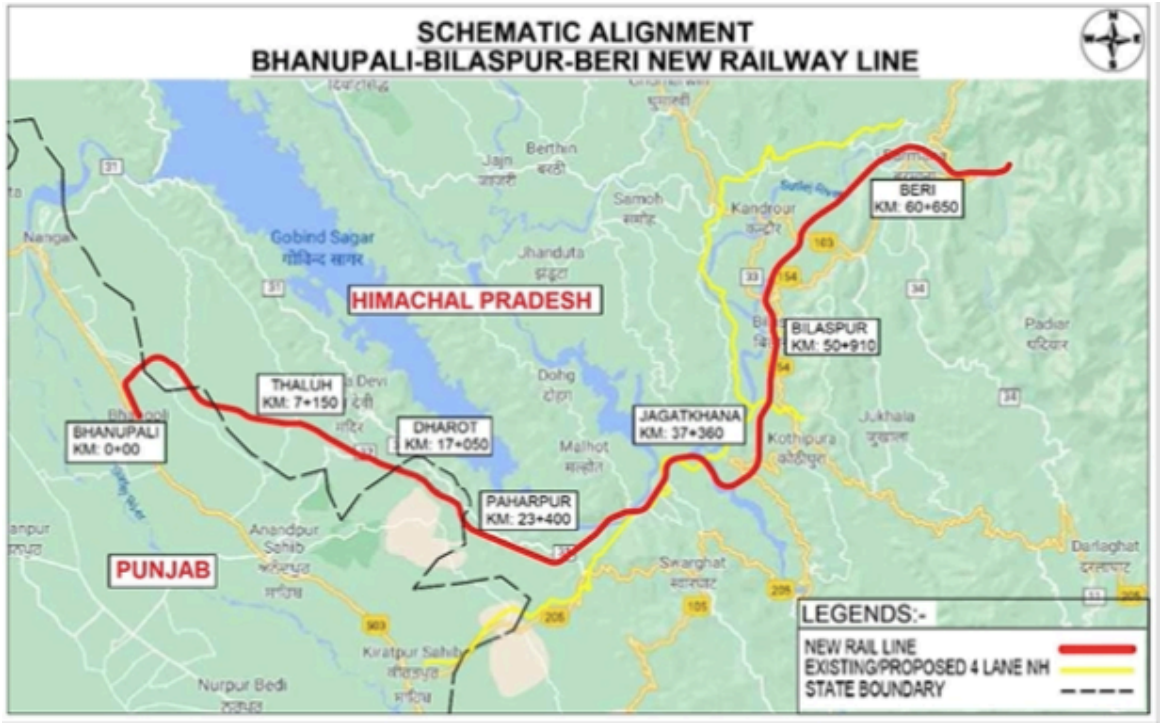

नक्शा। 1-1 पंजाब और हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन के योजनाबद्ध संरेखण का अवलोकन देता है और तालिका 1.1 इस बीबीबी रेलवे लाइन निर्माण की संरेखण विशेषताओं के सारांश को सूचित करती है।

S. No.	Feature	Description summary
1.	Total Length	63.10 Km, of which 52 km stretch is in District Bilaspur, HP
2.	Design Maximum Speed	100 Kmph for passenger Train and 75 Kmph for Goods Train
3.	Tunnels	20 Nos Tunnels with Total Length of 26.08 Km. Tunnel with Maximum Length – 3.18 Km
4.	Major Bridges & Viaducts	24 Nos Major Bridges with Total Length of 8.43 Km. Maximum Length – 1.22 Km Maximum Depth of Valley – 71 m
5.	New identified stations	6 Nos – Thaluh, Dharot, Paharpur, Jagatkhana, Bilaspur and Berri

अवस्थिति

भारत सरकार ने भानुपल्ली (आनंदपुर साहिब के पास, जिला रूपनगर, पंजाब) से बेरी (जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में) तक एक नई ब्राड गेज रेल लाइन बनाने की योजना बनाई है। रेल लाइन की कुल लंबाई 63.10 किलोमीटर है। कुल 63.10 किमी की लंबाई में से, केवल 52 किमी रेल लाइन हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से होकर गुजरेगी। इस परियोजना के तीसरे चरण में 538-13-05 बीघा (40.54 हेक्टेयर) भूमि की आवश्यकता है जो कि बिलासपुर जिले की सदर तहसील में आती है।

तालिका 1-1 परियोजना का आकार

	पंचायत	**गाँव का नाम**	**निजी भूमि (हैक्ट)**	**भूमि (बीघा में)**
बिलासपुर	नोग	नोग कवालु	4.54	60-6
	कुडी	बैहली बिल्ला	1.61	21-9
		बैहली झलेड़ा	0.30	4-0
		भराथु	1.82	24-3-05
	निचली भटेड़	बगड़ी	1.69	22-9
	निचली भटेड़	बैरी राजदयाँ	0.03	0-7
	बरमाणा	खतेड	15.81	210-2

		भटेड़ ऊपरली	7.84	104-5
		बरमाणा	6.88	91-8
	नाओनी	मंडी	0.2	0-4
कुल			40.54	538-13-05

1.3.1.1 परियोजना क्षेत्र में पहुँच

परियोजना क्षेत्र (तीसरा चरण) सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बरमाना जहां एसीसी सीमेंट कारखाना स्थित है, शिमला (85 किमी) के साथ-साथ चंडीगढ़ (180 किमी) से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और गांव नोग भी राज्य की राजधानी शिमला और जिला मुख्यालय बिलासपुर से सड़क मार्ग (88 किमी) से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

मानचित्र 1-1: प्रस्तावित परियोजना की अवस्थिति

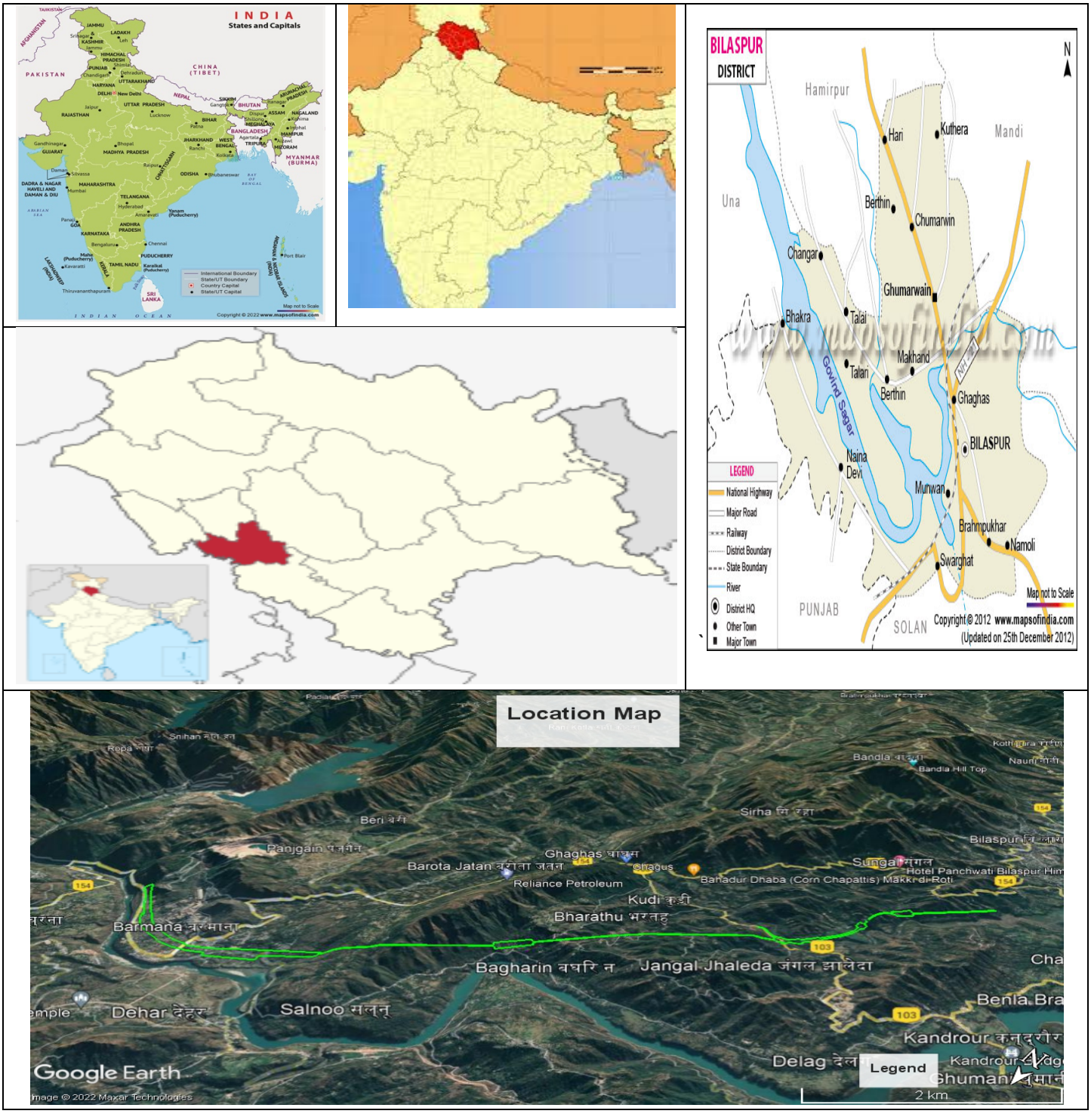

1.4 अनुकल्पों की परीक्षा

संरेखण को अंतिम रूप देने के दौरान, डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम), भूवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपग्रह इमेजरी से उत्पन्न व्याख्याओं को उत्पन्न करने के बाद परियोजना क्षेत्र के भीतर चार संरेखण विकल्पों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इन विकल्पों की समीक्षा के लिए, RVNL ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की और IIT रुड़की को भी शामिल किया। सभी विकल्पों के गुण-दोष का मूल्यांकन किया गया। तदनुसार, निर्माण क्षमता, महत्वपूर्ण स्थानों के लिए उचित कनेक्टिविटी और भविष्य में अपेक्षित विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में वर्तमान संरेखण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

संरेखण को अंतिम रूप देते समय निम्नलिखित पहलुओं पर भी विचार किया गया है-

1 जहां भी संभव हो, अधिकतम अनुमत मार्ग का पालन करते हुए सबसे छोटा मार्ग अपनाया गया है

2. सड़कों, पुलों, संरचनाओं जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख हस्तक्षेप टाला गया है

3. जहां तक संभव हो, भूगर्भीय रूप से कमजोर क्षेत्रों को के लंबवत पार किया गया है

4. टनलिंग का अनुकूलन करने के लिए, पहाड़ी इलाकों में स्थलाकृतिक निम्न बिंदु स्थित किए गए हैं लंबाई।

5. प्रमुख नदी/खाड़ को पार करने और सुरंग के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की पहचान पोर्टल

6. यात्री आराम और गति में सुधार, परिचालन टूट-फूट को कम करना रेल, वक्र की त्रिज्या को बढ़ाकर रखरखाव को कम करता है।

7. अनिवार्य बिंदुओं का सम्मान करते हुए क्षेत्र में मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग को प्रोत्साहन ।

8. क्षेत्र में प्राकृतिक भूमि स्थलाकृति और वन के साथ न्यूनतम हस्तक्षेप।

9. सुरंगों और खनन स्थानों से बड़ी मात्रा में सामग्री की खुदाई की जाएगी

संरेखण। इन उत्खननों से उत्पन्न मलबे का निपटान किया जाना आवश्यक है

नियोजित तरीके से ताकि यह कम से कम जगह घेर सके और पर्यावरण के लिए खतरनाक न हो।

10. परियोजना के लिए स्थायी भूमि की आवश्यकता इस प्रकार प्रस्तावित है कि न्यूनतम भूमि चौड़ाई रखी जाए। लाइन के निष्पादन चरण, रखरखाव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल अलाइनमेंट, एप्रोच रोड और मक डंप यार्ड में पड़ने वाली भूमि पर काम किया गया है। रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की सीमा को प्रस्तावित नई लाइन, जैसे पुल, स्टेशन, सुरंग और पोर्टल, कटिंग और फिलिंग सेक्शन, उनकी संबंधित सुरक्षा के लिए विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक स्थान के आधार पर परिभाषित किया गया है।

11. पुलों का प्रावधान परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। घनी आबादी वाला इलाका

गोविंद सागर जलाशय के बाएं किनारे के माध्यम से 2.118 किलोमीटर की कुल लंबाई के वायडक्ट्स के साथ बिलासपुर टाउनशिप के लिए बातचीत की गई है। यह इस तरह से प्रस्तावित किया गया है ताकि अधिकतम संभव सीमा तक बसावट से बचा जा सके।

1.5 लागू किये गए विधान और नीतियां

1.5.1 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की तैयारी

RTFCTLARR अधिनियम, 2015 की धारा 4 में कहा गया है कि जब भी उपयुक्त सरकार किसी लोक प्रयोजनके लिए भूमि का अर्जन करने का इरादा रखती है, तो वह प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर या वार्ड स्तर पर संबंधित पंचायत से, उनके साथ, इस तरह से और ऐसी तारीख से जैसे कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना हो (अधिनियम की धारा 4) के तहत परामर्श करेगी और परामर्श में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करेगी।

HP RTFCTLARR नियम, 2015 के नियम 3 उपधारा (1) में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए, इनमें से FORM-I के भाग-बी के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण शुरू करने से संबंधित नियम हिंदी और अंग्रेजी दोनों संबंधित पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम जैसा भी मामला हो सहित जिला कलेक्टर के संबंधित कार्यालयों में, उप-मंडलाधिकारी और तहसील को उपलब्ध कराए जाएंगे। कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम और प्रभावित क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर अधिसूचना चिपकाकर भी प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाएगा, इसके अलावा, अधिसूचना राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी: (HP RTFCTLARR नियम, 2015)

1.5.2 भूमि अर्जन की प्रक्रिया

- सरकार ग्रामीण क्षेत्रों (और शहरी क्षेत्रों के मामले में समकक्ष निकायों के साथ) में ग्राम सभा के परामर्श से एक सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) अध्ययन करेगी।
- इसके बाद, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा। विशेषज्ञ समूह में परियोजना से संबंधित विषय पर दो गैर-आधिकारिक समाज वैज्ञानिक, पुनर्वास पर दो विशेषज्ञ और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।

- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की जांच समिति द्वारा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि अर्जन का प्रस्ताव कुछ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।
- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन की तारीख से 12 महीने के भीतर भूमि प्राप्त करने के इरादे का संकेत देने वाली एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।
- इसके बाद, सरकार अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण करेगी।
- इस प्रक्रिया पर किसी भी आपत्ति को कलेक्टर द्वारा सुना जाएगा। इसके बाद, यदि सरकार संतुष्ट है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का एक विशेष टुकड़ा अर्जित किया जाना चाहिए, तो भूमि का अर्जन करने की घोषणा की जाती है।
- इस घोषणा के प्रकाशित होने के बाद, सरकार भूमि का अर्जन करेगी।
- अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से निर्दिष्ट भूमि के लिए कोई लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी

1.5.3 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, में उचित 2013प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

भूमि अर्जन , पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ने (RTFCTLARR Act,2013) ने भू अर्जन अधिनियम 1894 की जगह ली, जो औपनिवेशिक काल से अस्तित्व में था। पुराने भू अर्जन अधिनियम की त्रुटियों को दूर कर नए RTFCTLARR Act को ताजा करने की कोशिश की गई व भू अर्जन प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाया गया।

अधिनियम में भूमालिकों के, औद्योगिकीकरण/ रियल एस्टेट की वृद्धि और ढांचागत उद्योगों के हितों में एकरूपता व भूमि अर्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। इस तरह अधिनियम का उद्देश्य इसे आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक बनाना है।

अधिनियम में जिन लोगों की जमीन अर्जित की जानी है उनके अनिवार्य पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास और उन्हें उचित प्रतिकर के भुगतान का प्रावधान किया गया है। अगर सरकार की ओर से जनउद्देश्य या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की परियोजनाओं के लिए अर्जन किया जाता है तो अधिनियम में बढ़े मुआवजें का प्रावधान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार भाव से चार गुणा व शहरी क्षेत्रों में दुगुना हो सकता है।

अधिनियम को भूमालिकों व बाकी प्रभावित व्यक्तियों के हितों को संरक्षित करने के लिए जरूरी व लाभदायक माना गया ।

1.5.3.1 RTFCTLARR अधिनियम की प्रमुख विशेषताए

अधिनियम अर्जन के साथ- साथ *R&R* के लिए भी प्रावधानों को साफ करता हैं। मौजूदा प्रावधानों से जुड़े मुख्य बदलाव यह हैं (1) भू अर्जन की प्रक्रिया (2) अर्जन से विस्थापित हुए लोगों के अधिकार (3) प्रतिकर की गणना का तरीका (4) सभी तरह के अर्जन के लिए *R&R* की जरूरत।

1.5.3.2 भूमालिकों को प्रतिकर

RTFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि अर्जन के लिए प्रतिकर निर्धारित किया जाएगा |

1.5.3.3 पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन की प्रक्रिया

पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन दो अलग-अलग गतिविधियाँ हैं।

• पुनार्व्यस्थापन भौतिक पुनर्वास के साथ जुड़ा हुआ है या उन्हें एक नए पुनर्वास कॉलोनी में पुनर्स्थापित कर रहा है।

• पुनर्वास PAPs की आजीविका की बहाली के साथ जुड़ा हुआ है। एक साथ रखे गए इन दोनों पहलुओं में पूर्ण शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बहाली शामिल है।

RTFCTLARR अधिनियम में हर अर्जन के मामले में R&R की आवश्यकता होती है। एक बार अर्जन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासक एक सर्वेक्षण करेगा और R&R योजना तैयार करेगा। यह योजना तब शहरी क्षेत्रों के मामले में स्थानीय निकायों में चर्चा की जाएगी। R&R योजना पर किसी भी आपत्ति को प्रशासक द्वारा सुना जाएगा। इसके बाद, प्रशासक एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। कलेक्टर योजना की समीक्षा करेंगे और इसे *R&R* के लिए नियुक्त आयुक्त को सौंपेंगे। एक बार जब आयुक्त R&R योजना को मंजूरी दे देता है, तो सरकार *R&R* के उद्देश्य के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक घोषणा जारी करेगी। तब प्रशासक योजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। आयुक्त योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।

1.5.4 हिमाचल प्रदेश RTFCTLARR नियम 2015

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना

अधिसूचित किया गया था और जैसा कि आवश्यक था हिमाचल प्रदेश (ई-राजपत्र), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 112 के तहत (2013 का अधिनियम संख्या 30)। वे पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य तक विस्तारित हैं

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, केंद्रीय अधिनियम, 2013 पर नियोजित, भूमि अर्जन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य में सामाजिक मूल्यांकन मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए प्रक्रिया की अनुमति देता है। नियमों का मुख्य आकर्षण हैं- (A) फॉर्म II और III के अनुसार SIA और SIMP का संचालन, (B) सार्वजनिक सुनवाई का संचालन करना (C) सहमति।

1.5.4.1 *SIA* और *SIMP* का संचालन करना

प्रपत्र II: सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट राज्य सरकार को उसके प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और इसमें लिखित रूप में दर्ज प्रभावित परिवारों के विचार शामिल होंगे। यह प्रपत्र *SIA* रिपोर्ट की संरचना और सामग्री को विस्तृत करता है।

प्रपत्र III: सामाजिक समाघात प्रबंध योजना परियोजना के प्रभाव को संबोधित करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों को लागू करती है और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी। यह फ़ॉर्म *SIMP* की सामग्री पर एक दिशानिर्देश प्रदान करता है।
प्रपत्र II और प्रपत्र III परिशिष्ट में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

1.5.4.2 जन सुनवाई का आयोजन -

(I) सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य निष्कर्षों को बाहर निकालने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जाना चाहिए , निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया की मांग और अंतिम रिपोर्ट में इसे शामिल करने के लिए अतिरिक्त जानकारी और विचारों की तलाश की जानी चाहिए।

(II) जनसुनवाई की तारीख और स्थल की घोषणा की जाएगी और तीन सप्ताह में सार्वजनिक सूचनाओं और पोस्टरों के माध्यम जिसका अर्जन करने के लिए प्रस्तावित पांच किलो मीटर की भूमि के दायरे में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, रेडियो में प्रसारण, और राज्य सरकार की वेबसाइट पर सूचना अपलोड करने के अलावा ग्राम पंचायत या नगरपालिका वार्ड प्रतिनिधियों के साथ सीधे संचार के माध्यम से तीन सप्ताह पहले प्रचारित किया जाएगा।

(iii) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना हिंदी और अंग्रेजी दोनों में संबंधित पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम जैसा कि मामला हो, को उपलब्ध कराई जाएगी, प्रभावित क्षेत्रों और कार्यालयों में ग्राम स्तर या वार्ड स्तर पर हो सकता है। जिला कलेक्टर, उप-मंडलाधिकारी, तहसीलदारों और राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

(IV) जन सुनवाई में भाग लेने के लिए आवश्यक निकाय, नामित भूमि अर्जन और पुनर्वास और पन्र्स्थापन अधिकारी, जन प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जनसुनवाई की कार्यवाही की वीडियो रिकाडिंग की जाएगी और उसी के अनुसार लिपिबद्द की जाएगी। यह रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

1.5.4.3 सहमति

राज्य सरकार, संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से फॉर्म-IV के भाग-ए में प्रभावित भूमि मालिकों की पूर्व सहमति प्राप्त करेगी। उसी समय राज्य सरकार पूर्व सहमति प्रक्रिया और भूमि अर्जन के लिए भूमि अधिकारों से संबंधित अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, प्रभावित क्षेत्रों में भूमि और अन्य राजस्व रिकॉर्डों में शीर्षक, ताकि भूमि मालिकों, भूमि पर रहने वालों और व्यक्तियों के नाम को आरंभ करने के लिए पहचाना जाए।

1.5.4.3.1 ग्राम सभा की सहमति-

i. प्रभावित क्षेत्र में जन सुनवाई कार्य जाने का उदेश्य है की SIA द्वारा दी गयी मुख्य खोजें,सलाहें व् अतिरिक्त जानकारी और लोगों क विचार जो अंतिम रिपोर्ट में डाली जाए।

ii. जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के परामर्श से तीन सप्ताह पहले प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की तारीख, समय और स्थल की सूचना देगा और ग्राम सभा के सदस्यों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगा।

iii. बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर रिकॉर्ड में लिए जाएंगे।

iv. सहमति को मान्य मानने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों में कोरम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 4) में निर्धारित है।

v. प्रस्तावित अर्जन के लिए फॉर्म-IV के भाग-बी में या सहमति देने से बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इस प्रस्ताव में पुनर्वास और पुन्र्स्थापन, क्षतिपूर्ति, प्रभाव प्रबंधन और शमन के लिए बातचीत की शर्तें होंगी, जो आवश्यक निकाय के द्वारा वचनबद्ध हो, के साथ जिला कलेक्टर या नामित जिला अधिकारी द्वारा प्रतिबद्ध और जिन पर हस्ताक्षर किए गए हो

1.5.4.3.2 प्रभावित भूमि मालिकों की सहमति।

RFCTLARR अधिनियम, 2013 के अनुसार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और निजी कंपनियों (PP) के पक्ष में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली स्थिति में सहमति आवश्यक है। चूंकि भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन परियोजना आरवीएनएल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो एक सार्वजनिक उपक्रम कंपनी है, इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 (2) इस प्रकार है:

भूमि अधिग्रहण, सहमति, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्वास से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान भी लागू होंगे, जब उपयुक्त सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है, अर्थात्:

क) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए, जहां उप-धारा (1) में परिभाषित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का स्वामित्व सरकार के साथ जारी है।

ख) सार्वजनिक कंपनियों के लिए निजी कंपनियों के लिए, जैसा कि उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है।

2 दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली एवं सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची

2.1 दल विवरण

SIA टीम की संरचना निम्न तालिका में दी गई है, जो सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को करने के लिए जिम्मेदार है। टीम का प्रत्येक सदस्य अपने क्षेत्र का एक विशेषज्ञ है और पहले भी इस तरह के कई अध्ययन कर चुका है।

तालिका 2-1: टीम विवरण

क्र.सं.	नाम	योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता
1	श्री ज्ञान चंद रायटा	एमबीए, एसएएस	पुरुष	परियोजना प्रबंधक और टीम लीडर पूरी योजना और कार्यान्वयन की देखरेख रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और जमा करना
2.	मंगत राम चौहान	वरिष्ठ सलाहकार एम ए, पीएमआईआर, पीजी मार्केटिंग मैनेजमेंट	पुरुष	रिपोर्ट लेखन संपूर्ण योजना और कार्यान्वयन की देखरेख समन्वय और संचार
3	तरुण गुप्ता	बी टेक पीएमआईआर, पीजी मार्केटिंग मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन	पुरुष	रिपोर्ट लेखन संपूर्ण योजना और कार्यान्वयन की देखरेख समन्वय और संचार
4	रमन शर्मा	एम ए समाजशास्त्र	पुरुष	सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण, प्रभाव आकलन और सामुदायिक जुटाव में विशेषज्ञ
5	विराल मिस्रा	शहरी और क्षेत्रीय योजना में विशेषज्ञता के साथ बी.टेक सिविल इंजीनियरिंग, परास्नातक	पुरुष	शहरी और क्षेत्रीय योजना, ईआईए, SIA और *R&R* में विशेषज्ञ
6	एम आर शर्मा	सामाजिक कार्य में स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षण और सांख्यिकीय शोधकर्ता

7	प्रतिभा	एम ए	महिला	सर्वेक्षण और सांख्यिकीय शोधकर्ता, और लिंग विशेषज्ञ
9	सचिन चौहान	एम काम	पुरुष	आई॰ टी विशेषज्ञ
10	मीनाक्षी भारद्वाज	एम॰ए॰ समाजशास्त्र	महिला	अन्वेषक और लिंग विशेषज्ञ

प्राथमिक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं की सूची निम्नलिखित है:

तालिका 2-1: सर्वेक्षकों की सूची

क्रमांक	नाम	योग्यता	लिंग	पद
1	हिमांशु भारती	एमएसडब्ल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
2	हरीश	एमए	पुरुष	सर्वेक्षक
3	आकाश	एमए	पुरुष	सर्वेक्षक
4	पुष्पराजी	एमए	पुरुष	सर्वेक्षक
5	मुकेश कुमार	डिप्लोमा (आईटीआई)	पुरुष	सर्वेक्षक
6	पंकज	बीएससी	पुरुष	सर्वेक्षक
7	विजय कुमार	डिप्लोमा (मैकेनिकल)	पुरुष	सर्वेक्षक
8	मुहम्मद	समाज शास्त्र	पुरुष	सर्वेक्षक
9	राहुल	एमएसडब्ल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
10	राहुल	समाज शास्त्र	पुरुष	सर्वेक्षक
11	राजेंद्र ठाकुर	एमबीए	पुरुष	सर्वेक्षक

2.2 प्रयुक्त पद्धति और उपकरण का विवरण व औचित्य

2.2.1 लक्ष्य

अध्ययन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के अधिकार और भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वास (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अनुसार एक *सामाजिक समाघात निर्धारण* अध्ययन करना है।

2.2.2 उदेश्य

1 क्या प्रस्तावित अर्जन आरटीएफसीटीएलआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार लोक प्रयोजनका कार्य करता है या नहीं, इसका आकलन करना।

2 प्रभावित परिवारों का अनुमान और उनके बीच विस्थापित होने की संभावना वाले परिवारों की संख्या का आकलन ।

3 प्रस्तावित अर्जन से भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपत्तियों की प्रचुरता प्रभावित होने की संभावना का आकलन ।

4 क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम पूर्ण सीमा है।

5 क्या वैकल्पिक जगह पर भूमि अर्जन पर विचार किया गया है और संभव नहीं है।

6 परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, और प्रकृति और उन्हें संबोधित करने की लागत और परियोजना के समग्र लागत पर इन लागतों के प्रभाव ने परियोजना के लाभों को देखा।

7 HP RTFCTLARR नियमों, 2015 के FORM-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल तैयार करना (यदि कोई हो)।

8 HP RTFCTLARR नियमों, 2015 के प्रपत्र III के अनुसार एक सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार करना।

2.2.3 दृष्टिकोण और पद्धति

सामाजिक समाघात निर्धारण करने और *SIMP* तैयार करने के लिए जो पद्धति अपनाई गयी , वह नीचे वर्णित है। *SIA* RTFCTLARR अधिनियम 2013 और HP RTFCTLARR नियम, 2015 के अनुसार

तैयार किया गया । नीचे चित्र प्रवाह चार्ट के रूप में *SIA* अध्ययन के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को प्रस्तुत करता है।

चित्र 1: अध्ययन प्रधिती

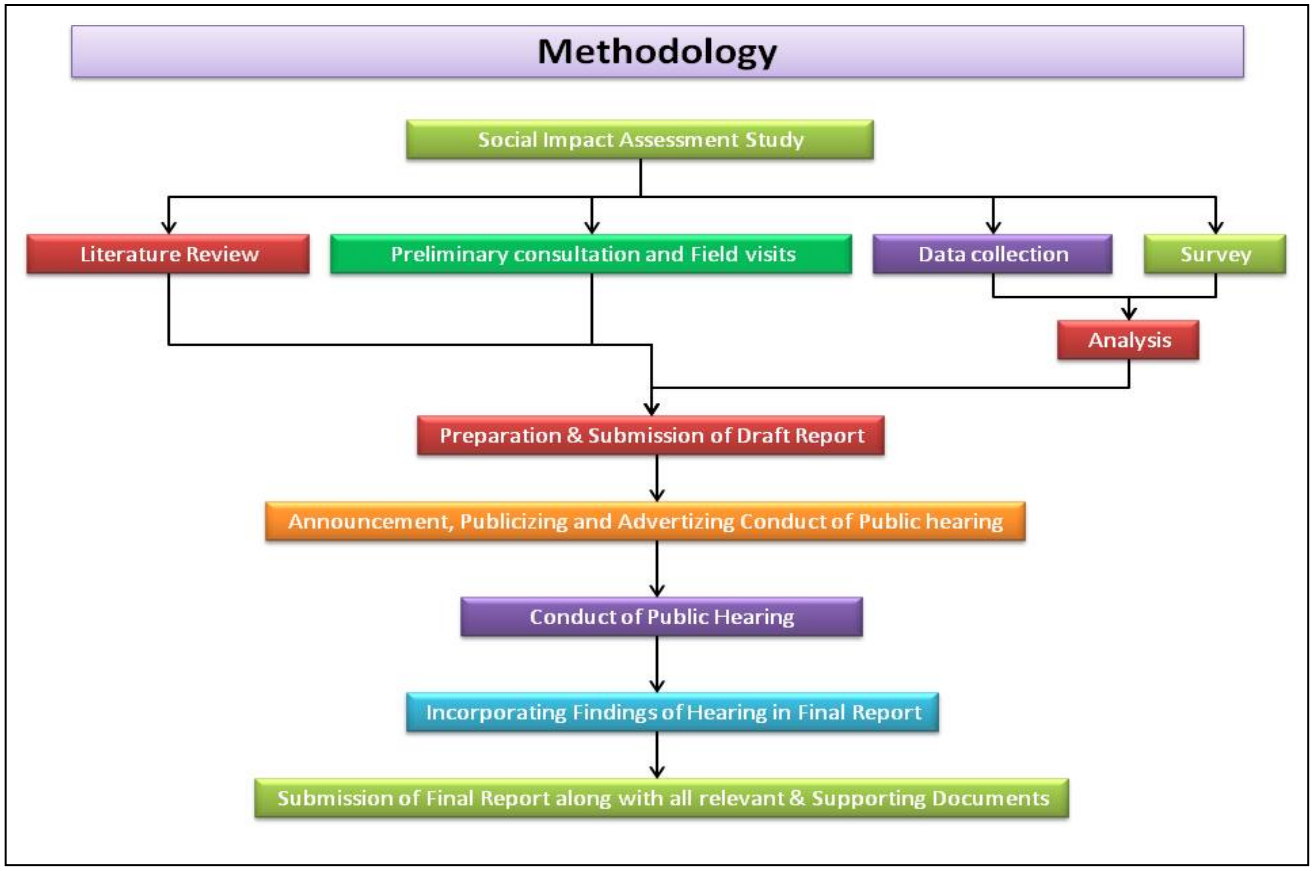

**स्त्रोत: SIA टीम*

नीचे दी गई विस्तृत कार्यप्रणाली है जिसे अध्ययन करने के लिए अपनाया गया है ।

1. **परियोजना संदर्भ का विश्लेषण**

- समीक्षा साहित्य समीक्षा
- माध्यमिक डेटा

2. **हितधारकों की पहचान और विश्लेषण**

- माध्यमिक डेटा

- प्राथमिक डेटा
- साइट विश्लेषण
- विभिन्न प्राथमिक सर्वेक्षण (संकेतक विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण)

3. **सामाजिक कारकों और चर की पहचान**

- प्राथमिक सर्वेक्षण (गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण)
- *FGD* (हितधारक प्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी / अधिकारी)
- हितधारक परामर्श

4. **डेटा विश्लेषण और प्राथमिकता मूल्यांकन**

- प्राथमिक और माध्यमिक डेटा एकत्र का विश्लेषण
- *FGD* से तैयार किए गए संदर्भ
- स्टेकहोल्डर परामर्श से तैयार किए गए निष्कर्ष
- साइट सर्वेक्षण से अवलोकन

5. **हितधारकों से परामर्श और शमन योजनाओं का विकास**

- *FGD* और जन सुनवाई आयोजित करना
- *FGD* और जन सुनवाई से निष्कर्षों और निष्कर्षों की खोज में शमन योजनाओं का विकास

6. **शमन योजना और जन भागीदारी को लागू करना**

- कार्यान्वयन एजेंसी, संबंधित अधिकारियों / अधिकारियों और सार्वजनिक भागीदारी के साथ समन्वय से

7. **सक्रिय हितधारक भागीदारी के साथ निगरानी सुनिश्चित करना और इसे संशोधित करना**

2.2.4 पद्धति का औचित्य

सामाजिक समाघात अध्ययन एक समयबद्ध अध्ययन है और आगामी परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि पर आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से निर्भर लोगों के हित की चिंता करता है। उपरोक्त कार्यप्रणाली को सामाजिक समाघात अध्ययन करने और सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाता है, संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के परामर्श से, आगामी भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए भूमि अर्जन के लिए एक मानवीय, भागीदारीपूर्ण, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया और प्रदान करना प्रभावित परिवारों के लिए उचित और उचित प्रतिकर जिनकी भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित किया गया है या इस अर्जन से प्रभावित हैं और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास और पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रावधान करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्जन का संचयी परिणाम होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बने अर्जन के बाद के अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अग्रणी हों ।

2.2.4.1 सामाजिक प्रभाव अध्ययन के लिए परामर्श हेतु हितधारकों की पहचान

सभी प्रमुख हितधारकों की एक सूची तैयार की गई जो परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। तब सूची को अंततः तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया :

1. **प्राथमिक हितधारक:** इनमें अर्जित की जाने वाली भूमि के मालिक, उनके परिवार, जिनके नाम जमाबंदी पर दर्ज हैं और जो संपत्ति में अपनी भागीदारी का दावा करते हैं, जिनके पास अर्जित भूमि पर किसी भी प्रकार की आजीविका / निर्भरता है। ।
2. **द्वितीयक हितधारक:** इनमें व्यावसायिक संस्थाएँ, नागरिक समाज / राजनीतिक / धार्मिक / गैर सरकारी संगठन, युवक और महिला मंडल और क्षेत्र के स्थानीय निवासी शामिल हैं। ये हितधारक सीधे अर्जन से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन परियोजना के कारण उन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
3. **संस्थागत हितधारक:** उनमें सरकार शामिल है; अर्ध-सरकारी संस्थान जैसे कि पंचायत, डीसी ऑफिस, पुलिस आदि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना से जुड़े या प्रभावित हो सकते हैं।

हितधारकों की पहचान के बाद डेस्क समीक्षा की जाती है। राजस्व मानचित्र, जिला जनगणना हैंड बुक, जिला गजेटियर, जिला सांख्यिकी, मौजूदा आजीविका परियोजनाओं, सरकारी रोजगार योजनाओं, RTFCTLARR अधिनियम,2013, HP RTFCTLARR नियम, 2015, R&R पालिसी और सेवा क्षेत्रों के बारे में दस्तावेज जिसमें संबंधित जिलों / ब्लॉकों में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हैं, सरकारी और गैर

सरकारी स्रोत से एकत्र किए गए थे। सरकारी सूत्रों और समीक्षा की। ऐसे प्रासंगिक डेटा का संग्रह और समीक्षा मुख्य रूप से संबंधित क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और सेवा वितरण प्रणाली के बारे में समझ विकसित करने हेतु की जाती है।

2.3 सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सूचना संग्रहण करने के लिए संसाधन

अध्ययन को अंजाम देने हेतु जानकारी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों से एकत्र की गई थी। इन स्रोतों पर निम्नलिखित अनुभाग में विस्तार से चर्चा की गई है:

- **माध्यमिक स्रोतों से डेटा**

  जनगणना के आंकड़ों, सांख्यिकीय हाथ की पुस्तकों, संबंधित विभागों और अन्य साहित्य जैसे कई तिमाहियों से माध्यमिक स्रोतों की जानकारी एकत्र की गई थी। इस प्रकार, माध्यमिक स्रोतों की जानकारी ने प्राथमिक डेटा को पूरक किया जो प्रभावित लोगों और अन्य हितधारकों से क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त किया गया था। विस्तृत क्षेत्र जांच करने से पहले परियोजना क्षेत्र के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सेट-अप के बारे में एक समझ बनाई गई थी।

- **प्राथमिक स्रोत**

  हाउस होल्ड सर्वे, फील्ड विजिट और *FGD* के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था। घरेलू सर्वेक्षण और *FGD* के लिए प्रश्नावली और कार्यक्रम SIA टीम द्वारा तैयार किए गए थे और किसी भी संभावित अंतर की जांच के लिए अंतिम रूप देने से पहले परीक्षण किया गया था। प्रश्नावली को पेशेवर सर्वेक्षकों / प्रगणकों द्वारा प्रशासित किया गया था जिन्हें *SIA* के टीम लीडर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। परियोजना क्षेत्र को जानने के लिए उन्हें एक दिन के लिए परियोजना स्थल पर ले जाया गया। डेटा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया था ताकि निष्कर्ष प्रामाणिक और विश्वसनीय हो। सर्वेक्षण से एकत्र किए गए डेटा को आउटपुट तालिका के प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए उचित जांच और तार्किक जांच के बाद एमएस एक्सेल पर डिजिटल किया गया था।

- **अध्ययन के उपकरणों की तईयारी**

  प्राथमिक हितधारकों के बारे में प्रामाणिक जानकारी एकत्र करने और उन पर प्रभाव की तीव्रता को इकट्ठा करने के लिए एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई थी। प्रश्नावली में गुणात्मक और

मात्रात्मक जानकारी की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सुझावों और संशोधन के लिए एक मसौदा प्रश्नावली विकसित कर *HP* SIAU को प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्र में पूर्व परीक्षण के बाद प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया गया था। गांवों में विभिन्न हितधारकों द्वारा कथित सकारात्मक और नकारात्मक परियोजना प्रभावों सहित निर्णय लेने आदि, सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उनके सुझाव सहित उपलब्ध सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थिति, अर्जन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, रोजगार की स्थिति, महिलाओं की भूमिका के कारण किसी भी सामान्य संपत्ति के नुकसान के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए पंचायत स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ समूहबद्ध चर्चा आयोजित करने के लिए अनुसूचियां तैयार की गईं।

- **प्राथमिक सर्वेक्षण**

  एक पूर्व संरचित प्रश्नावली की मदद से प्राथमिक हितधारकों का एक सर्वेक्षण किया गया था। प्रश्नावली में PAF की पहचान, PAF के परियोजना और पुनर्वास और पुन्र्स्थापन बारे विचार सहित, उनके सामाजिक प्रोफ़ाइल, पारिवारिक विवरण, व्यवसाय, आय के स्रोत, परिवार के खर्च, घरेलू संपत्ति, प्रभावित संरचना की जानकारी, वाणिज्यिक / स्व-रोजगार गतिविधियों, रोजगार पैटर्न, राय जैसे पहलू शामिल थे । प्रश्नावली के अधिकांश भाग को PAF की राय और विचारों को प्रति बिंबित करने वाले लोगों को छोड़कर पूर्व-कोडित किया गया था , जिन्हें खुले अंत में छोड़ दिया गया।

चित्र 2-1: प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान ली गई तसवीरें

- केन्द्रित समूह चर्चा

  अध्ययन के पहलुओं में, एक हितधारकों, जन प्रतिनिधियों और सामुदायिक नेताओं के साथ परामर्श था। परामर्श ने हितधारकों और *SIA* टीम के बीच संचार की रेखा को खोल दिया। इससे समुदाय द्वारा प्रभावित प्रभावों की पहचान करने में मदद मिली।

चित्र 2-2: केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान ली गई तसवीरें

- **डेटा संग्रह और ग्राउंड सत्यापन का पर्यवेक्षण**

  कोर टीम के सदस्यों द्वारा डेटा संग्रह का पर्यवेक्षण किया गया था और साथ ही सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के तहत आने वाले पांच प्रतिशत परिवारों के लिए जमीनी सत्यापन किया गया था।

2.4 नमूना प्रणाली का उपयोग

अध्ययन के लिए, टीम ने राजस्व विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार सभी PAF को कवर करने का लक्ष्य रखा। प्राथमिक डेटा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तकनीकों का उपयोग करके उत्पन्न किया गया था:

• मात्रात्मक तकनीक: प्राथमिक हितधारकों के बीच एचएच सर्वेक्षण के लिए पूर्व-परीक्षणित, संरचित प्रश्नावली ।

• गुणात्मक तकनीक: गुणात्मक तकनीकों में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA), आजीविका विश्लेषण, वरीयता रैंकिंग, *FGD* और सार्वजनिक परामर्श शामिल थे।

2.5 सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यवलोकन

SIA और SIMP को, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुन्स्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के फार्म-II के अनुसार फील्ड विजिट और स्टेकहोल्डर परामर्श के माध्यम से एकत्रित जानकारी, डेटा और आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था, । नीचे आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा स्रोतों का विवरण दिया गया है:

तालिका 2-3सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन :

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
A	सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटर		
1.	परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण		प्राथमिक जनगणना सार
	आयु, लिंग, जाति, धर्म	परिवार सर्वेक्षण	*जनगणना,2011*
	साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति	परिवार सर्वेक्षण	*जनगणना,2011*
2.	गरीबी का स्तर	परिवार सर्वेक्षण फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
3.	कमजोर वर्ग	परिवार सर्वेक्षण	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
4.	रिश्तेदारी पैटर्न और परिवार में महिलाओं की भूमिका	परिवार सर्वेक्षण	
5.	सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।	फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
6.	प्रशासनिक संगठन	फ़ोकस/ मुद्दा	सरकारी विभाग
7.	राजनीतिक संगठन।	समूह चर्चा	सरकारी विभाग
8.	नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन	फ़ोकस/ मुद्दा	सरकारी विभाग
9.	भूमि का उपयोग और आजीविका	परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण	भू अभिलेख , राजस्व ततिमे, जमाबंदी के दस्तावेज
	कृषि और गैर-कृषि उपयोग	परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण	भू अभिलेख , राजस्व ततीमा , जमाबंदी के दस्तावेज
	भूमि की गुणवत्ता - मिट्टी, पानी, पेड़ आदि।		
	पशु	परिवार सर्वेक्षण	
	औपचारिक और अनौपचारिक काम और रोजगार।	परिवार सर्वेक्षण, फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	सोसिओ इकनोमिक कास्ट सेंसुस डाटा
	घरेलू श्रम और महिलाओं के काम का विभाजन	परिवार सर्वेक्षण	
	प्रवास	परिवार सर्वेक्षण, फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	घरेलू आय का स्तर	परिवार सर्वेक्षण	
	आजीविका की प्राथमिकताएँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श	
	खाद्य सुरक्षा	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
10.	स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	क्रेडिट तक पहुंच	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	मज़दूरी दर	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	महिलाओं से सम्बंधित विशिष्ट आजीविका गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
11.	ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	सामान्य संपत्ति संसाधन निजी संपत्ति	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	सड़कें, परिवहन	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
	सिंचाई की सुविधा	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	बाजारों तक पहुंच	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	पर्यटक के लिए स्थल	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आजीविका संवर्धन कार्यक्रम	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सहकारिता और अन्य आजीविका से संबंधित संघ	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
12.	परिवेश/वातावरण की गुणवत्ता	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	धारणाएँ, सौंदर्य गुण, आसक्ति और आकांक्षाएँ	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सेटलमेंट का तरीका	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	भू अभिलेख , राजस्व ततिमे , जमाबंदी के दस्तावेज
	सामुदायिक और नागरिक स्थान	फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल	फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
	भौतिक अवसंरचना (जल आपूर्ति सीवरेज प्रणाली आदि सहित)	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सार्वजनिक सेवा संरचना (स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली)	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सुरक्षा, अपराध, हिंसा	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	महिलाओं के लिए सामाजिक एकत्रीकरण बिंदु।	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
B	प्रमुख प्रभाव क्षेत्र		
1	भूमि, आजीविका और आय पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	रोजगार का स्तर और प्रकार	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	इंट्रा-घरेलू रोजगार पैटर्न	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	आय का स्तर	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	खाद्य सुरक्षा	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	जीवन स्तर	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	उत्पादक संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
	आर्थिक निर्भरता, या भेद्यता	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	प्रभाव का जोखिम	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	महिलाओं की आजीविका के विकल्प तक पहुँच	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
2	भौतिक संसाधनों पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	प्राकृतिक संसाधनों, मिट्टी, हवा, पानी, जंगलों पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आजीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
3	निजी संपत्ति, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	मौजूदा स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आवास सुविधाओं की क्षमता	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
	स्थानीय सेवाओं की आपूर्ति पर दबाव।	हितधारक परामर्श , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	बिजली और पानी की आपूर्ति, सड़कों, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	निजी परिसंपत्तियों जैसे बोरवेल, अस्थायी शेड आदि पर प्रभाव।	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
4	स्वास्थ्य पर असर	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	प्रवास के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ता है	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	परियोजना गतिविधियों के कारण स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है: (i) महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
5	संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	structures स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का परिवर्तन	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	जनसांख्यिकीय परिवर्तन	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
	अर्थव्यवस्था-पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	मानदंडों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अपराध और अवैध गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अव्यवस्था का तनाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	पारिवारिक सामंजस्य के अलगाव का प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	महिला के विरुद्ध क्रूरता	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
6	परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभाव। सामाजिक प्रभावों का प्रकार, समय, अवधि और तीव्रता परियोजना चक्र के चरणों के साथ निकटता से संबंधित होगी।	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
	पूर्व-निर्माण चरण • सेवाओं के वितरण में रुकावट • उत्पादक निवेश में गिरावट • जमीन की अटकलें • अनिश्चितता का तनाव •	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	निर्माण चरण • विस्थापन और पुनर्वास • प्रवासी निर्माण कार्यबल की सूजन • स्वास्थ्य उन लोगों पर प्रभाव डालता है जो निर्माण स्थल के करीब रहते हैं •	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	ऑपरेशन का चरण • निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी • परियोजना के आर्थिक लाभ • नए बुनियादी ढांचे पर लाभ • सामाजिक संगठन के नए पैटर्न	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	डी-कमीशन चरण • आर्थिक अवसरों का नुकसान • पर्यावरणीय गिरावट और आजीविका पर इसका प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्त्रोत	गौण स्त्रोत
	विभेदक प्रभाव • महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अलग-अलग लोगों पर प्रभाव • जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट चेकलिस्ट और वल्नेरेबिलिटी और रेजिलिएशन मैपिंग जैसे उपकरणों के माध्यम से पहचाने जाने वाले प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	संचयी प्रभाव • प्रश्न में परियोजना के लिए पहचाने गए प्रभावों के साथ क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के मापने योग्य और संभावित प्रभाव • परियोजना क्षेत्र में सीधे तौर पर नहीं बल्कि स्थानीय या क्षेत्रीय रूप से आधारित लोगों पर प्रभाव।	परिवार सर्वेक्षण , फ़ोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

**स्रोत: SIA दल*

2.6 प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाई के संक्षिप्त विचरण की अनुसूची

आयोजित की गई जन सुनवाई का कार्यक्रम निम्नलिखित था:

क्र० स०	ज़िला	तहसील	पंचायत	जन सुनवाई की तिथि
1.	बिलासपुर	सदर	Nog	4/5/2022
2.	बिलासपुर	सदर	कुड्डी	4/5/2022
3.	बिलासपुर	सदर	निचली भटेड	5/5/2022
4.	बिलासपुर	सदर	बैरी राजदियाँ	5/5/2022

5.	बिलासपुर	सदर	बरमाना	5/5/2022
6.	बिलासपुर	सदर	नौणी	6/5/2022

जन सुनवाई के दौरान लोगों द्वारा प्रस्तुत मुद्दे और सुझाव:

1. ग्रामीणों ने मांग की है कि भूमि खोने वालों को बाजार दर के अनुसार मुआवजा दिया जाए और सभी प्रकार की भूमि (स्थान और सड़क से दूरी के अनुसार) पर समान दर लागू की जाए।
2. भूमि खोने वाले को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा
3. निर्माण के दौरान ठेके वाले वाहनों को स्थानीय स्तर पर जमीन के मालिक से लिया जाना चाहिए।
4. सम्बंधित गाँव की बंजर भूमि पर डुपिंग साइट का चयन किया जाए
5. रेलवे यार्ड को मौजूदा प्रस्तावित स्थल से एसीसी भूमि में स्थानांतरित किया जाए। लोग यार्ड विकास के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ थे क्योंकि इससे एसीसी को बड़ा फायदा होगा तथा ग्रामीण एसीसी सीमेंट कंपनी द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहे थे ।
6. प्रस्तावित रेलवे ट्रैक द्वारा विभाजित भूमि तक समुदाय को आसानी से पहुंच की आवश्यकता है। या तो भूमिगत या ट्रैक के ऊपर से रास्ते का निर्माण होना चाहिए
7. सामुदायिक पथ, पेयजल आपूर्ति लाइन, सड़क, नहर आदि का पुन: रिपेयर अधिग्रहित करने वाले निकाय द्वारा किया जाएगा।

इसके अलावा जन सुनवाई के दौरान स्थानीय समुदाय और संगठन द्वारा कुछ लिखित मांग पत्र प्रस्तुत किए गए थे। उन प्रतिनिधित्वों का सारांश इस प्रकार है:

बरमाना पंचायत प्रधान का प्रतिवेदन/मांग पत्र (सभी प्रतिवेदन अनुलग्नक में लगाए है)

6/5/2022 को बरमाना में जनसुनवाई के अंत में, प्रधान ग्राम पंचायत बरमाना ने इस अनुरोध के साथ एक लिखित अभ्यावेदन दिया कि सरकार के विचार के लिए अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए विवरण को जोड़ा जाए:

1. लोगों के आवासों तक जाने के लिए 25 से 30 सार्वजनिक मार्ग हैं। जनता को असुविधा से बचने के लिए उन्हें संरक्षित और पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।

2. पंचायत द्वारा उपलब्ध तैयार की गयी, गंदे पानी और बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था को पुन: बनाया जाए।

3. पंचायतों द्वारा प्रदान की जाने वाली सोलर लाइटों का रखरखाव भी रेलवे परियोजना अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

4. पंचायतों की पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण किया जाए।

5. मुख्य पानी की टंकी से जुड़ी मुख्य पेयजल पाइपलाइन खराब हो जाएगी जिसे भी जोड़ा जाना चाहिए और ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए।

6. पंचायत ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण कराया है. यदि इन टैंकों में कोई खराबी आती है तो उन्हें फिर से बनाया और बनाया जाना चाहिए।

7. क्षतिग्रस्त होने पर लोगों द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार का भी पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए।

8. पंचायत द्वारा निर्मित सोकपिट और गौशाला का रखरखाव भी ठीक से किया जाना चाहिए।

9. कृषि फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए पंचायत ने सीमेंट के खंभों के साथ बार-बार्ड तार उपलब्ध कराए हैं, इनका भी संरक्षण और रखरखाव किया जाना चाहिए।

इस अनुरोध के साथ लिखित अभ्यावेदन कि सरकार के विचारार्थ अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए विवरण को जोड़ा जाए:

प्रधान ने आगे कहा है कि भानुपल्ली बरमाना विस्थपित समिति पहले ही एसडीएम बिलासपुर सदर और रेलवे अधिकारियों को मांग पत्र सौंप चुकी है. मांग पत्र पंचायत समिति के सदस्यों एवं समस्त विस्थपित परिवारों से चर्चा कर उनकी सहमति के बाद तैयार किया जाता है।

प्रधान ने जोर देकर कहा है कि सभी मांगें जायज हैं और इन सभी पर उचित समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोगों को भूमि अधिग्रहण को लेकर कई तरह के संदेह हैं, मुख्य रूप से जमीन के मूल्यांकन और मुआवजे को लेकर। सरकार द्वारा निर्धारित भूमि मूल्य में 10 गुना का अंतर है। इसे प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाना चाहिए।

उन्होंने सबसे पहले वन भूमि का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है। चूंकि लोग अपनी जमीन पर निर्भर हैं और वे चिंतित हैं।

उन्होंने आगे अनुरोध किया है कि एसीसी के लिए प्रस्तावित रेलवे यार्ड का निर्माण एसीसी कॉलोनी की भूमि पर किया जाना चाहिए जो कि लोगों को उनकी भूमि और घरों से विस्थापन से बचाने के लिए 85% खाली है।

भानुपल्ली बर्मन रेलवे की स्थापना समिति का प्रतिनिधित्व

1. खेती योग्य भूमि के स्थान पर बंजर भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए।
2. मुआवजे के लिए फैक्टर II लागू किया जाना चाहिए क्योंकि बरमाना में सभी संपत्तियां वाणिज्यिक संपत्तियां हैं।
3. बरमाना पंचायत में भूमि की कीमत समान होनी चाहिए।
4. भूमि खोने वाले को भूमि दी जानी चाहिए।
5. लाभ बांटने के लिए लोगों और रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन होना चाहिए।
6. सभी प्रभावित लोगों की आजीविका टिकाऊ होनी चाहिए।
7. उपायों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
8. पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रभावी प्रावधान होने चाहिए।
9. प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

मद्दद समिति का प्रतिनिधित्व

समिति ने बरमाना पंचायत में रेलवे परियोजना के प्रभावों को बेअसर करने के लिए दिए सुझाव :-

1. लेह तक रेलवे लाइन के लिए अभी तक कोई अधिसूचना नहीं आई है। एसीसी के लिए रेलवे यार्ड प्रदान करने का कोई राष्ट्रीय हित नहीं है, यह केवल एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के लाभ के लिए है। रेलवे यार्ड का निर्माण एसीसी कॉलोनी में किया जा सकता है जहां 80-85% भूमि खाली है।
2. इन गांवों के लोग पूर्व में भी दो-तीन बार विस्थापित हो चुके हैं।
3. इस बार ये कंपनियां फिर से स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ग्रामीणों की जमीन हथियाने की साजिश रच रही हैं. उन्होंने आगे कहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि डीसी बिलासपुर को भेजी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
4. अंत में उन्होंने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुरोध किया है न कि एसीसी के हित के लिए।

निचली भटेड पंचायत के प्रधान का प्रतिनिधित्व ज्ञापन

प्रधान ने कहा है कि पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। भरहतू गांव को बघर दोहरा से सड़क से जोड़ा जाए। शमशान स्थल का निर्माण। हैंडपंप उपलब्ध कराना। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना। पानी की टंकी उपलब्ध कराना। हाई स्कूल साल्भु के लिए खेल मैदान का निर्माण।

जनहित समिति बघार (डोरा) : सड़क की सुविधा, पेयजल, परियोजना से मलबा डंप करने के लिए जमीन ग्रामीणों के परामर्श से किराए पर ली जाए. स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना।

भानपल्ली - बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन निर्माण हेतु
दिनांक:-
स्थान:-
LAN

बैठक कक्ष

जन सुनवाई

जन सुनवाई

जन सुनवाई

भानुपल्ली - बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन
प्रस्तावित भू-अर्जन हेतु सामाजिक समाघात
निर्धारण अध्ययन के लिए
जन सुनवाई
समय :-

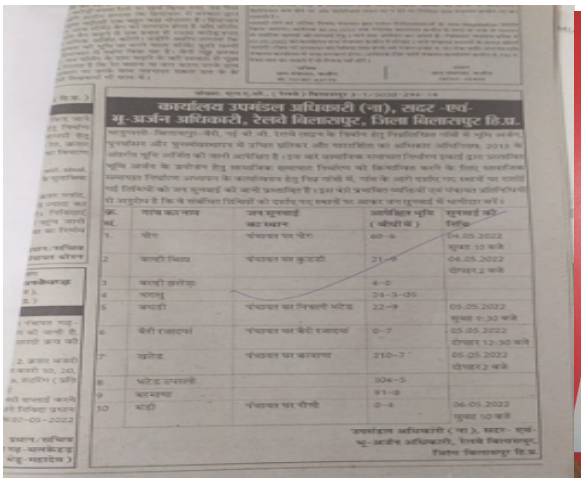

कार्यालय उपमंडल अधिकारी (ना), सदर -एवं- भू-अर्जन अधिकारी, रेलवे बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि.प्र.

[illegible]

क्र. सं.	गांव का नाम	जन सुनवाई का स्थान	अर्जित भूमि (बीघों में)	सुनवाई की तिथि
1.	[illegible]	[illegible]	60-6	04.05.2022 सुबह 10 बजे
2	[illegible]	[illegible]	21-9	04.05.2022 दोपहर 2 बजे
3	[illegible]		4-0	
4	[illegible]		24-3-05	
5	[illegible]	[illegible]	22-9	05.05.2022 सुबह 9:30 बजे
6	[illegible]	[illegible]	0-7	05.05.2022 दोपहर 12:30 बजे
7	[illegible]	[illegible]	210-7	05.05.2022 दोपहर 2 बजे
8	[illegible]		304-5	
9	[illegible]		91-8	
10	[illegible]	[illegible]	0-4	06.05.2022 सुबह 10 बजे

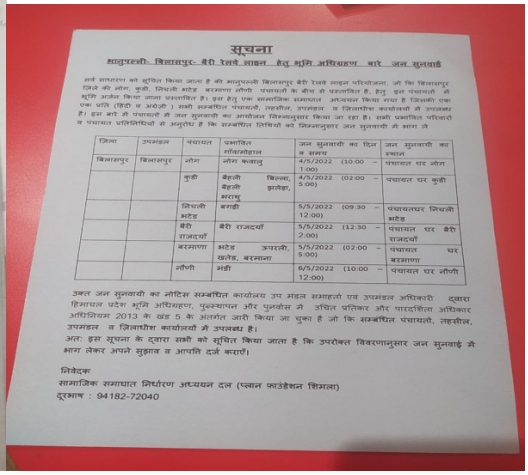

उपमंडल अधिकारी (ना), सदर- एवं- भू-अर्जन अधिकारी, रेलवे बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि.प्र.

सूचना

भानुपल्ली- बिलासपुर- बैरी रेलवे लाइन हेतु भूमि अधिग्रहण बारे जन सुनवाई

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन परियोजना, जो कि बिलासपुर ज़िले की नोग, कुठी, निचली भटेड बरमाणा नौणी पंचायतों के बीच से प्रस्तावित है, हेतु इन पंचायतों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु एक सामाजिक समाघात अध्ययन किया गया है जिसकी एक एक प्रति (हिंदी व अंग्रेज़ी) सभी सम्बंधित पंचायतों, तहसील, उपमंडल व ज़िलाधीश कार्यालयों में उपलब्ध है। इस बारे में पंचायतों में जन सुनवायी का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है। सभी प्रभावित परिवारों व पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि सम्बंधित तिथियों को निम्नानुसार जन सुनवायी में भाग लें

ज़िला	उपमंडल	पंचायत	प्रभावित गॉव/मोहाल	जन सुनवायी का दिन व समय	जन सुनवायी का स्थान
बिलासपुर	बिलासपुर	नोग	नोग कवालु	4/5/2022 (10:00 – 1:00)	पंचायत घर नोग
		कुठी	बैहली बिल्ला, बैहली झलेड़ा, भराड़ु	4/5/2022 (02:00 – 5:00)	पंचायत घर कुठी
		निचली भटेड़	बगढ़ी	5/5/2022 (09:30 – 12:00)	पंचायतघर निचली भटेड़
		बैरी राजदयॉं	बैरी राजदयॉं	5/5/2022 (12:30 – 2:00)	पंचायत घर बैरी राजदयॉं
		बरमाणा	भटेड़ ऊपरली, खतेड़, बरमाना	5/5/2022 (02:00 – 5:00)	पंचायत घर बरमाणा
		नौणी	मंडी	6/5/2022 (10:00 – 12:00)	पंचायत घर नौणी

उक्त जन सुनवायी का नोटिस सम्बंधित कार्यालय उप मंडल समाहर्ता एवं उपमंडल अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के खंड 5 के अंतर्गत जारी किया जा चुका है जो कि सम्बंधित पंचायतों, तहसील, उपमंडल व ज़िलाधीश कार्यालयों में उपलब्ध है।

अत: इस सूचना के द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विवरणानुसार जन सुनवाई में भाग लेकर अपने सुझाव व आपत्ति दर्ज कराएँ।

निवेदक

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल (प्लान फ़ाउंडेशन शिमला)

दूरभाष : 94182-72040

3 भूमी निर्धारण

यह अध्याय भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि के विवरण पर केंद्रित है, जिसमें स्थान, परियोजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए कुल भूमि की आवश्यकता और विभिन्न पंचायतों के तहत खरीदी जाने वाली भूमि का उपयोग शामिल है। प्राथमिक सर्वेक्षण सहित उपलब्ध मानचित्रों और प्राथमिक स्रोतों का उपयोग भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण का पता लगाने के लिए किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए भूमि के स्वामित्व पैटर्न, हस्तांतरण और उपयोग पर एक संक्षिप्त विवरण का भी आकलन किया गया था।

जिला बिलासपुर बाहरी पहाड़ियों में सतलुज घाटी में स्थित है और 1,167 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सीमाएं ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन जिलों को छूती हैं। सतलुज मुख्य नदी है जो जिले के मध्य से होकर गुजरती है और इसे लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। नई बस्ती बिलासपुर को देश का पहला नियोजित पहाड़ी शहर माना जाना चाहिए। बिलासपुर 7वीं शताब्दी में स्थापित इसी नाम के एक राज्य की राजधानी थी, जिसे कहलूर के नाम से भी जाना जाता है। शासक वंश चंदेल राजपूत थे, जिन्होंने वर्तमान मध्य प्रदेश में चंदेरी के शासकों से वंश का दावा किया था। बिलासपुर शहर की स्थापना 1663 में हुई थी। राज्य बाद में ब्रिटिश भारत की एक रियासत बन गया, और पंजाब के ब्रिटिश प्रांत के अधिकार में था।

13 मई 1665 को, गुरु तेग बहादुर बिलासपुर के राजा दीप चंद के शोक और अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए बिलासपुर गए। बिलासपुर की रानी चंपा ने अपने राज्य में एक जमीन का एक टुकड़ा गुरु को दिया, जिसे गुरु ने 500 रुपये की कीमत पर स्वीकार कर लिया। भूमि में लोधीपुर, मियांपुर और सहोटा के गांव शामिल थे। गुरु तेग बहादुर ने 19 जून 1665 को एक नई बस्ती की नींव रखी, जिसका नाम उन्होंने अपनी माँ के नाम पर नानकी रखा।

1932 में, राज्य नव निर्मित पंजाब स्टेट्स एजेंसी का हिस्सा बन गया, और 1936 में पंजाब हिल स्टेट्स एजेंसी को पंजाब स्टेट्स एजेंसी से अलग कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1948 को स्थानीय शासक, एचएच राजा सर आनंद चंद, भारत सरकार में शामिल हो गए।

बिलासपुर एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारत का एक अलग राज्य बन गया, और 1 जुलाई 1954 को, बिलासपुर राज्य को भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य का एक जिला बनाया गया था। जब सतलुज नदी को गोविंद सागर बनाने के लिए बांध दिया गया था, बिलासपुर का ऐतिहासिक शहर जलमग्न हो गया था, और पुराने के ऊपर एक नया शहर बनाया गया था।

3.1 भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी

बिलासपुर जिले के विभिन्न पंचायतों में भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के उद्देश्य या इच्छित उपयोग का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3:1 विभिन्न परियोजना घटकों के तहत क्षेत्र की आवश्यकता :

	पंचायत	गाँव का नाम	निजी भूमि (हैक्ट)	चिन्हित उपयोग	शीर्षक धारकों की संख्या
बिलासपुर	नोग	नोग कवालु	4.54	रेलवे लाइन, सुरंग	98
	कुडी	बैहली बिल्ला	1.61	रेलवे लाइन, सुरंग	40
		बैहली झलेड़ा	0.30	कनेक्टिंग रोड	16
		भराथु	1.82	रेलवे लाइन, सुरंग	76
	निचली भटेड़	बगड़ी	1.69	रेलवे लाइन	45
	निचली भटेड़	बैरी राजदयाँ	0.03	रेलवे लाइन, सुरंग	3
	बरमाणा	खतेड	15.81	रेलवे लाइन	404
		भटेड़ ऊपरली	7.84	रेलवे लाइन	299
		बरमाणा	6.88	रेलवे लाइन	127
	नाओनी	मंडी	0.2	रेलवे लाइन	1
कुल			40.54		1109

*स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग

नक्शा 3.1: परियोजना क्षेत्र का भूमि उपयोग नक्शा

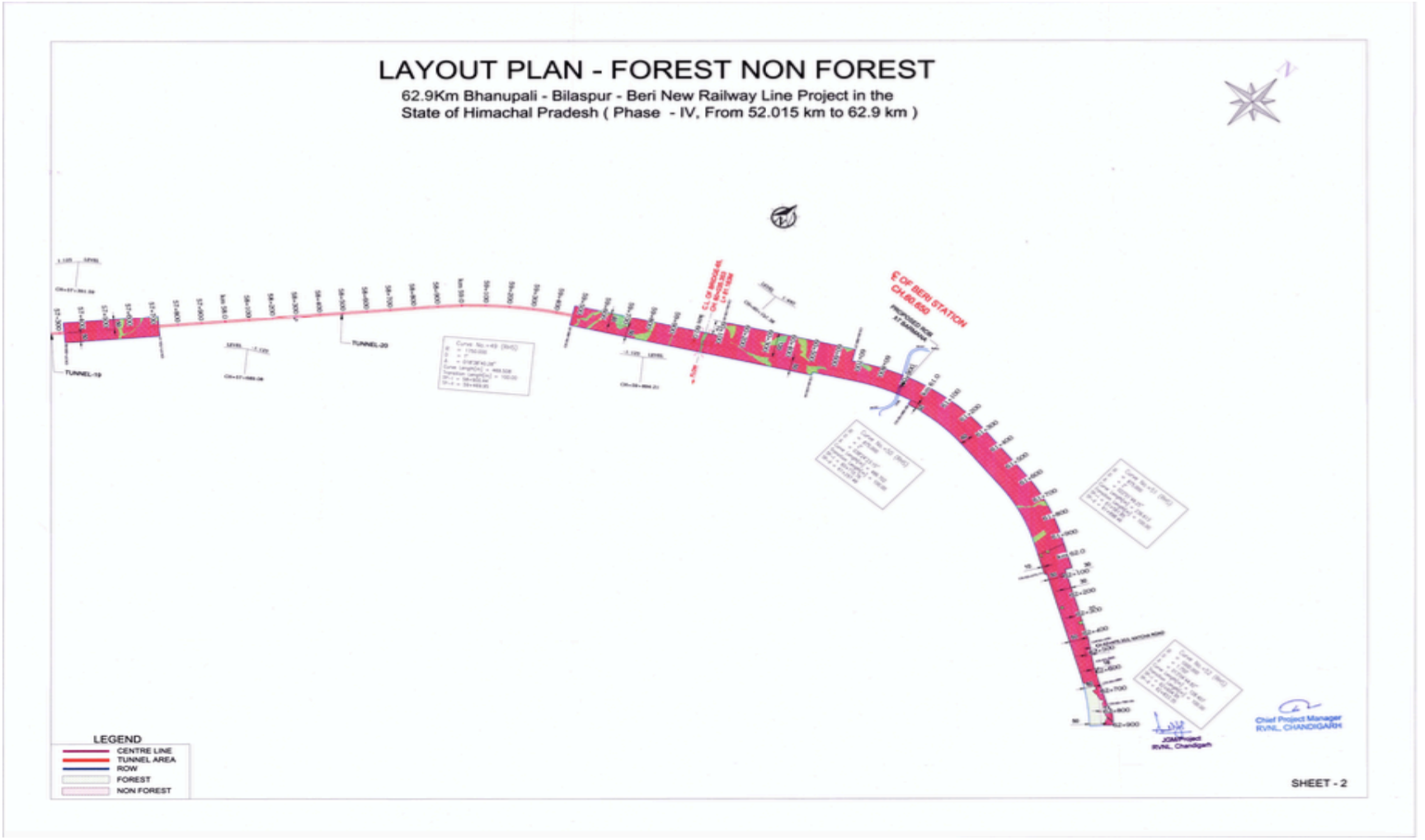

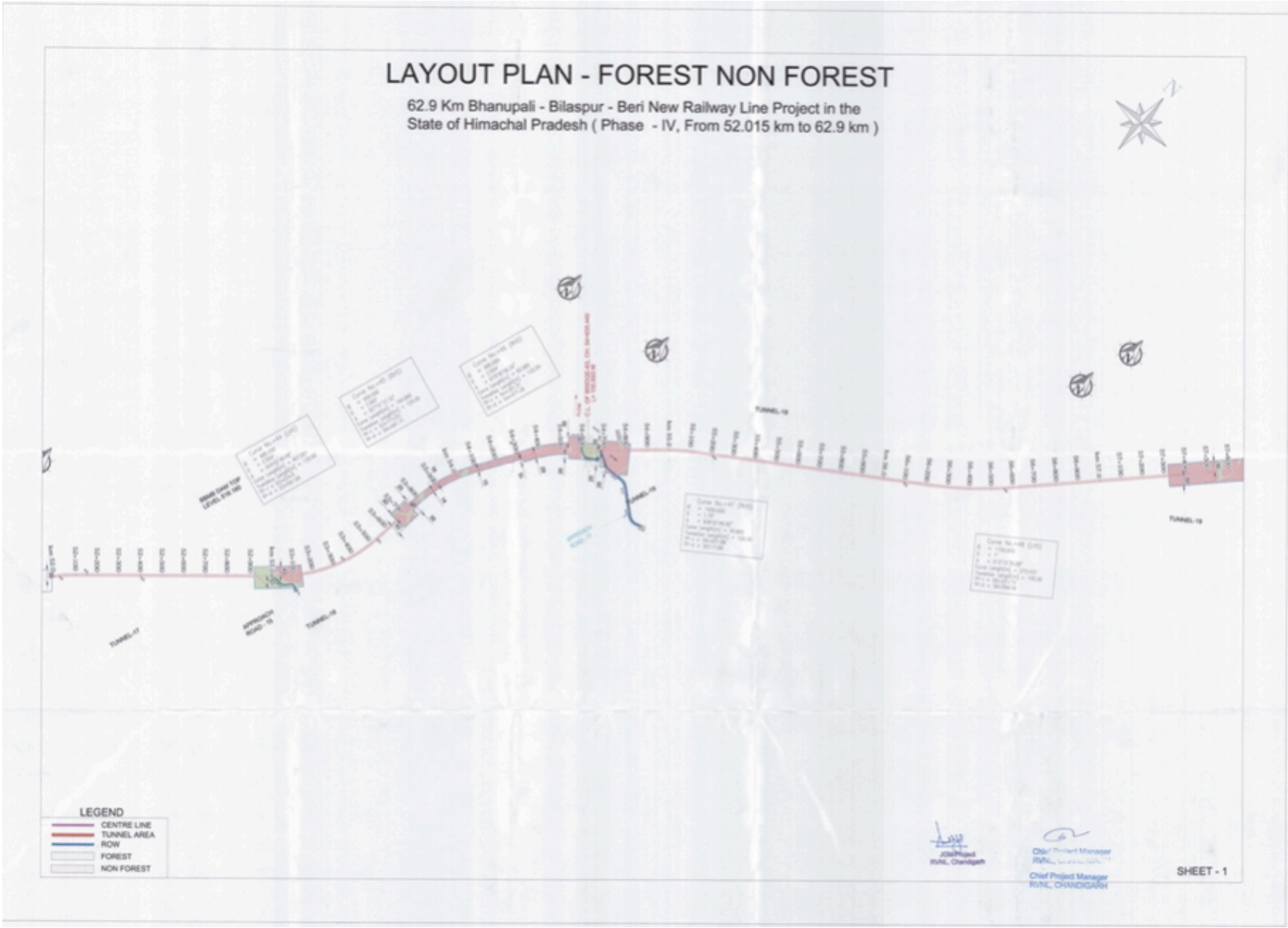
LAYOUT PLAN - FOREST NON FOREST
62.9 Km Bhanupali - Bilaspur - Beri New Railway Line Project in the
State of Himachal Pradesh (Phase - IV, From 52.015 km to 62.9 km)
LEGEND
CENTRE LINE
TUNNEL AREA
ROW
FOREST
NON FOREST
SHEET - 1

3.2 परियोजना के प्रभावों के आधीन पूर्ण प्रभावित क्षेत्र

भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन के लिए कुल 40.54 हेक्टेयर निजी भूमि की आवश्यकता है। नीचे दी गई तालिका प्रभाव के तहत कुल सरकारी और निजी भूमि और इसके इच्छित उपयोग को दर्शाती है:

तालिका 3-2 : विभिन्न परियोजना घटकों के तहत क्षेत्र की आवश्यकता

क्रमांक	घटक	निजी भूमि (हेक्टेयर)
1	रेलवे लाइन	40.24
2	सम्पर्क सड़क	0.30
	Total	**40.54**

3.3 परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता

चयनित भूमि कुल मिलाकर 40.54 हेक्टेयर (लगभग) है। इसमें कुल 10 गांव शामिल हैं। 1109 परिवारों को समायोजित करना। उक्त तीसरा चरण, जिसके लिए वर्तमान में एसआईए आयोजित किया जा रहा है, 11 किमी लंबा है। इस लाइन में कुल 3 सुरंगें प्रस्तावित हैं। जिले में विभिन्न मदों में अधिग्रहित की जा रही भूमि का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3-3 विभिन्न परियोजना घटकों के तहत क्षेत्र की आवश्यकता

	पंचायत	**गाँव का नाम**	**निजी भूमि (हैक्ट)**
बिलासपुर	नोग	नोग कवालु	4.54
	कुडी	बैहली बिल्ला	1.61
		बैहली झलेड़ा	0.30
		भराथु	1.82
	निचली भटेड़	बगड़ी	1.69
	निचली भटेड़	बैरी राजदयाँ	0.03
	बरमाणा	खतेड	15.81
		भटेड़ ऊपरली	7.84
		बरमाणा	6.88

	नाओनी	मंडी	0.2
कुल			40.54

3.4 परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावित पहले से ही खरीदी गई भूमि, अलगअलग-, लीज़ /अर्जित और प्रत्येक भूखंड के लिए प्रस्तावित उपयोग

अपेक्षित निकाय ने परियोजना गतिविधियों के लिए न तो कोई भूमि खरीदी है और न ही पट्टे पर ली है। हालांकि, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का इच्छित उपयोग नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3-4 अर्जित भूमि का उपयोग

	पंचायत	**गाँव का नाम**	**निजी भूमि (हैक्ट)**	**चिन्हित उपयोग**
बिलासपुर	नोग	नोग कवालु	4.54	रेलवे लाइन, सुरंग
	कुडी	बैहली बिल्ला	1.61	रेलवे लाइन, सुरंग
		बैहली झलेड़ा	0.30	कनेक्टिंग रोड
		भराथु	1.82	रेलवे लाइन, सुरंग
	निचली भटेड़	बगड़ी	1.69	रेलवे लाइन
	निचली भटेड़	बैरी राजदयाँ	0.03	रेलवे लाइन, सुरंग
	बरमाणा	खतेड	15.81	रेलवे लाइन
		भटेड़ ऊपरली	7.84	रेलवे लाइन
		बरमाणा	6.88	रेलवे लाइन
	नाओनी	मंडी	0.02	रेलवे लाइन
कुल			40.54	

*स्रोत: रेलवे

3.5 परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान

भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन (तीसरा चरण) बिलासपुर जिले के 10 गांवों में कुल 363 खसरा सहित 40.54 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है। अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान की विस्तृत सूची नीचे दी गई है:

तालिका 3-6: अर्जन के अंतर्गत आ रही भूमि की मात्रा

	पंचायत	**गाँव का नाम**	**निजी भूमि (हैक्ट)**	**भूमि (बीघा में)**
बिलासपुर	नोग	नोग कवालु	4.54	60-6
	कुडी	बैहली बिल्ला	1.61	21-9
		बैहली झलेड़ा	0.30	4-0
		भराथु	1.82	24-3-05
	निचली भटेड़	बगड़ी	1.69	22-9
	बैरी राजदयाँ	बैरी राजदयाँ	0.03	0-7
	बरमाणा	खतेड	15.81	210-2
		भटेड़ ऊपरली	7.84	104-5
		बरमाणा	6.88	91-8
	नाओनी	मंडी	0.2	0-4
कुल			40.54	538-13-05

3.6 भूमि का वर्तमान उपयोग प्रकृति, और वर्गीकरण

10 ग्रामों में अधिगृहीत की जा रही भूमि की स्थिति यथा प्रकृति, वर्तमान उपयोग एवं परियोजना के अन्तर्गत वर्गीकरण इस प्रकार है। अधिकांश भूमि 37.69 है० खेती योग्य है और शेष 2.83 ग़ैर कृषि श्रेणी के अंतर्गत आती है। नीचे दी गई तालिका में खेती और गैर कृषि योग्य भूमि का ग्रामवार विवरण दिया गया है:

तालिका 3-6 अर्जन के तहत भूमि का वर्तमान उपयोग

ज़िला का नाम	**गाँव का नाम**	कृषि योग्य भूमि (है०)	गैर कृषि योग्य भूमि
बिलासपुर	नोग कवालु	4.12	0.42
	बैहली बिल्ला	1.36	0.25
	बैहली झलेड़ा	0.24	0.06
	भराथु	1.82	0.0
	बगड़ी	1.45	0.24
	बैरी राजदयाँ	0.0	0.03
	खतेड	14.23	1.58
	भटेड़ ऊपरली	7.59	0.25
	बरमाणा	6.88	0.0
	मंडी	0.0	0.0
Total		37.69	2.83

3.6.1 सिंचाई क्रम

कृषि पद्धतियाँ सिंचाई की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। प्रस्तावित भूमि कृषि भूमि है इसलिए सिंचित प्रकार है। अधिग्रहण के तहत कुल 40.54 हेक्टेयर भूमि में से केवल 34.49 हेक्टेयर भूमि सिंचित है, और शेष 6.25 हेक्टेयर असिंचित है।

नीचे दी गई तालिका 10 गांवों में अधिग्रहण के तहत गांवों में सिंचित और असिंचित भूमि के वितरण को दर्शाती है:

तालिका 3-7 अर्जन के तहत भूमि का सिचाई क्रम

ज़िला का नाम	पंचायत का नाम	गाँव का नाम	सिंचित (हैo)	असिंचित भूमि	कुल भूमि (हैo)
बिलासपुर	नोग	नोग कवालु	3.12	1.42	4.54
	कुडी	बैहली बिल्ला	1.36	0.25	1.61
		बैहली झलेड़ा	0.24	0.06	0.30
		भराथु	1.82	0	1.82
	निचली भटेड़	बगड़ी	1.45	0.24	1.69
	निचली भटेड़	बैरी राजदयाँ	0.0	0.03	0.03
	बरमाणा	खतेड	14.23	1.58	15.81
		भटेड़ ऊपरली	6.15	1.69	7.84
		बरमाणा	6.10	0.78	6.88
	नाओनी	मंडी	0.0	0.02	0.02
Total			31.62	6.07	40.54

3.7 जोत / भूमी का आकार, स्वामित्व पैटर्न

जिला बिलासपुर के कुल 1109 स्वत्वधारियों/परिवारों में से जिनकी भूमि/संपत्ति परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है, उनमें से 78.8% पुरुष और 21.2% महिलाएं हैं। नीचे दी गई तालिका एकल और संयुक्त मालिकों वाले ग्रामवार खसराओं का वितरण दर्शाती है:

तालिका 3-8 स्वामित्व आकार और पैटर/होल्डिंग

ज़िला का नाम	पंचायत का नाम	गाँव का नाम	खसरो की कुल संख्या	खसरो का कुल क्षेत्र (हैo)	एकल मालिकों वाले खसरों की संख्या	संयुक्त मालिकों वाले खसरों की संख्या	शीर्षक धारकों की कुल संख्या
	नोग	नोग कवालु	62	4.54	9	53	98
	कुडी	बैहली बिल्ला	26	1.61	1	25	40

बिलासपुर		बैहली झलेड़ा	3	0.30	0	3	16
		भराथु	29	1.82	4	25	76
	निचली भटेड़	बगड़ी	5	1.69	0	5	45
	निचली भटेड़	बैरी राजदयाँ	1	0.03	0	1	3
	बरमाणा	खतेड	119	15.81	9	110	404
		भटेड़ ऊपरली	83	7.84	11	72	299
		बरमाणा	34	6.88	2	32	127
	नाओनी	मंडी	1	0.2	1	0	1
कुल			363	40.54	37	326	1109

**स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग*

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, अधिग्रहण के तहत 10 गांवों में कुल 363 खसरो में से 37 खसरो के एकल मालिक हैं और 326 खसरो के संयुक्त मालिक हैं।

तालिका 3-9 स्वामित्व का पैटर्न/क्रम

क्रमांक	ज़िला	कुल मालिक	संयुक्त मालिक	एकल स्वामित्व
1	बिलासपुर	1109	1072	37

**स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग*

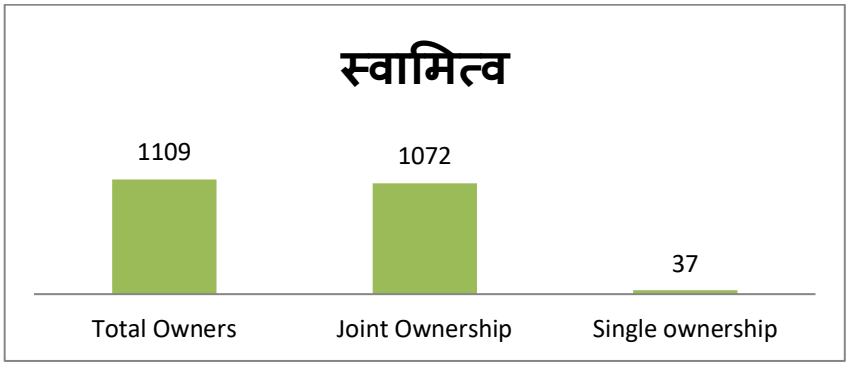

संपूर्ण परियोजना क्षेत्र में छोटी जोत की प्रधानता है। जोत का औसत आकार 0.054 हेक्टेयर है।

3.8 भूमि वितरण और आवासीय मकानों की संख्या

बिलासपुर जिले में प्रस्तावित रेल लाइन के (चरण 3) 11 किमी लंबे खंड में कुल 1109 शीर्षक धारक हैं। बीबीबी न्यू ब्राड गेज रेलवे लाइन परियोजना के लिए कुल 40.54 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 363 खसरा का अधिग्रहण किया जा रहा है। 238 आवासीय मकान अधिग्रहण के दायरे में आ रहे हैं। प्रस्तावित अधिग्रहण से 136 पीएएफ बेघर हो रहे हैं।

नीचे दी गई तालिका सभी गाँवों में भूमि का विस्तृत वितरण (गाँववार) देती है:

तालिका 3-10 भूमि वितरण और आवासीय घरों की संख्या

ज़िला का नाम	पंचायत का नाम	गाँव का नाम	खसरो की कुल संख्या	शीर्षक धारकों की कुल संख्या	अधिग्रहण के तहत आवासीय संरचनाएं	संयुक्त मालिकों वाले खसरों की संख्या	कुल भूमि (हेक्टेयर)
बिलासपुर	नोग	नोग कवालु	62	62	98	5	4.54
	कुडी	बैहली बिल्ला	26	26	40	8	1.61
		बैहली झलेड़ा	3	3	16	-	0.30
		भराथु	29	29	76	1	1.82

	निचली भटेड़	बगड़ी	5	5	45	11	1.69
	निचली भटेड़	बैरी राजदयाँ	1	1	3	-	0.03
	बरमाणा	खतेड	119	119	404	139	15.81
		भटेड़ ऊपरली	83	83	299	49	7.84
		बरमाणा	34	34	127	25	6.88
	नाओनी	मंडी	1	1	1	-	0.2
कुल			363	413	1109	238	40.54

नाम, फोन नंबर और संपत्ति के विवरण के साथ मौजा वार व्यक्तियों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है। स्रोत: एसआईए सर्वेक्षण, स्थानीय प्रशासन और रेलवे

3.8.1 सम्पति नुक्सान की किस्मे

कुछ सार्वजनिक संपत्तियां हासिल की जा रही हैं जैसे पुलिस थाना, ट्रांसमिशन टॉवर, आंगनवाड़ी, सामुदायिक हॉल आदि। परियोजना के उद्देश्य के लिए, कुल 1109 शीर्षक धारकों में से 871 (78.5%) स्वामित्व धारक संपत्ति के रूप में केवल भूमि खो रहे हैं जबकि केवल 238 शीर्षक धारक हैं भूमि और संरचना दोनों खो रहे हैं। प्रस्तावित अधिग्रहण से 136 पीएएफ बेघर हो जाएंगे।

तालिका 3-11: सम्पति हानि के प्रकार

ज़िला का नाम	पंचायत का नाम	गाँव का नाम	केवल भूमि खोने वाले शीर्षकधारक	भूमि और संरचना खोने वाले शीर्षक धारक	बेघर हो रहे पीएएफ
	नोग	नोग कवालु	98	5	3
	कुडी	बैहली बिल्ला	40	8	7
		बैहली झलेड़ा	16	-	-

बिलासपुर		भराथु	76	1	-
	निचली भटेड़	बगड़ी	45	11	11
	बैरी राजदयाँ	बैरी राजदयाँ	3	-	-
	बरमाणा	खतेड	404	139	81
		भटेड़ ऊपरली	299	49	20
		बरमाणा	127	25	14
	नाओनी	मंडी	1	-	-
कुल			1109	238	136

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से निजी और सार्वजनिक संपत्ति जैसे व्यक्तिगत आवास संरचना, पशु शेड, आंगनवाड़ी, भूतपूर्व सैनिक निगम का कार्यालय, सार्वजनिक शौचालय, पूर्व सैनिक परिवहन संघ कार्यालय, पुलिस थाना संरचना, और भी नुकसान होगा। सामुदायिक अधिकारों और संसाधनों जैसे जल स्रोत, वन, चरागाह आदि।

कुल 238 आवासीय ढांचों, 39 व्यावसायिक संरचनाओं, 54 गौशालाओं को निजी संपत्ति के रूप में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। अधिग्रहण के तहत भूमि से जुड़ी अन्य संपत्तियों में कुल 15,174 फलदार पेड़, 35,921 गैर-फल वाले पेड़ हैं।

3.9 भूमि की कीमतें और हाल ही में स्वामित्व और हस्तांतरण में परिवर्तन

वर्ष 2021-22 के सर्किल रेट राजस्व विभाग से निम्नांकित श्रेणियों के लिए प्राप्त किये गये थे:

1. श्रेणी-I (0-100 मीटर): संपत्ति/भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके हिस्से का कोई बिंदु सड़क से 100 मीटर की दूरी तक स्थित है।
2. श्रेणी-II(>100 मीटर): संपत्ति/भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके हिस्से का कोई बिंदु ऐसी सड़क से > 100 मीटर से अधिक की दूरी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य सड़कों से विभिन्न दूरी पर स्थित दो श्रेणियों अर्थात श्रेणी- I (0-100 मीटर) और श्रेणी- II (> 100 मीटर) भूमि के लिए विभिन्न दरें उपलब्ध हैं। संबंधित पटवार सर्कल

के अंतर्गत विभिन्न गांवों में खेती और गैर-खेती भूमि की कीमतें नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत की गई हैं। प्रस्तुत सर्किल दरें पिछले तीन वर्षों में प्रचलित दरों में सबसे अधिक हैं।

तालिका : 3-12 वर्ष 2021-22 . की अवधि के लिए परियोजना क्षेत्र की सर्किल दरें

क्रमांक	पटवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षेत्र इकाई	सर्किल दरें					
					Category-I(0-100 mtr)			**Category-II(>100 mtr)**		
					NH	SH	OH	NH	SH	OH
	देवली	नोग	नोग कवालु	बीघा			11,66,660			5,71,420
	कुडी	कुडी	बैहली बिल्ला	बीघा	41,16,660			8,90,000		
			बैहली झलेड़ा	बीघा	41,16,660			8,90,000		
			भराथु	बीघा			11,66,660			2,50,000
	कुडी	निचली भटेड़	बगड़ी	बीघा			11,66,660			2,50,000
	लघाट	बैरी राजदयाँ	बैरी राजदयाँ	बीघा	98,33,333			8,90,000		
		बरमाणा	खतेर	बीघा	98,33,333			8,90,000		
			भटेड़ ऊपरली	बीघा	98,33,333			8,90,000		
			बरमाणा	बीघा	98,33,333			8,90,000		
	लखनपुर	नाओनी	मंडी	बीघा			11,66,660			5,71,428

**स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग*

एसआईए टीम को पता चला कि इलाके में कुछ जमीन की बिक्री दर्ज की गई है । हालांकि सर्वेक्षण के दौरान एचपी एसआईएयू द्वारा प्रदान की गई सूची की तुलना में कोई स्वामित्व परिवर्तन नहीं पाया गया, किसी भी भूमि मालिक की मृत्यु के मामले में एकमात्र अपवाद है, भूमि का स्वामित्व अपने आप उनके बच्चों / पत्नी को हस्तांतरित हो गया है। स्वामित्व में ये परिवर्तन आज तक राजस्व विभाग के पास दर्ज नहीं किए गए हैं।

कई वर्तमान जमींदारों ने साझा किया कि अपनी बहन/बहनों की शादी के बाद, भाई जमीन के व्यावहारिक मालिक हैं क्योंकि वे भूमि की रक्षा कर रहे हैं और कृषि उत्पादों का उत्पादन भी कर रहे हैं। कई उत्तरदाताओं के अनुसार, यह उनकी आजीविका के मुख्य स्रोतों में से एक है और भूमि को और विभाजित करने से वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी साझा किया कि बहनें अपने वैवाहिक परिवार की भूमि पर खेती में लगी हुई हैं। हालांकि कई मामलों में, बहनों ने मौखिक रूप से अपने भाइयों को स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया है, लेकिन कोई भी हस्तांतरण राजस्व विभाग के पास पंजीकृत नहीं है।

4 प्रभावित परिवारों और आस्तियों का अनुमान और गणना

4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति

40.54 हेक्टेयर निजी भूमि का प्रस्तावित अधिग्रहण बिलासपुर जिले की 6 पंचायतों के 10 गांवों के 1109 परिवारों को सीधे प्रभावित कर रहा है। प्रत्येक गांव में अधिग्रहण से सीधे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या की सूची नीचे दी गई है:

तालिका 4-1: परियोजना से सीधे प्रभावित परिवार (*PAFs*)

Name of Distt.	पंचायत	गाँव	शीर्षक धारकों की कुल संख्या	**खसरो का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**	**संपर्क किए गए जमींदारों की संख्या**	**6 प्रभावित पंचायतों की कुल जनसंख्या में भू-स्वामी का %**
Bilaspur	नोग	नोग कवालु	98	4.54	82	83%
	कुडी	बैहली बिल्ला	40	1.61	31	77.5%
		बैहली झलेड़ा	16	0.30	12	75%
		भराथु	76	1.82	61	80%
	निचली भटेड़	बगड़ी	45	1.69	34	75.5%
	बैरी राजदयाँ	बैरी राजदयाँ	3	0.03	3	100%
	बरमाणा	खतेर	404	15.81	386	95%

		भटेड़ ऊपरली	299	7.84	268	89.6%
		बरमाणा	127	6.88	118	92%
	नाओनी	मंडी	1	0.2	1	100%
कुल			1109	4.54	996	89%

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार दो परिवारों ने प्रस्तावित अधिग्रहण से पूर्णतय: भूमिहीन होने का दावा किया है ।

** नोट: यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि, भूमि को खोने वाले लोगों उनकी 100% भूमि हानि/ आंशिक भूमि हानि/आश्रय की हानि का अंतिम आकलन राज्य सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए*

4.2 किराएदार / क़ब्ज़ाधारी

बहली बिल्ला गांव में 0.34 हेक० बीघा सरकारी भूमि निजी/ संस्थाओं के पास लीज पर है जहां बलुआ पत्थर बजरी के खनन के लिए खनन कार्य किया जा रहा है। यह खनन कार्यों से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसर को प्रभावित कर सकता है। यह पट्टेदार प्रस्तावक को जमीन के पट्टे के अनुदान के दौरान उसके द्वारा भुगतान किए गए पट्टे के पैसे के लिए अपने आर्थिक संचालन को खोने के साथ भी प्रभावित कर सकता है।

4.2.1 जनजाति और पारंपरिक वन निवासी

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, लोगों ने बताया कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी आसपास की वन भूमि से ईंधन और चारा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और उनकी पशुपालन की कमाई वन भूमि पर निर्भर है। यद्यपि परियोजना के उद्देश्य के लिए उनके आसपास के कुछ वन भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन इससे पास के जंगल तक पहुंच प्रभावित होगी। चूंकि अधिग्रहित की जा रही वन भूमि सीमांत है, लेकिन इससे पहुंच के मुद्दे प्रभावित होंगे जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

4.2.2 सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता

साक्षात्कार के दौरान अधिकांश एफजीडी को डर था कि सामान्य संपत्ति संसाधनों के अधिग्रहण से उनका पारंपरिक चारा, ईंधन और चरागाह खत्म हो जाएगा और उन्हें मवेशियों और अन्य घरेलू दुधारू पशुओं को

पालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आजीविका के अवसर कम हो जाएंगे। सर्वेक्षण के दौरान अधिकांश ग्रामीणों ने अधिग्रहित की जा रही वन भूमि पर अपनी निर्भरता की सूचना दी।

4.2.3 राज्य सरकार द्वारा दी गई भूमि

परियोजना प्रभावितों में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें राज्य सरकार ने अपनी किसी भी योजना के तहत (नौ तोड़ आदि) जमीन सौंपी हो और ऐसी जमीन अर्जन के तहत आ रही हो, परंतु एक व्यक्ति को सरकारी भूमि रेट, बजरी व रोड़ी निकालने के लिए लीज़ पर दी गयी है।

4.2.4 आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता

कुल 40.54 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के तहत 37.69 हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है और केवल 34.47 हेक्टेयर भूमि सिंचित है। इस कृषि योग्य भूमि के सभी मालिकों ने साझा किया कि वे अधिग्रहण से पहले 3 वर्षों से अधिक समय से कृषि से अपनी आजीविका का हिस्सा अर्जित कर रहे हैं।

4.3 उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की सूची

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एसआईए टीम द्वारा पीएपी के साथ उपलब्ध संपत्तियों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई थी जैसे वाहन, घरेलू उपकरण, उनकी भूमि पर उपयोगिताओं, पशुधन, पेड़ इत्यादि। उपलब्ध संपत्तियों की स्थिति न केवल क्षेत्र में जीवन स्तर को इंगित करती है बल्कि यह है पीएपी की सामर्थ्य का एक संकेतक भी। नीचे विभिन्न उपलब्ध संपत्तियों की एक विस्तृत सूची दी गई है, जिसमें 996 उत्तरदाता परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं।

तालिका : 4-2 उत्पादक आस्तियों की सूची

S. No	Category	Description	No. Of PAPs
1.	व्यावसायिक वाहन	ट्रक/टैक्सी/पिक अप	128
2.	निजी वाहन	बाइक/स्कूटर/कार	54
3.	घरेलू उपकरण	फ्रिज	811
4.		वॉशिंग मशीन	587
5.		सीलिंग फैन	912
6.		एयर कंडीशनर	158
9.		टीवी	758

S. No	Category	Description	No. Of PAPs
11.		कम्प्यूटर	126
12.		मोबाइल फोन	1789
13.		माइक्रोवेव ओवन	35
14.		गीज़र	80

**स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण*

प्रस्तावित अधिग्रहण से लगभग 15,174 फलदार पेड़ प्रभावित हो रहे हैं और लगभग 35921 गैर फलदार पेड़ अधिग्रहण के प्रभाव में हैं।

तल्लिका 4-3 भूमि पर आस्तियों की सूची

S. No.	Utilities on Land	Under Impact (In Nos.)
1.	फलों वाले पेड़ों की संख्या	15174
2.	गैर-फल देने वाले पेड़ों की संख्या	35921
3.	गौशाला	220
4.	पानी की टंकी	350
5.	पानी की पाइपलाइन	200 मी0
6.	बिजली के खम्बे	202
7.	ट्रांसमिशन टावर	8
8.	पुलिस थाना	2
9.	पशु औषधालय	1
10.	सामुदायिक भवन	1

* *स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*

नीचे दी गई तालिका परियोजना क्षेत्र में PAPs के स्वामित्व वाले सभी पशुधन को सूचीबद्ध करती है।

तालिका 4-4: पशुधन की सूची

पशुधन	संख्या
गाय	250

भैंस	52
बकरी	120
पोल्ट्री पक्षी	32

* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि पीएपी पशुपालन प्रथाओं में शामिल हैं जो जंगल, चरागाहों पर उनकी निर्भरता पैदा करते हैं।

5 सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल

5.1 परियोजना गांवों में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण

भारत की 2011 की जनगणना के बाद, पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है, इसलिए डेटा संबंधित पंचायतों के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल की वास्तविक तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। इसलिए एसआईए की टीम ने पंचायत रिकॉर्ड से आंकड़े जुटाए। आगामी भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन के लिए जिन 6 पंचायतों में भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनकी कुल जनसंख्या 15,910 है और कुल घरों की संख्या 4,348 है। इन गांवों की कुल आबादी में 7963 (50.05%) महिलाएं हैं और 7947 (49.95%) पुरुष हैं। घरों और जनसंख्या का विस्तृत वितरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 5-1परियोजना क्षेत्र का जनसांख्यिकीय विवरण :

ज़िला	क्रमांक	पंचायत	कुल पुरुष	कुल महिलाएँ	कुल जनसंख्या	कुल परिवार
बिलासपुर	१	नोग	642	622	1264	309
	२	कुडी	1199	1189	2388	668
	३	निचली भटेड़	2038	2031	4069	1063
	४	बैरी राजदयाँ	1231	1247	2478	786
	५	बरमाणा	1548	1649	3197	865
	६	नाओनी	1289	1225	2514	657
Grand Total			7947	7963	15910	**4348**

*स्रोत: पंचायत रिकॉर्ड, *2022*

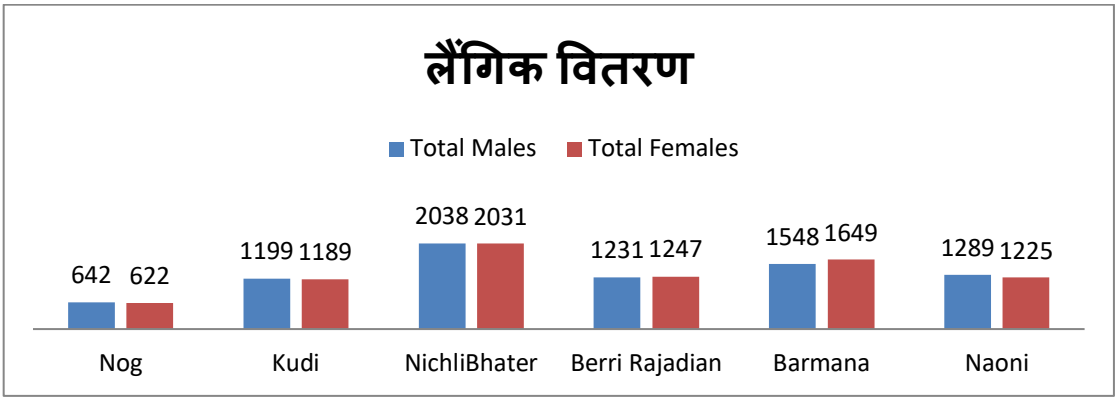

5.1.1 परियोजना प्रभावित लोगों का जनसांख्यिकीय विवरण

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, आगामी भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण किए जा रहे 10 गांवों के 1109 परियोजना प्रभावित परिवारों की कुल आबादी 4690 है। कुल 4690 लोगों में से 2453 (52%) पुरुष और 2237 (52%) हैं। 48%) महिलाएं हैं। घरों और जनसंख्या का विस्तृत वितरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 5-2: परियोजना प्रभावित लोगों की गणना

ज़िला का नाम	पंचायत का नाम	गाँव का नाम	पुरुष	महिलाएँ	कुल जोड़	परिवारों की संख्या
बिलासपुर	नोग	नोग कवालु	210	182	392	98
	कुडी	बैहली बिल्ला	96	81	177	40
		बैहली झलेड़ा	39	29	68	16
		भराथु	161	145	306	76
	निचली भटेड़	बगड़ी	124	98	222	45
	बैरी राजदयाँ	बैरी राजदयाँ	5	3	8	3
	बरमाणा	खतेर	946	845	1791	404
		भटेड़ ऊपरली	602	598	1200	299
		बरमाणा	269	254	523	127

	नाओनी	मंडी	1	2	3	1
कुल			2453	2237	4690	1109

**स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण.*

लिंग अनुपात

प्राथमिक सर्वेक्षण और पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार परियोजना क्षेत्र में पीएपी के बीच प्रति 1000 पुरुष पर 954 महिलाएं हैं। बाल जनसंख्या का पंचायतवार विस्तृत वितरण नीचे दिया गया है:

तालिका 5-3: परियोजना क्षेत्र में बाल जनसंख्या

ज़िला	क्रमांक	पंचायत	पुरुष	महिलाएँ	कुल
Bilaspur		नोग	182	175	357
		कुडी	254	247	501
		निचली भटेर	490	486	976
		बैरी राजदियाँ	4	3	7
		बरमाना	148	118	266
		नाओनी	1	1	2
कुल			1079	1030	2109

**स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण.*

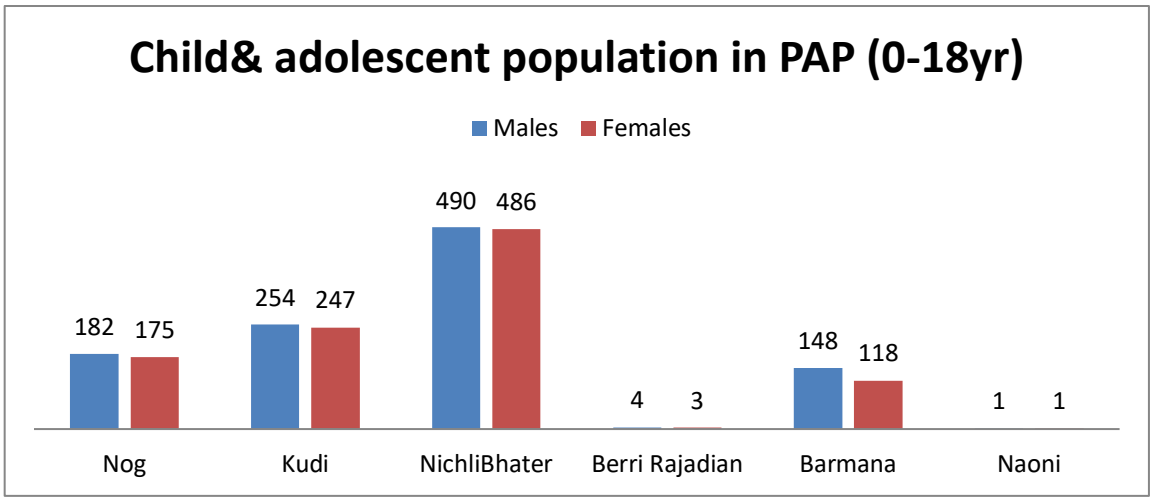

5.1.2 सामाजिक समूह

प्राथमिक सर्वेक्षण और पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार, 6 प्रभावित पंचायतों में कुल 5398 अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, जिनमें से 2718 पुरुष और 2680 महिलाएं हैं। इन पंचायतों में कुल 259 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, जिनमें 130 पुरुष और 129 महिलाएं हैं। कुल ओबीसी जनसंख्या (560) में 293 पुरुष और 267 महिलाएं शामिल हैं।

तालिका 5-4: परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जन जाति व अन्य पिछड़ी जाति की जनसंख्या

पंचायत	कुल गाँव	अनु जाति		अनु जाति कुल	अनु जन जाति		अनु जन जाति कुल	अन्य पिछड़ी जाति		अन्य पिछड़ी जाति कुल
		पु०	म०		पु०	म०		पु०	म०	
नोग	5	226	220	446	26	27	53	20	19	39
कुडी	7	408	395	803	94	93	187	39	38	77
निचली भटेर	5	717	734	1451	0	0	0	7	4	11
बैरी राजदियाँ	13	194	183	377	0	0	0	98	92	190
बरमाना	5	559	616	1175	10	9	19	94	94	188
नाओनी		614	532	1146	0	0	0	35	20	55
	35	2718	2680	5398	130	**129**	259	293	267	560

**स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण.*

5.1.3 साक्षरता

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 83% है और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण की साक्षरता दर 82% है। नीचे दी गई तालिका में साक्षरता की स्थिति का विस्तृत ग्रामवार वितरण है:

तालिका 5-5: परियोजना क्षेत्र में साक्षरता स्थिति

ज़िला	क्र स	पंचायत	साक्षर		
			पुरुष	महिलाएँ	कुल
Bilaspur	1	नोग	87.20%	74.09%	80.81%
	2	कुडी	89.29%	76.83%	83.13%
	3	निचली भटेर	84.54%	78.23%	81.38%
	4	बैरी राजदियाँ	93.10%	81.16%	87.02%
	5	बरमाना	93.16%	77.19%	85.28%
	6	नाओनी	88.45%	76.67%	82.56%
कुल जोड़			**89.29%**	**77.36%**	**83.56%**

**स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण.*

5.1.3.1 PAPs की साक्षरता स्थिति

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, 41% हाई स्कूल पास आउट हैं, 20% इंटरमीडिएट पास आउट हैं, उनमें से 28% स्नातक और उससे ऊपर हैं, हालांकि 11% पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं हैं

5.1.3.2 स्वास्थ्य एवं पोषण

क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं क्योंकि सभी पंचायतें सड़क से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। कुल 4 उपकेंद्र सभी 6 पंचायतों के निवासियों को विभिन्न टीकाकरण सेवाओं सहित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरमाना में और दूसरा नौनी पंचायत में कार्यरत है जो पूरे परियोजना क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है। जोनल अस्पताल बिलासपुर, बरमाना पंचायत को छोड़कर प्रत्येक पंचायत से लगभग 14 किमी दूर है जो उक्त अस्पताल से 22 किमी दूर है। बिलासपुर के पास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) (कोठीपुरा) पास में स्थित है जहां ओपीडी सेवाएं शुरू की गई हैं, जो परियोजना क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का काम भी करेगी। इसके अलावा, राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य संकेतक राष्ट्रीय संकेतकों की तुलना में बेहतर हैं।

परियोजना क्षेत्र की 6 पंचायतों में 41 आंगनबाडी हैं। आंगनवाड़ी का उद्देश्य पोषण और संबंधित सेवाएं प्रदान करना है अर्थात (i) पूरक पोषण; (ii) प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा; (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा; (iv) टीकाकरण; (v) स्वास्थ्य जांच; और (vi) रेफरल सेवाएं। ये लक्षित लाभार्थियों अर्थात परियोजना क्षेत्र

में 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान किए जा रहे हैं।

आंगनबाडी सेवाओं के तहत 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं सेवाओं के लिए पात्र हैं। आंगनवाड़ी सेवाएं एक स्व-चयनित योजना है और पूरक पोषण या पूर्व-विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा के लाभार्थियों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वर्तमान में कुल 41 आंगनबाड़ी क्षेत्र में पात्र आबादी को पोषण सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आंगनबाड़ियों का पंचायतवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्रमांक	पंचायत	आंगनवाड़ी की संख्या
1	नोग	5
2	कुडी	5
3	निचली भटेड	9
4	बेरी राजदयाँ	7
5	बरमाना	9
6	नाओनी	6

5.2 आर्थिक प्रोफ़ाइल

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, परियोजना प्रभावित पंचायतों में कुल 15910 लोगों में से, 13801 (86.74%) कुल कार्यबल (मुख्य + सीमांत) है। इस कार्यबल में से 7268 (52.66%) पुरुष हैं और 6533 (48.03%) महिलाएं हैं।

तालिका 5-6 परियोजना क्षेत्र कार्य बल

ज़िला	क्र स	पंचायत	कुल जनसंख्या	कुल कार्यबल		
				पुरुष	महिलायें	कुल
बिलासपुर	1	नोग	1264	460	447	907
	2	कुडी	2388	945	942	1887
	3	निचली भटेर	4069	1948	1145	3093
	4	बैरी राजदियाँ	2478	1227	1244	2471
	5	बरमाना	3197	1400	1531	2931
	6	नाओनी	2514	1288	1224	2512
कुल जोड़			15910	7268	6533	13801

**स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*

5.3 आय और गरीबी स्तर

एसीसी सीमेंट कारखाने के पास के गाँव या तो इस कारखाने में कार्यरत हैं या परिवहन क्षेत्र से संबद्ध व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। कारखाने में रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ इन व्यावसायिक गतिविधियों में अधिकांशत: आस-पास की 2 पंचायतों के लोग शामिल हैं। अन्य पंचायतों के लोग या तो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में शामिल हैं और सेवा क्षेत्र में भी शामिल हैं, ज्यादातर युवा क्षेत्र से बाहर हो रहे हैं। 6 पंचायतों के कुल 4348 घरों में से 595 बीपीएल परिवार हैं।

5.4 दुर्बल समूह

कमजोर समूह वे समूह हैं जो किसी भी परिस्थिति में कमजोर होंगे (उदाहरण के लिए जहां वयस्क विकलांगता, बीमारी, उम्र, लिंग या किसी अन्य विशेषता के कारण परिवार के लिए पर्याप्त आजीविका प्रदान करने में असमर्थ हैं), और ऐसे समूह जिनके संसाधन बंदोबस्ती अपर्याप्त है किसी भी उपलब्ध स्रोत से पर्याप्त आय प्रदान करने के लिए।

भेदभाव का सामना करने वाले कमजोर समूहों में शामिल हैं- महिलाएं, वृद्धावस्था, शारीरिक और मानसिक विकलांगता, किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित लोग आदि। कभी-कभी प्रत्येक समूह को अपनी कई कमजोरियों के कारण कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, पितृसत्तात्मक समाज में, विकलांग महिलाओं को महिला होने और विकलांग होने के दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

नीचे दी गई सारणी परियोजना क्षेत्र में कमजोर घरों / व्यक्तियों की स्थिति को सारांशित करती है:

नीचे दी गई तालिका परियोजना क्षेत्र में कमजोर परिवारों/व्यक्तियों की स्थिति को सारांशित करती है:

तालिका 5-7: परियोजना दुर्बल समूह

क्रमांक	कमजोर वर्ग	कुल PAPs	शीर्षक धारकों	ग़रीबी रेखा से नीचे
1.	महिला प्रधान घराने	236	236	32
2.	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा संचालित घर	33	15	1
3.	BPL परिवारों	72 परिवार	50	72
4.	विधवा महिला	236	236	32
5.	तलाकशुदा महिला	--	-	-
6.	दिव्यांग महिलाएँ	-	-	-
7.	दिव्यांग पुरुष	-	-	-
8.	पोलियो से पीड़ित लोग	-	-	-
9.	पक्षाघात से पीड़ित लोग	-	-	-
10.	अन्य प्रमुख बीमारी से पीड़ित लोग	-	-	-
11.	एससी वर्ग	110 परिवार	110	12
12.	बुजुर्ग व्यक्तियों			

कुल 1109 पीएपी परिवारों में से 236 (21.28%) महिलाओं के नेतृत्व में हैं और शीर्षक धारक भी हैं। परियोजना क्षेत्र में 33 (0.029%) परिवारों का नेतृत्व एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति करता है। साथ ही, पीएएफ में 149 (0.13%) बीपीएल श्रेणी के हैं, जिनमें से 127 टाइटल होल्डर हैं।
236 महिलाएं विधवा हैं और टाइटलहोल्डर भी हैं, 110 पीएएफ एससी कैटेगरी के हैं, वे भी टाइटलहोल्डर हैं।

5.5 भूमि उपयोग और आजीविका

अधिग्रहण के तहत कुल 40.54 हेक्टेयर भूमि में से 37.69 हेक्टेयर (92.96%) भूमि पर खेती की जाती है और 2.85 हेक्टेयर (7.03%) भूमि पर खेती नहीं की जाती है। अधिग्रहण के तहत कुल भूमि का केवल 34.49 हेक्टेयर (85.02%) सिंचित है और शेष 6.25 हेक्टेयर (15.41%) असिंचित है। नीचे दी गई तालिका में अधिग्रहण के तहत खेती की गई / असिंचित और सिंचित / असिंचित भूमि का वितरण है:

तालिका 5-8 परियोजना क्षेत्र में भूमि का उपयोग

अर्जन के तहत निजी भूमि का क्षेत्रफल (हे)						
District	खेती	बंजर	कुल	सिंचित	गैर-सिंचित	कुल
Bilaspur	37.69	2.85	40.54	31.62	6.07	37.69

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

एक अर्थव्यवस्था का फसल पैटर्न एक निश्चित समय पर किसानों द्वारा विभिन्न फसलों को दिए गए सापेक्ष महत्व को दर्शाता है। एक क्षेत्र में फसल पैटर्न सीमित भूमि संसाधनों के साथ-साथ आर्थिक, संस्थागत, ढांचागत और तकनीकी कारकों में परिवर्तन के अनुसार बदलता है। परियोजना क्षेत्र में कुल पीएपी में से लगभग 91% अपनी भूमि का उपयोग खेती के लिए कर रहे हैं जो उनकी आजीविका का एक स्रोत भी है। इन 91% में से लगभग 93% मौसम के अनुसार बहु-फसल में शामिल हैं। पीएपी द्वारा विभिन्न मौसमों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 5-9 परियोजना क्षेत्र में प्रमुख फसलें

क्र.सं.	मौसम	फसल का नाम	शामिल पीएपी का %
कृषि			
1	रबी	जौ और गेहूं	94.64%
2		सब्जियां/अन्य खाद्य फसलें	0.78%
3		तिलहन	0.00%
4	ख़रीफ़	दलहन / तिलहन	0.09%
5		सब्जियां/अन्य खाद्य फसलें	0.00%
8		मक्की	0.00%

रबी सीजन (अक्टूबर से फरवरी) की प्रमुख फसलें गेहूं और तेल के बीज हैं। खरीफ के मौसम (जुलाई से सितंबर) में मक्का, दालें, तेल के बीज और सब्जियाँ उगाई जाती हैं।

5.6 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

अधिकांश स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ कृषि और संबद्ध सेवाओं से संबंधित हैं। लोग दिन-प्रतिदिन की कमाई के लिए सेवा क्षेत्र, मनरेगा योजना और अन्य निजी लघु व्यवसाय में भी लगे हुए हैं। कुल 1109 पीएएफ में से, 1020 (92%) पीएएफ खेती में शामिल हैं, 224 परिवारों में सरकारी क्षेत्र में भी व्यक्ति हैं, 340 परिवारों के पास मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड हैं और परिवार के व्यक्ति योजना के तहत काम कर रहे हैं, 272 पीएएफ में ऐसे व्यक्ति हैं जो हैं निजी क्षेत्र में काम करने वाले 176 परिवारों के लोगों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने वाले व्यक्ति हैं और 97 परिवारों के व्यक्ति दुकानदार, ड्राइवर, कारखाने के कर्मचारी, विक्रेता, निर्माण श्रमिक सहित कुछ अन्य काम कर रहे हैं। परियोजना क्षेत्र में मुख्य आर्थिक गतिविधियों की सूची नीचे दी गई है।

5.7 ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

कई सामाजिक और प्राकृतिक कारक जैसे शिक्षा, लिंगानुपात, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कृषि-जलवायु परिस्थितियों, एक क्षेत्र की संस्थागत स्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, पड़ोसी क्षेत्रों से संपर्क सहित आजीविका के विकल्पों और विकल्पों की उपलब्धता स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं।

एक क्षेत्र की कृषि संरचना भूमि के स्वामित्व और संचालन के संबंध में किसानों की विभिन्न श्रेणी की सापेक्ष स्थिति का वर्णन करती है। चूंकि भूमि PAPs की एक महत्वपूर्ण आय पैदा करने वाली संपत्ति के रूप में बनती है, भूमि धारण पद्धति के कारण कृषि संरचना में बदलाव, सापेक्ष समृद्धि या परियोजना गांवों के विभिन्न वर्गों के ह्रास को दर्शाता है।

चूंकि 92% भूमि पर खेती की जाती है और सिंचाई की सुविधा अच्छी है (85% भूमि सिंचित कृषि है) इसलिए लगभग 85% लोग अन्य सेवाओं के अलावा कृषि गतिविधियों में शामिल हैं। पशुपालन गतिविधि भी आय सृजन का एक स्रोत है।

ऐसी स्थिति में जब भूमि का क्षेत्रफल कम या ज्यादा होता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और विकास प्रक्रिया कृषि से गैर-कृषि तक बढ़ती जनसंख्या के अनुपातिक हस्तांतरण का कारण नहीं बनती है, तो कृषि पर निर्भर व्यक्तियों और परिवारों की पूर्ण संख्या अनिवार्य रूप से बढ़ जाएगी । इससे विकास के दौरान सीमांत किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या में समानुपातिक वृद्धि होगी। वास्तव में, दी गई संरचना उस क्षेत्र के लिए एक पूर्व शर्त निर्धारित करती है जिस क्षेत्र में उत्पादक संसाधन का उपयोग किया जाएगा। तकनीकी नवाचारों को अपनाने की दर भूमि धारण की मौजूदा संरचना से प्रभावित है। बदले में, संरचना ही प्रौद्योगिकी के प्रभाव में रूपांतरित हो जाती है।

ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में, भूमि स्वामित्व वितरण एक विशिष्ट चरित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें किसानों का एक बड़ा हिस्सा सीमांत है और बहुत कम लोगों को किसी भी मानक द्वारा बड़ा माना जा सकता है। वितरण एक तिरछा पैटर्न का अनुसरण करता है। इस तरह का एक पैटर्न विभिन्न स्तरों के बीच भूमि जोतों के असमान वितरण की तस्वीर देता है और उच्च स्तर की असमानता को इंगित करता है। हिमाचल

प्रदेश की कृषि संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता छोटे स्तर के किसान की निरंतरता है, जो संख्या और क्षेत्र दोनों में है।

आमतौर पर यह माना जाता है कि कृषि विकास ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है, जैसे कि सिंचाई का प्रसार और गुणवत्ता, भूमि विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण की सीमा और ग्रामीण सड़कों का प्रसार। मानव कौशल के स्तर के साथ, अच्छा बुनियादी ढांचा न केवल उत्पादन में जाने वाले मौजूदा संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाता है और इसलिए विकास में मदद करता है, यह अधिक निवेश को आकर्षित करने में भी मदद करता है, जिससे आगे वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है।

5.8 रिश्तेदारी पद्धति

हिमाचल प्रदेश में, भूमि अधिकार केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए पारित किए जाते हैं। राज्य के नियमों के अनुसार, कोई भी प्रवासी में जमीन नहीं खरीद सकता है। इसलिए, यहां की भूमि पैतृक संपत्ति है और यह केवल बच्चों / पत्नी को समान रूप से वितरित की जाती है जब तक कि उनकी इच्छा अन्यथा नहीं कहती है।

कई मामलों में, यह देखा गया है कि मूल भूस्वामी के निधन के बाद भी वर्तमान भूमि मालिकों के नाम राजस्व विभाग के साथ अद्यतन नहीं किए गए हैं। किसी भी भूस्वामी की मृत्यु के मामले में, भूमि का स्वामित्व अपने बच्चों / पत्नी को स्वतः हस्तांतरित हो जाता है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, परियोजना क्षेत्र के कई वर्तमान भूस्वामियों ने साझा किया कि अपनी बहन की शादी के बाद, भाई जमीन के व्यावहारिक मालिक हैं क्योंकि वे भूमि की रक्षा कर रहे हैं और कृषि उत्पादों का उत्पादन भी कर रहे हैं। कई उत्तरदाताओं के अनुसार, यह उनकी आजीविका के प्रमुख स्रोतों में से एक है और भूमि को विभाजित करने से वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी साझा किया कि बहनें अपने वैवाहिक परिवार की जमीन की खेती में लगी हुई हैं। हालांकि कई मामलों में, बहनों ने मौखिक रूप से स्वामित्व को अपने भाइयों को हस्तांतरित कर दिया है, कोई भी हस्तांतरण राजस्व विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है।

5.9 प्रशासनिक, राजनीतिक और नागरिक सामाजिक संगठन

निम्नलिखित संगठनो के परियोजना क्षेत्र में पदचिह्न पाए गए

5.9.1 प्रशासनिक/राजकीय विभाग/संगठन

1. जल शक्ति विभाग
2. विद्युत विभाग
3. कृषि विभाग
4. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)
5. पंचायत
6. पटवार कार्यालय

5.9.2 राजनैतिक संगठन

1. भाजपा
2. कांग्रेस
3. आप

5.9.3 समुदाय आधारित और नागरिक समाज संगठन

1.. भानुपल्ली बरमाना रेलवे विस्थपित समिति
2. ट्रक ऑपरेटर यूनियन
3. भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन
4. मदद समिति
5. गगल प्राइम लैंड लूजर मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी
6. विभिन्न पंचायतों के युवक मंडल व महिला मंडल
7. स्वयं सहायता समूह

5.9.4 मंदिर कमेटी

1. गुग्ग मंदिर विकास समिति
2. लक्ष्मी नारायण मंदिर
3. मुकम्बिका ट्रस्ट
4. दुर्गा मंदिर नोग

5.9.5 परियोजना क्षेत्र में मुख्य उद्योग

1. ए सी सी सीमेंट फेक्टरी बरमाना

5.9.6 पंचायतवार प्रशासनिक एवं अन्य संस्थाओं तक पहुंच

5.9.6.1 ग्राम पंचायत कुड्डी

स्वास्थ्य सेवा	4 क़ि मी
रा०वरी० मा० पाठशाला घासस	4 क़ि मी
ज़िला व तहसील कार्यालय बिलासपुर	12 क़ि मी
पीडबल्यूडी कार्यालय बेरी	4 क़ि मी
जल शक्ति विभाग कंदरोर	6 क़ि मी
डाकघर बिनोला	3 क़ि मी
आँगन बाड़ी	5 Nos
महिला मंडल	3 Nos.
युवक मंडल	1
सामाजिक संगठन	ग्राम सुधार समिति भराथु

5.9.6.2 ग्राम पंचायत नोग

स्वास्थ्य सेवा	5 क़ि मी
रा०वरी० मा० पाठशाला Ghagas	5 क़ि मी
ज़िला व तहसील कार्यालय बिलासपुर	12 क़ि मी
पीडबल्यूडी कार्यालय बेरी	9 क़ि मी
जल शक्ति विभाग कंदरोर	6 क़ि मी
डाकघर बिनोला	4 क़ि मी
आँगन बाड़ी	5 Nos

5.9.6.3 ग्राम पंचायत बरमाना

स्वास्थ्य सेवा	6 क़ि मी
रा०वरी० मा० पाठशाला बरमाना	2 क़ि मी
ज़िला व तहसील कार्यालय बिलासपुर	22 क़ि मी
पीडबल्यूडी कार्यालय बेरी	3 क़ि मी
जल शक्ति विभाग पंजगाई	6 क़ि मी
डाकघर बरमाना	100 mtr
आँगन बाड़ी	9 Nos
महिला मंडल	7 Nos.
युवक मंडल	03
सामाजिक संगठन	ट्रक यूनियन , लैंड लूसर संस्था
भारतीय स्टेट बैंक बरमाना	500 mtr.

5.9.6.4 ग्राम पंचायत बेरी

स्वास्थ्य सेवा	4 क़ि मी
रा०वरी० मा० पाठशाला दासगाओं	3 क़ि मी
ज़िला व तहसील कार्यालय बिलासपुर	18 क़ि मी
पीडबल्यूडी कार्यालय बेरी	1 क़ि मी
जल शक्ति विभाग जूखाला	8 क़ि मी
डाकघर	1 क़ि मी
आँगन बाड़ी	7 Nos
महिला मंडल	7 Nos.
युवक मंडल	1
सामाजिक संगठन	1

5.9.6.5 ग्राम पंचायत निचली भटेड

स्वास्थ्य सेवा ज़ोनल अस्पताल बिलासपुर	13 क़ि मी
रा०वरी० मा० पाठशाला कंदरोर	3 क़ि मी
ज़िला व तहसील कार्यालय बिलासपुर	13 क़ि मी
पीडबल्यूडी कार्यालय	10 क़ि मी
जल शक्ति विभाग कंदरोर	3 क़ि मी
डाकघर बिनोला	पंचायत की सीमा में
आँगन बाड़ी	9
महिला मंडल	5
युवक मंडल	5

5.9.6.6 ग्राम पंचायत नौणी

स्वास्थ्य सेवा , पीएचसी मानवा	3 क़ि मी
2 प्रथिक पाठशाला व I माध्यमिक पाठशाला	पंचायत में
ज़िला व तहसील कार्यालय बिलासपुर	6 क़ि मी
पीडबल्यूडी कार्यालय	6 क़ि मी
जल शक्ति विभाग	6 क़ि मी
डाकघर कोठीपुरा	4 क़ि मी
आँगन बाड़ी	6 Nos
महिला मंडल	5 Nos.
युवक मंडल	3 Nos.
कृषि एसएचजी	मानवा

5.10 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं

परियोजना क्षेत्र की क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाओं को समझने के लिए, हमें बिलासपुर ज़िले के इतिहास और गतिशीलता को समझने की आवश्यकता है।

जिला बिलासपुर

बिलासपुर शहर में मुख्यालय वाला जिला बंदला पहाड़ियों की तलहटी में और सतलुज नदी पर गोबिंद सागर के जलाशय के पास समुद्र तल से 673 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। न्यू टाउनशिप बिलासपुर को देश का पहला नियोजित पहाड़ी शहर माना जाना चाहिए। लोगों की बोली जाने वाली बोली कहलूरी है जो पंजाबी की ऑफ शूट पर है। ग्रियर्सन इसे पंजाब के होशियारपुर जिले में बोली जाने वाली "रूड पंजाबी" के समान कहते हैं। कहलूरी बोली जाने वाली मुख्य भाषा है; हिंदी और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से समझी जाती हैं। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 1167 वर्ग कि. किमी जो राज्य के 2.1% क्षेत्र को कवर करता है। जिला उत्तरी अक्षांश 31012'30" और 31035'45" और पूर्वी देशांतर 76023'30" और 76055'40" के बीच स्थित है। यह मुख्य रूप से निचली सतलुज घाटी में बाहरी पहाड़ियों में स्थित है। यह उत्तर में मंडी और हमीरपुर जिलों से, पश्चिम में ऊना और हमीरपुर जिलों से, दक्षिण में सोलन जिले के नालागढ़ और अर्की तहसील से और दक्षिण-पश्चिम की ओर पंजाब के रूपनगर जिले से घिरा है, जिससे यह एक आयताकार विन्यास देता है। जिले में ऊंचाई 1944 मीटर से लेकर उच्चतम बिंदु पर धार बहादुरपुर बिंदु की चोटी पर लगभग 305 मीटर सबसे कम है।

बिलासपुर 560 मीटर से 1879 मीटर AMSL की ऊंचाई पर स्थित है। इसका कारण कई निचली पहाड़ियों की श्रृंखला है जिन्हें धार के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न दिशाओं में कटी हुई सात निचली पहाड़ी श्रृंखलाएँ और गहरी घाटियाँ हैं। इन पर्वतमालाओं को स्थानीय रूप से धार कहा जाता है और बहादुरपुर जिले में सबसे ऊंचा है। अन्य धार जिन्हें नैना देवी, कोट, तुनी, बंदला, झिंजियारंद रतनपुर के नाम से जाना जाता है। प्राचार्य धर हैं नैना देवी; कोटकाहलुर जो कि सीमा के उत्तर-पश्चिमी छोर पर स्थित है, राज्य की प्राचीन राजधानी थी।

5.11जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

जिला बिलासपुर 31^{0}12' 30" और 31'35' 45" उत्तरी अक्षांश के बीच और क्रमशः 76 23' 45" और 76 55' 40" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। बिलासपुर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित है, जो राज्य की राजधानी शिमला से 85 किमी दूर है। बिलासपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्र 1167 वर्ग किमी है। औसत वर्षा

1106.28 मिमी के साथ जलवायु आमतौर पर शुष्क होती है। अप्रैल से सितंबर तक गर्मी के मौसम में तापमान 5^0c से 35^0c के बीच बदलता रहता है और तापमान कभी-कभी 44^0C तक जा सकता है। बिलासपुर जिला हिमालय की बाहरी पहाड़ियों / शिवालिकों का एक हिस्सा है। यह क्षेत्र कई पहाड़ों और घाटियों से भरा हुआ है।

सभी गांवों और पंचायतों को सड़कों से जोड़ा गया है और सभी घरों में विद्युतीकरण किया गया है। पेयजल की आपूर्ति पाइप लाइन से की जाती है। क्षेत्र में स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का उचित कवरेज उपलब्ध है।

6 सामाजिक प्रभाव

6.1 प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण

सामाजिक समाघात आकलन, दरअसल विकास, जैसे कि बांधों, खानों, उद्योगों, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, शहरी विकास और बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के नतीजो की संभावना का अग्रिम में, मूल्यांकन करना है। यह एक ऐसा उपकरण है जो निर्णयकर्ताओं को उनके कार्यों के संभावित नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में मदद कर सकता है ताकि समय पर उन्हें रोकने या कम से कम किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता के रूप में, SIA सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिन्हें किसी भी निर्णय में ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जो परियोजना क्षेत्र में लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों पर अंतर-संगठनात्मक समिति (IOCPGSIA 2003) के अनुसार, सामाजिक प्रभावों की अवधारणा करने का एक पारंपरिक तरीका निम्नलिखित में से एक या अधिक परिवर्तनों के रूप में है:

• लोगों के जीवन का तरीका - वह यह है कि वे कैसे रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के साथ दिन-प्रतिदिन बातचीत करते हैं;

उनकी संस्कृति - अर्थात्, उनकी साझा मान्यताएं, रीति-रिवाज, मूल्य और भाषा या बोली;

• उनका समुदाय - इसका सामंजस्य, स्थिरता, चरित्र, सेवाएं और सुविधाएं;

• उनकी राजनीतिक प्रणाली - लोगों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने में सक्षम होने की हद तक, लोकतांत्रिकरण का स्तर और इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए संसाधन;

• उनका पर्यावरण - हवा और पानी की गुणवत्ता का लोग उपयोग करते हैं; भोजन की उपलब्धता और गुणवत्ता वे खाते हैं; खतरे या जोखिम, धूल और शोर का स्तर जो वे सामने आते हैं; स्वच्छता की पर्याप्तता, उनकी भौतिक सुरक्षा और संसाधनों तक उनकी पहुँच और नियंत्रण;

• उनका स्वास्थ्य और भलाई - स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भलाई की स्थिति है और न केवल बीमारियों या दुर्बलताओं की अनुपस्थिति;

• उनके व्यक्तिगत और संपत्ति के अधिकार - विशेष रूप से चाहे लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हों, या व्यक्तिगत नुकसान का अनुभव करते हैं जिसमें उनके नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन शामिल हो सकता है;

• उनके भय और आकांक्षाएँ - उनकी सुरक्षा के बारे में उनकी धारणाएँ, उनके समुदाय के भविष्य के बारे में उनकी आशंकाएँ, और उनके भविष्य और उनके बच्चों के भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाएँ;

SIA के संचालन की प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसमें प्रस्तावित अर्जन के प्रभाव का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों को व्यवस्थित दृष्टिकोण में शामिल किया गया था। प्रभावों की पहचान करने की रूपरेखा और दृष्टिकोण निम्नलिखित चरणों में दिखाया गया है।

चरण 1: पृष्ठभूमि अध्ययन और केस अध्ययन

चरण 2: विभिन्न PAPs की पहचान

चरण 3: प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी

चरण 4: विभिन्न हितधारकों के साथ प्राथमिक सर्वेक्षण और *FGD* का संचालन

चरण 5: एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण

क्षेत्र में किए गए व्यक्तिगत सर्वेक्षण और एफजीडी के बावजूद, पंचायतों के साथ बैठकें आयोजित की गईं, इनमें से प्रत्येक परामर्श से बैठक के कार्यवृत्त का सारांश इस प्रकार है।

स्थान: ग्राम पंचायत नोग

दिनांक: 25 फरवरी 2022

फैसिलिटेटर: एम.आर. शर्मा और टीम

भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन के संबंध में सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत नोग के प्रधान एवं उप प्रधान से संपर्क किया गया. पंचायत ने कुछ मांगें उठाई हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है:

1. जिस शीर्षक धारक की भूमि, मकान और पेयजल स्रोत आदि प्रस्तावित रेलवे लाइन के कारण प्रभावित होने वाले हैं, उन्हें सर्वोत्तम संभव मुआवजा दिया जाना चाहिए और जल स्रोतों आदि को बहाल किया जाना चाहिए।

2. मालिकाना हक पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जमीन पर रह रहे हैं। पंचायत ने अनुरोध किया है कि इन लोगों को उस जमीन पर मकान बनाने के लिए जमीन दी जाए।

3. बताया गया है कि गोविंदसागर बांध के निर्माण के दौरान इन ग्रामीणों को पहले भी विस्थापन का सामना करना पड़ा है. उस समय दिया जाने वाला मुआवजा बहुत कम था।

4. पंचायत अधिकारियों ने आगे कहा है कि इस गांव के निवासियों ने अपनी उपजाऊ जमीन नहीं बेची है जिसके कारण इस गांव की जमीन का सर्किल रेट बहुत कम है.

5. उन्होंने अनुरोध किया है कि रेल विभाग को रुपये का मुआवजा दिया जाए. पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा सुविधाओं और शैक्षिक संस्थानों और स्कूलों आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ प्रत्येक प्रभावित परिवार को 2 करोड़ रुपये।

6. उन्होंने आगे प्रत्येक प्रभावित परिवार के परिवार के सदस्यों को रोजगार देने की मांग की है।

7. कहा गया है कि उनके गांव की जमीन सिंचित और बहुत उपजाऊ है।

रेलवे चाहे मिट्टी न फेंके लेकिन नाले में और बंजर भूमि पर चेक डैम बनाने चाहिए ताकि उस भूमि और मिट्टी का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

8. प्रधान महिला मंडल नोग ने कहा है कि वह महिला मंडल भवन सुरंग से बाहर निकलने के शीर्ष पर है। इमारत गिर सकती है या क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसलिए उन्होंने रेलवे द्वारा उन्हें नया भवन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

स्थान: ग्राम पंचायत कुड्डी (बिलासपुर सदर)

दिनांक: 28 फरवरी 2022

फैसिलिटेटर: एम.आर.शर्मा और टीम

भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन के संबंध में सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत कुड्डी के उप प्रधान से संपर्क किया गया. पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान पंचायत ने कुछ मांगें उठाई हैं जो नीचे प्रस्तुत की गई हैं:

1. बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए।

2. सरकार में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण। प्राथमिक विद्यालय, भरथू और स्कूली बच्चों को एक नाटक का मैदान प्रदान करना।

3. ग्राम पंचायत कुड्डी को फर्नीचर उपलब्ध कराना।

4. ग्राम भरतू एवं बिहाली बिल्ला में सार्वजनिक हैण्डपम्प उपलब्ध कराना।

5. माता नैना देवी मंदिर को पक्का रास्ता उपलब्ध कराना।
6. भरथू गांव में सार्वजनिक पार्क और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना।

स्थान: ग्राम पंचायत निचली -भातेर (बिलासपुर सदर)

दिनांक: 28 फरवरी 2022

फैसिलिटेटर: एम.आर. शर्मा और टीम

भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन के संबंध में सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की प्रधान निचली -भातेर से संपर्क किया गया. पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान पंचायत ने कुछ मांगें उठाई हैं जैसा कि नीचे प्रस्तुत किया गया है और कहा है कि रेल विभाग को इन समस्याओं का समाधान करना होगा:-

1. पीने के पानी का प्रमाण।
2. बुघर दोहर से भरथू और बघर गांव के बीच सड़क संपर्क प्रदान करना।
3. निर्माणाधीन क्रिमिनेशन ग्राउंड (मुक्ति धाम) और अन्य सुविधाओं को पूरा करना।
4. गांव बघर में दो हैंडपंपों की स्थापना.
5. फसलों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाने के लिए कृषि क्षेत्रों में कांटेदार तार की बाड़ लगाना
6. बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना।

स्थान: ग्राम पंचायत बेरी राजियां (बिलासपुर सदर)

दिनांक: 23 फरवरी 2022

फैसिलिटेटर: एमआर शर्मा

भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन के संबंध में सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की प्रधान निकली भाटेर से संपर्क किया गया. पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान पंचायत ने कुछ मांगें उठाई हैं जैसा कि नीचे प्रस्तुत किया गया है और कहा है कि रेल विभाग को इन समस्याओं का समाधान करना होगा:-

1. रेलवे लाइन से क्रिमिनेशन ग्राउंड तक निर्माणाधीन सड़क को रेल विभाग द्वारा पूरा किया जाए।

2. नाग देवता मंदिर तक सड़क का निर्माण।
3. ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार हैंडपंप उपलब्ध कराना।
4. ग्राम बरी से मनसा माता मंदिर तक पैदल पथ का निर्माण।
5. बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना।
6. ग्राम बरी में दो कमरे और एक हॉल के भवन का निर्माण।
7. ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए भवन निर्माण।

स्थान: ग्राम पंचायत नाओनी

दिनांक: 24 फरवरी 2022

फैसिलिटेटर: एम.आर.श्रम और टीम

भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन के संबंध में सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत नौनी (बिलासपुर सदर) के प्रधान से संपर्क किया गया. पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान पंचायत ने कुछ मांगें उठाई हैं जैसा कि नीचे प्रस्तुत किया गया है और कहा है कि रेल विभाग को इन समस्याओं का समाधान करना होगा:-

1. कहा गया है कि गांव मांडवा, भरारी और मंडी की जमीन रेलवे द्वारा अधिग्रहित की जा रही है. इससे ग्रामीणों को कुछ प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन भूमि धारकों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।
2. ग्रामीणों की सुविधा के लिए इन पथों/सड़कों पर आने वाली सड़कों/गांवों और संपर्क पथों को भी बनाए रखा जाना चाहिए और स्ट्रीट लाइटों के साथ सीमेंट किया जाना चाहिए।
3. भराड़ी, मण्डी और मांडवा गांव में उचित दूरी पर हैंडपंप लगाए जाएं.
4. रेलवे से अनुरोध है कि वह स्कूलों और आंगनबाड़ी भवनों के रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए।
5. रेल विभाग गांवों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा सकता है.
6. महिला मंडलों और युवा भवन के रख-रखाव के लिए उचित धन दिया जाए।
7. सार्वजनिक धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर आदि का रखरखाव।
8. जनता की सुविधा के लिए बेंचों को सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना।

स्थान: ग्राम पंचायत बरमाना (बिलासपुर सदर)

दिनांक: 24 फरवरी 2022

फैसिलिटेटर: एम.आर.श्रम और टीम

भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन के संबंध में सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत बरमाना (बिलासपुर सदर) के प्रधान से संपर्क किया गया. पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान पंचायत ने कुछ मांगें उठाई हैं. 24/02/2022 को अध्यक्ष बीडीसी सदर बिलासपुर के तहत एक बैठक आयोजित की गई जिसमें योजना फाउंडेशन के प्रतिनिधि श्री। एमआर शर्मा भी मौजूद थे। तथापि, वर्तमान भानुपल्ली बरमाना रेलवे विस्थपित समिति, बरमाना ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बिपासपुर सदर (प्रतिलिपि संलग्न) को मांगों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने बरमाना पंचायत की इन मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया है. समिति की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:-

1. उन्हें भूमि अधिग्रहण के सभी प्रावधानों जैसे पुनर्वास या किसी अन्य के तहत सभी लाभ दिए जाने चाहिए।
2. उन्होंने मौजूदा सर्किल दरों के लिए 4 गुना मुआवजे की मांग की है।
3. रेलवे निगम पीढ़ी दर पीढ़ी के आधार पर रोजगार उपलब्ध करा सकता है और रेल विभाग में स्थायी प्रावधान किया जा सकता है।
4. पुनर्वास बंदोबस्त के तहत भूमि एवं मकान उपलब्ध कराया जाए।
5. रेलवे निगम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार में प्रभावित लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए।
6. प्रभावित लोगों के लिए 50 बिस्तरों वाला अस्पताल उपलब्ध कराना।
7. प्रभावित लोगों के बच्चों के लिए बरमाना में तकनीकी संस्थान उपलब्ध कराना।
8. जहां आवश्यक हो वहां सड़क और अंडर पास का निर्माण किया जा सकता है।
9. वायु प्रदूषण और ध्वनि जनसंख्या में कमी के लिए पर्याप्त उपाय उपलब्ध कराना।
10. प्रभावित लोगों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
11. पीने के पानी, साफ-सफाई और स्ट्रीट लाइट आदि की समुचित व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, उद्यान, पार्क और खेल क्लब आदि की व्यवस्था करना।
13. बरमाना सीमेंट फैक्ट्री आदि में प्रभावित लोगों के बच्चों के लिए रोजगार का प्रावधान।

6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण

भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी न्यू ब्राड गेज रेलवे लाइन परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण का आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य और कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। वातावरण। यह संपत्ति के अधिकारों और आकांक्षाओं के बारे में संदेह और भय पैदा कर सकता है। विकास परियोजनाएं विभिन्न समूहों को अलग तरह से प्रभावित करती हैं।

बहुत से लोगों को फायदा होता है जबकि कुछ ढीले होते हैं। अक्सर, कमजोर समूहों के लिए प्रभाव विशेष रूप से गंभीर होते हैं जैसे कि महिला मुखिया वाले परिवार, विधवाएं, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, बीपीएल परिवार, आरक्षित वर्ग के लोग और बुजुर्ग व्यक्ति।

क्षेत्र में आगामी भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन परियोजना के लिए एक सामान्य आशावाद है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश प्राथमिक हितधारक अधिग्रहण के लिए अपनी जमीन को सरेंडर करने के इच्छुक हैं बशर्ते उचित मुआवजा मौजूदा बाजार दरों के 4 गुना से कम न हो। एफजीडी के दौरान और पंचायतों के साथ परामर्श के दौरान, ग्रामीणों और माध्यमिक हितधारकों की भी परियोजना के प्रति बहुत सकारात्मक राय पाई गई क्योंकि यह बुनियादी ढांचे के विकास (सामाजिक और भौतिक दोनों) के मामले में पूरे क्षेत्र में समग्र विकास लाएगा और इसमें वृद्धि होगी। रोजगार और व्यापार के अवसर। साथ ही, उन्होंने क्षेत्र की भूमि की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया जो उनके लिए एक लाभकारी कारक होगा। विशेष रूप से परिवहन व्यवसाय में लगे बरमाना के लोगों को आशंका है कि इस परियोजना के कारण उनका सड़क परिवहन व्यवसाय बाधित हो सकता है क्योंकि परिवहन व्यवसाय को रेलवे नेटवर्क में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है।

हालांकि, वे नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी आशंकित थे जो उचित रूप से कम नहीं होने पर परियोजना से बढ़ सकते हैं। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवादों में वृद्धि सहित दुर्बल समूहों को छोड़ दिया जा सकता है या धोखा दिया जा सकता है इस आशंका के बारे में चिंताएं थीं । इसके अलावा, प्रतिकर राशि प्राप्त करने के बाद से, PAF की वित्तीय स्थिति में बदलाव होगा जो बदले में उनकी खरीद क्षमता को बदल देगा और फंड मिस-मैनेजमेंट के जोखिम को भी बढ़ाएगा क्योंकि कई जमींदार ठीक से विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में शिक्षित नही है। क्षतिपूर्ति राशि वितरित होने के बाद परियोजना क्षेत्र में धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। खर्च के पैटर्न में बदलाव के कारण सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में बदलाव की भी संभावना है।

अधिग्रहण के कारण, निजी संपत्ति जैसे घरों, गौशालाओं, शौचालय और रसोई संरचनाओं और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों, आईपीएच इंफ्रास्ट्रक्चर सहित मौजूदा सिंचाई सुविधाओं और पीने के पानी के स्रोतों, जंगलों, चरागाहों जैसे सामान्य संपत्ति संसाधनों की भी हानि होगी।

कुल 238 आवासीय संरचनाएं, 39 व्यावसायिक संरचनाएं, 54 गौशालाएं निजी ढांचे के रूप में अधिग्रहण के तहत आ रही हैं। अधिग्रहण के तहत भूमि से जुड़ी अन्य संपत्तियों में कुल 15,174 फलदार पेड़, 35,921 गैर-फल वाले पेड़ हैं।

बुनियादी ढांचे और संपत्तियों को हुए नुकसान के विवरण पर अध्याय 4 में चर्चा की गई है। पीएपी के साथ-साथ ग्रामीणों को इस बात की चिंता थी कि अधिग्रहण करने वाले निकाय द्वारा खोए हुए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकल्प को कैसे फिर से बनाया/प्रदान किया जाएगा ताकि यह नहीं होगा उनके दिन-प्रतिदिन के मुद्दों में बाधा डालते हैं। चारे और ईंधन के लिए ग्रामीणों की आस-पास की चराई भूमि और जंगल पर निर्भरता है।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, हितधारकों का परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि यह उनके लिए अच्छे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार और व्यावसायिक अवसर पैदा करेगा। प्रवास के कारण वे वस्तुओं की खपत में वृद्धि देखेंगे जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। हालांकि, उन्होंने परियोजना के लिए श्रमिकों के प्रवास के बारे में भी चिंता व्यक्त की क्योंकि इससे मौजूदा बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षिक सुविधाओं, सड़कों आदि पर दबाव बढ़ेगा। स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष बढ़ने की संभावना हो सकती है। और हितधारकों का यह भी मत था कि प्रवास के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है।
नीचे दी गई तालिका परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में अध्ययन द्वारा पाए गए विभिन्न संभावित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को सारांशित करती है:

तालिका 6-1: परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभाव

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
पूर्व-निर्माण चरण	• क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। • पेयजल संसाधनों आदि जैसी सामान्य संपत्ति के नुकसान से जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।	• आगामी परियोजना के कारण आसपास के क्षेत्र में भूमि की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। • प्रदान किए गए मुआवजे के कारण पीएएफ की वित्तीय स्थिति में अचानक परिवर्तन, उनकी क्रय क्षमता बदल सकती है और इससे फंड मिस-मैनेजमेंट का जोखिम भी बढ़ जाएगा। • वन भूमि के अधिग्रहण से ग्रामीणों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे चारा और जलाऊ लकड़ी के संग्रह के लिए उच्च निर्भरता रखते हैं।	आगामी परियोजना के कारण लाभान्वित होने वाले लोगों के खर्च करने के पैटर्न में बदलाव से सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर प्रभाव पड़ेगा।
निर्माण चरण	निर्माण श्रमिकों और तकनीकी कर्मचारियों के प्रवासन से मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, स्वच्छता पर बोझ बढ़ेगा। परियोजना से लाभान्वित होने वाले लोगों और अप्रभावित रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक विभाजन पैदा किया जा सकता है। आगामी परियोजना के कारण क्षेत्र के समग्र विकास के कारण निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।	स्थानीय लोगों और पीएएफ के लिए रोजगार और व्यापार के अवसरों में वृद्धि। स्थानीय लोगों के साथ प्रयोज्य आय में वृद्धि। आर्थिक गतिविधियों और खपत के पैटर्न में वृद्धि। इन-माइग्रेशन के कारण क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की खपत में वृद्धि होगी जिससे स्थानीय व्यापार को लाभ होगा।	प्रवासन के कारण लोग दूसरे राज्यों से आएंगे और अपनी संस्कृति, विश्वास, धार्मिक प्रथाओं, कपड़ों के पैटर्न आदि लाएंगे जो स्थानीय निवासियों की मौजूदा सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं को प्रभावित कर सकते हैं।

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
	प्रवासन के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों में सुरक्षा और सुरक्षा की भावना कम हो सकती है। बाहरी लोगों के साथ संघर्ष बढ़ सकता है और क्षेत्र में अपराध और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।		
निर्माण के बाद का चरण	ट्रैक के आसपास कूड़े के ढेर के कारण पर्यावरण के क्षरण की संभावना हो सकती है जिसे उचित शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से जाँचने की आवश्यकता है।	बेहतर परिवहन के कारण नई व्यावसायिक गतिविधियाँ खुल सकती हैं जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। इस परियोजना से बाजार में जुड़ाव बढ़ेगा जिससे स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा। इससे वित्तीय प्रबंधन में उनका दृष्टिकोण भी बढ़ेगा।	इस चरण के दौरान सांस्कृतिक स्थिरता देखी जा सकती है।.

**स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*

6.3 प्रभाव क्षेत्रों की सांकेतिक सूची

प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। इस परियोजना में यह सर्वेक्षण और चर्चाओं के माध्यम से पाया गया है कि लोगों को उम्मीद है कि भूमि अर्जन से उन्हें बेहतर मौद्रिक प्रतिकर मिलेगा, जो उन्हें अपनी भलाई में सुधार करने में मदद करेगा। हालांकि प्रभावित परिवारों ने महसूस किया कि भूमि और आजीविका आदि का नुकसान अपूरणीय होगा। घरेलू सर्वेक्षण का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों पर सामाजिक प्रभावों, संपत्ति का प्रकार और स्वामित्व, प्रभाव का प्रकार और इसकी परिमाण और प्रभावित संपत्ति के विवरण की एक सूची उत्पन्न करना था। प्रभावों के प्रमुख निष्कर्षों और परिमाणों की चर्चा निम्नलिखित वर्गों में की गई है।

6.3.1 भूमि मालिको पर प्रभाव

प्रस्तावित परियोजना के लिए डंपिंग एरिया, रेल लाइन, हॉल रोड आदि के लिए भूमि की आवश्यकता है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण के तहत 1109 मालिकाना हकधारकों ने अधिग्रहण के तहत जमीन खो दी है और 238 घर अधिग्रहण के तहत आ रहे हैं, जिनमें से 136 परिवार बेघर हो गए हैं।

238 आवासीय ढांचों का अधिग्रहण किया जा रहा है। अधिग्रहण के तहत आने वाले आवासीय और अन्य निजी संरचनाओं के स्वामित्व और स्थान के विवरण और जिनके प्रभावित होने की संभावना है, अनुबंध में संलग्न हैं।

92% ने अलग-अलग तीव्रता के साथ अधिग्रहित की जा रही भूमि पर कृषि/बागवानी का अभ्यास करने की सूचना दी है। प्रत्याशित प्रभाव भूमि का नुकसान होगा जो प्रभावित परिवारों को उनकी कृषि आय से वंचित करेगा और जीवन के तरीके को बदल देगा।

40.54 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहण के दायरे में आ रही है जो कि न्यूनतम विकल्प है। इसमें से 40.54 हेक्टेयर की कुल खेती योग्य भूमि 37.69 हेक्टेयर (92%) है और शेष 2.85 (8%) हेक्टेयर कृषि योग्य नहीं है।

6.3.2 आजीविका और आय पर प्रभाव

चूंकि अधिकांश भूमि खेती योग्य और सिंचित है, इसलिए इन भूमि के अधिग्रहण से स्थानीय लोगों की आजीविका गतिविधियों पर असर पड़ेगा। हालांकि कोई भी हितधारक अपने मुख्य आय स्रोत के रूप में कृषि पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश हितधारकों के परिवार का एक सदस्य सेवा क्षेत्र में काम कर रहा है जो उनकी आय के स्रोत का पूरक है। हालांकि, 328 भूस्वामियों ने बताया कि कृषि उनकी कुल पारिवारिक आय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीएएफ की आय का विवरण उपरोक्त अध्याय में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

साथ ही सर्वे के दौरान 1 पट्टेदार भी मिले जो खनन गतिविधियों में लिप्त हैं। हितधारकों ने बताया कि चूंकि जोत का आकार छोटा है, सभी कृषि/बागवानी कार्य परिवार द्वारा ही किए जाते हैं। मौसमी कृषि श्रमिक भी कम अवधि के लिए नियोजित होते हैं लेकिन यह श्रम अस्थायी होता है और अक्सर पलायन करता है।

तालिका 6-2: प्रभावित क्षेत्र में कृषि बागवानी उत्पादन /

वर्ग	फ़सल का प्रकार	कुल उत्पादन (क्विंटल)
कृषि	गेहूँ / जौ	**1670**
	मक्की	**2230**
	दलहन / तिलहन	**420**
	सब्ज़ियाँ / अन्य फ़सल	**270**
Horticulture	**निम्बू प्रजाति के फल**	**2340**
	आम	**5540**
	अन्य	**720**
		13,190/-

**स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण .*

6.3.3 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव

6.3.3.1 निजी संपत्ति का नुकसान

भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन के लिए कुल 238 आवासीय संरचनाओं का अधिग्रहण किया जा रहा है। आवासीय संरचनाओं के अलावा 39 स्वतंत्र व्यावसायिक संरचनाएं, 54 गौशालाएं भी स्वतंत्र संरचनाओं के रूप में अधिग्रहण के अंतर्गत आ रही हैं। अधिग्रहण के तहत भूमि से जुड़ी अन्य संपत्तियों में कुल 15,174 फलदार पेड़, 35921 गैर फलदार पेड़ हैं।

नीचे दी गई तालिका में प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण नष्ट होने वाली आवासीय संरचनाओं और उससे जुड़ी संपत्तियों का ग्रामवार विवरण दिया गया है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फल और गैर-फल वाले पेड़ों के आंकड़े उत्तरदाताओं के अनुसार हैं। हालांकि, पेड़ों की वास्तविक संख्या की गणना की जाएगी और वास्तविक मूल्य का मूल्यांकन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा (स्वामित्व और स्थान विवरण अनुलग्नक में साझा किए गए हैं)

तालिका 6-3: संरचनाओं की हानि

ज़िला	पंचायत	गाँव	आवासीय संरचना	व्यवसायिक संरचना	गौशाला
Bilaspur	नोग	नोग कवालु	5	-	1
	कुडी	बाहली बिल्ला	8	-	2
		बाहली झलेड़ा	-	-	-
		भराथु	1	-	-
	निचली भटेर	बगड़ी	11	-	10
	बैरी राजदयाँ	बैरी राजदयाँ	-	-	-
	बरमाना	खतेर	139	24	29
		भटेर ऊपरली	49	15	11
		बरमाना	25	-	1
	नाओनी	मंडी	-	-	-
Total			238	39	54

**स्त्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण*

6.3.4 जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रभाव

जैविक संसाधन इस तरह की विशाल परियोजनाओं से प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से हैं। संभावित प्रभावों की भयावहता का अनुमान लगाने और प्रस्तावित परियोजना से होने वाले किसी भी नुकसान से बचने या कम करने के लिए इन संसाधनों का एक विस्तृत आधारभूत अध्ययन आवश्यक है। प्रस्तावित परियोजना के वन क्षेत्रों में वनस्पतियों और जीवों पर विशिष्ट प्रभावों की पहचान करने के लिए अलग से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) किया जाना आवश्यक है।

6.3.5 सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव

आम तौर पर स्वामित्व वाली संपत्तियों (वनभूमि, जल निकायों, चरागाह भूमि, मैदान और इसी तरह) तक पहुंच की हानि को अक्सर अनदेखा किया जाता है और क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है, खासकर संपत्तिहीन के

लिए क्योंकि उन्हें समुदाय को अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने वाला माना जाता है जिसे मात्राबद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसकी अनुपस्थिति समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
अध्ययन में पाया गया कि चारा और ईंधन की लकड़ी के संग्रह के लिए ग्रामीणों की जंगलों पर निर्भरता है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों का उपयोग ग्रामीणों द्वारा चरागाह के रूप में भी किया जाता है।

इसके अलावा, निर्माण और पोस्ट चरण के दौरान लोगों, सामग्री, उपकरण और प्रवास में वृद्धि होगी जो मौजूदा स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं आदि जैसे उपलब्ध बुनियादी ढांचे पर एक अतिरिक्त भार पैदा करेगा, जिसे पहले से मजबूत करने की आवश्यकता है। .

6.3.6 स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव

अध्ययन में पाया गया कि प्रस्तावित लाइन के कारण परियोजना क्षेत्र में ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालांकि निर्माण चरण के दौरान मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव हो सकता है।
उत्तरदाता स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष में वृद्धि की संभावना के बारे में भी आशंकित थे। उन्होंने कहा कि प्रवास के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। हालांकि, प्रवास के कारण इस क्षेत्र में वस्तुओं की खपत में भी वृद्धि होगी जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा

6.3.7 लिंग आधारित प्रभाव

लिंग समानता: भूमि के प्रस्तावित अर्जन के संभावित प्रभावों में से एक भूमि की हानि के कारण परियोजना क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम के अवसरों की अनुपलब्धता हो सकती है। अगर महिलाएं शिक्षित हैं, तो भी वे आजीविका कमाने के लिए गाँव से बाहर जाना पसंद नहीं करती हैं। संभावित रूप से एक और प्रभाव महिलाओं की आर्थिक स्थिति का ह्रास है क्योंकि उनमें से कई का भूमि पर कागजों पर कोई कानूनी दावा नहीं है, इसलिए वे भूमि-क्षति के प्रतिकर के लिए योग्य नहीं होंगे और वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित PAPs की श्रेणी में आते हैं।

नीचे दी गई तालिका परियोजना क्षेत्र में PAPs का एक लिंग वार वितरण प्रदान करती है:

वयस्क पुरुष	वयस्क महिला	वयस्क पुरुष	वयस्क महिला	वयस्क पुरुष	वयस्क महिला	कुल
7268	6533	1079	1030	8347	7563	15910
*Source: Primary Survey						

6.4 PAPs द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान

अध्ययन में पाया गया कि प्रस्तावित लाइन के कारण परियोजना क्षेत्र में ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालांकि निर्माण चरण के दौरान मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव हो सकता है।

प्रतिवादी इस बात से भी आशंकित थे कि पुनर्वास से संबंधित अनैच्छिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रभावित भूस्वामियों के साथ परामर्श प्रारंभिक बिंदु था। इस परियोजना से प्रभावित लोगों में भूमि अधिग्रहण से होने वाले नुकसान को लेकर आशंका है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, उत्तरदाताओं ने साझा किया कि भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन गतिविधियों के कारण कुछ सकारात्मक प्रभाव होंगे। इनमें रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि शामिल है- परियोजना के भीतर और आगे और पीछे के संबंधों के दायरे में।

उत्तरदाताओं को भी कुछ नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंतित लग रहा था। इनमें से मुख्य भूमि का नुकसान था। यह स्वयं उनकी आजीविका, जीवन के तरीके और सामाजिक संबंधों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगले प्रभाव राज्य के विभिन्न हिस्सों से या विभिन्न राज्यों से प्रवासियों की आमद से संबंधित हैं- जो स्थानीय और बाहरी लोगों के बीच संघर्ष को भड़का सकते हैं, उनकी संस्कृति और सामाजिक जीवन में घुसपैठ, मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव और बुनियादी ढांचे पर।

घर खोने वाले परिवार प्रभाव को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। FGDs के दौरान कई परिवारों ने बताया कि उनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं होगी इसलिए वे मुआवजे के रूप में जमीन का टुकड़ा चाहते हैं।

स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष में वृद्धि की संभावना। उन्होंने कहा कि प्रवास के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। हालांकि, प्रवास के कारण इस क्षेत्र में वस्तुओं की खपत में भी वृद्धि होगी जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा

तालिका 6-6: PAPs द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान

क्र.सं.	प्रभाव का प्रकार	प्रभाव का प्रकार विवरण	प्रतिक्रियाओं का%
1	सकारात्मक प्रभाव	समग्र रूप से समाज का विकास / उत्थान	96%

क्र.सं.	प्रभाव का प्रकार	प्रभाव का प्रकार विवरण	प्रतिक्रियाओं का%
3		रोजगार के अवसर में वृद्धि	70%
4		आर्थिक स्थिति में सुधार	94%
5		गांव और ग्रामीणों का समग्र उत्थान	63%
6		बेहतर सेवाओं की उपलब्धता	92%
7		व्यापार के अवसर में वृद्धि	90%
8		जमीन की कीमत में वृद्धि	93%
9		कस्बों तक बेहतर पहुंच / पहुंच	95%
12	नकारात्मक प्रभाव	भूमि की हानि	96%
13		संरचना का नुकसान	52%
14		आजीविका का नुकसान	58%
15		विस्थापन	40%
16		वित्तीय सुरक्षा का जोखिम	15%
17		संपत्ति का नुकसान (निजी और सार्वजनिक दोनों)	75%
18		बढ़ा हुआ प्रदूषण	28%
19		बाहरी लोगों से टकराव	69%
20		जीवन की गुणवत्ता में गिरावट	19%
21		परियोजना के निष्पादन के दौरान/बाद में दुर्घटनाओं का जोखिम	34%
22		मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव	23%
Source: Primary Survey			

नकारात्मक प्रभावों के अलावा, लोग इस परियोजना के सकारात्मक प्रभावों को लेकर भी आशान्वित हैं। आगामी परियोजना, समग्र रूप से समाज के विकास / उत्थान के कारण उन्हें नौकरी के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।

6.5 भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन के बारे में जागरूकता

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, औसतन 87% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे आगामी रेलवे लाइन परियोजना, इसके उद्देश्य और मुआवजे के बारे में आंशिक रूप से अवगत थे, जिसके लिए वे पात्र हैं। 8% ने कहा कि वे पूरी तरह से जागरूक हैं और 5% ने कहा कि वे परियोजना, इसके उद्देश्य और पात्र मुआवजे के बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं, जिसके लिए वे पात्र हैं।

तालिका :7-6 भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन के बारे में जागरूकता

जागरूकता	भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन के बारे में जागरूकता	परियोजना के उद्देश्य के बारे में जागरूकता	पात्र प्रतिकर के बारे में जागरूकता
पूरी तरह से	8%	8%	5%
आंशिक रूप से	87%	87%	87%
बिल्कुल नहीं	5%	5%	8%
कुल	**100%**	**100%**	**100%**
*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण			

सर्वेक्षण के दौरान 99.5% उत्तरदाताओं ने परियोजना, इसके उद्देश्य, व्यक्तियों/परिवारों/गांव को समग्र रूप से लाभ, मुआवजे के लिए पात्र और व्यक्तियों/परिवारों/गांव पर संभावित सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावों के बारे में अधिक जानने में अपनी रुचि व्यक्त की।

तालिका 6-8: PAPs के लिए परियोजना के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत

सूचना का स्रोत	
रेडियो	0%
समाचार पत्र	8%
सरकारी अधिकारी	11%
अन्य ग्रामीण	80%
अन्य	1%
स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण	

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि 80% पीएपी को अन्य ग्रामीणों के माध्यम से परियोजना के बारे में पता चला, 11% को कुछ सरकारी अधिकारियों के माध्यम से इसके बारे में पता चला, 8% ने परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की और समाचार पत्र के माध्यम से प्रस्तावित अधिग्रहण किया।

6.6 परियोजना के लिए सहमति

सर्वेक्षण के दौरान 87% लोगों ने कहा कि उन्हें आगामी भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन परियोजना या प्रस्तावित अधिग्रहण पर उचित मुआवजा दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, दूसरी ओर 12% लोगों ने भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज परियोजना के लिए भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण पर अपनी आपत्ति व्यक्त की और शेष 1% इसके बारे में निश्चित नहीं थे।

तालिका 6-9 : PAPs द्वारा अर्जन के संबंध में कोई आपत्ति

हाँ	12%
नही	87%
कह नही सकते	1%
कुल	100%
*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण	

6.7 प्रतिकर वरीयताएँ

सर्वेक्षण के दौरान, 97% भूमि खोने वालों ने जवाब दिया कि वे अपनी खोई हुई भूमि के मुआवजे के रूप में नकद चाहते हैं और शेष 3% ने मुआवजे के रूप में भूमि के बदले भूमि की मांग की। संपत्ति खोने वालों में से 100% ने अपने नुकसान के खिलाफ नकद मुआवजे की मांग की।

तालिका 6-10: PAPs द्वारा प्रतिकर वरीयताएँ

प्रतिकर वरीयताएँ	भूमि खोने वालों द्वारा चुना गया	संरचना खोने वालों द्वारा चुना गया	परिसंपत्ति खोने वालों द्वारा चुना गया
नगद	97%	97%	100%
भूमी	3%	3%	0
कुल	100%	100%	100%
* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण			

सभी PAPs ने सर्वसम्मति से एकल भुगतान में नकद प्रतिकर की मांग की।

6.8 प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, लगभग 90% पीएपी ने कहा कि वे कृषि के लिए भूमि खरीदने के लिए प्राप्त नकद मुआवजे का उपयोग करेंगे, 3% घर खरीदेंगे, लगभग 5% ने कहा कि वे इसे भविष्य में उपयोग के लिए बैंक में सहेजेंगे, 1% ने जवाब दिया कि वे इसे किसी अन्य व्यवसाय में निवेश करना चाहेंगे, लगभग 1% लोगों ने कहा कि वे अभी तक सुनिश्चित नहीं हैं कि वे प्राप्त मुआवजे का उपयोग कैसे करेंगे।

तालिका 6-11: प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग

प्राप्त प्रतिकर का उपयोग	प्रतिक्रियाओं का %
1. कृषि / आश्रय के लिए भूमि खरीदकर	90%
2. घर खरीदने के लिए	3%
3. बैंक में भविष्य के लिए इसे बचा रहा है	5%
4. इसे किसी अन्य व्यवसाय में निवेश करना	1%
5. तय नहीं	1%
* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण	

7 अर्जन पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण

इस अध्याय में लोक प्रयोजन के मूल्यांकन, कम विस्थापन के विकल्प, न्यूनतम भूमि आवश्यकताओं, व्यवहार्यता और शमन उपायों की सीमा के साथ अंतिम निष्कर्ष प्रकृति और सामाजिक प्रभावों की तीव्रता के साथ चर्चा की गई है। अंत में, अध्याय का उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना और प्रस्तावित अर्जन के अस्थायी समग्र लाभों पर प्रदर्शित करना है और इसकी तुलना परियोजना क्षेत्र के प्रत्यक्ष हितधारकों जैसे परियोजना प्रभावित पंचायतों और निकटवर्ती क्षेत्र में होने वाले प्रभावों से की जाती है, जिससे यह अंतिम सिफारिश के लिये रखा जायगा कि इसे अर्जन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए या नहीं।

7.1 लोक प्रयोजन का आकलन

नई भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण से आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी और इससे बेहतर बुनियादी ढांचा, पर्यटन विकास और रेल संपर्क भी बढ़ेगा। यह परियोजना लंबी अवधि में पीएएफ और आसपास के क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। साथ ही, यह परियोजना आने वाले भविष्य में एक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रीय हित के लिए भी इसके महत्व को दर्शाती है।

यह आगे स्थापित किया जा सकता है कि निजी भूमि का अधिग्रहण करके और इस तरह परियोजना के निर्माण को पूरा करके एक सार्वजनिक उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। यदि परियोजना पूरी हो जाती है, तो यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और यात्रियों को सुगम, तेज और सुरक्षित आवागमन और परिवहन सेवाएं प्रदान करेगी। यदि परियोजना में देरी होती है, तो इससे परियोजना की कुल लागत में वृद्धि होगी, जिसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश सरकार और इसके निवासियों दोनों पर पड़ेगा। यदि परियोजना को रोक दिया जाता है, तो इससे न केवल धन की हानि होगी, बल्कि परियोजना पर अब तक खर्च किए गए संपूर्ण जनशक्ति और संसाधनों की भी बर्बादी होगी। इसलिए, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की सामाजिक लागत और लाभों का आकलन यह मानकर किया गया है कि परियोजना के स्थान या अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा।

7.2 कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता

निजी भूमि की आवश्यकता को कम करने के लिए भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन (तीसरे चरण) की योजना बनाई गई है। रेलवे अधिकारियों के साथ चर्चा के अनुसार, वर्तमान प्रस्तावित लाइन योजना सबसे अच्छी है और इसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।

भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन (वर्तमान चरण) के लिए आवश्यक कुल निजी भूमि 40.45 हेक्टेयर है। अधिग्रहण के तहत आने वाली अधिकांश भूमि या तो कृषि या बागवानी गतिविधियों के लिए उपयोग की जाती है और प्रस्तावित अधिग्रहण से केवल 238 आवासीय संरचनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसलिए निजी भूमि के अधिग्रहण को कम करने के साथ-साथ परियोजना गतिविधियों के कारण न्यूनतम विस्थापन के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

यदि प्रभाव, अगर स्थायी प्रकृति का है तो उसका प्रभाव , निर्माण के बाद के चरण के दौरान भी उसे तरह का होगा जैसा के निर्माण पूर्व या निर्माण चरण के रहता है दूसरी तरफ अस्थायी प्रभाव निर्माण / निर्माण चरण परियोजना चक्र के बाद के चरणों के दौरान तीव्रता में निरंतर कमी दिखाएगा। निर्माण चरण के बाद भी किसी भी प्रभाव को दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में माना जाता है और यदि यह केवल निर्माण चरण के चलने तक रहता है, तो इसे अल्पकालिक प्रभाव माना जाता है।

नीचे दी गई तालिका परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न पहचाने गए प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता को दर्शाती है:

तालिका 7-1: प्रभाव की प्रकृति और तीव्रता

प्रभाव	क्रमांक	प्रभाव की पहचान	परियोजना चक्र का चरण	प्रभाव की प्रकृति	प्रभाव की तीव्रता
सामाजिक		क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवाद	पूर्व निर्माण	अस्थायी	अल्पावधि

		प्रोजेक्ट से लाभान्वित हो रहे लोगों और अप्रभावित रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक विभाजन।		अस्थायी	अल्पावधि
		इन-माइग्रेशन के कारण स्थानीय आवासों की मौजूदा सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर प्रभाव।	निर्माण चरण	अस्थायी	दीर्घकालिक
भूमि / संरचना		कृषि भूमि का नुकसान	निर्माण चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
		PAP के बीच भूमिहीनता		स्थायी	अल्पावधि
		PAP के लिए आश्रय का नुकसान		स्थायी	अल्पावधि
		आम संपत्ति का नुकसान		अस्थायी	अल्पावधि
आजीविका / आय		कृषि आय का नुकसान	निर्माण के पूर्व	स्थायी	दीर्घकालिक
		अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित भूमि पर निर्भर लोगों के लिए आजीविका विकल्प का नुकसान। उदाहरण के लिएकृषि मजदूर :, विक्रेता, आदि।		अस्थायी	अल्पावधि
		प्रवासन के कारण वस्तुओं की बढ़ी हुई खपत स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचा रही है।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीणों और PAPs के लिए नौकरी का अवसर।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		भूमि की कीमतों में वृद्धि	निर्माण और निर्माण के बाद का चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
		प्रतिकर के कारण PAF की वित्तीय स्थिति में अचानक परिवर्तन, उनकी क्रय क्षमता में बदलाव होगा और फंड मिस मैनेजमेंट के-जोखिम को भी बढ़ाएगा।	निर्माण के पूर्व	अस्थायी	अल्पावधि

		स्थानीय ग्रामीणों और प्रवासियों के बीच संभावित विवाद।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि

स्त्रोत: SIA टीम

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है, अधिकांश प्रभाव अस्थायी और अल्पकालिक होते हैं जिन्हें यदि ठीक से कम किया जाए तो कम से कम किया जा सकता है।

7.4 सुझाये गये शमन उपाय की व्यवहार्यता

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के तहत अध्ययन द्वारा सुझाए गए शमन उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है। समग्र रूप से प्रभावित परिवारों, पंचायतों और समुदाय की राय और मांगों के आधार पर और परियोजना के विभिन्न पहलुओं और राज्य सरकार की भागीदारी पर विचार करते हुए, परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं।

भूस्वामियों पर अपेक्षित नकारात्मक प्रभावों में भूमि की हानि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि आदि शामिल हैं। हालांकि, सुझाए गए ढांचागत शमन उपायों का यदि योजनाबद्ध तरीके से पालन किया जाता है, तो इन प्रभावों को लगभग कम से कम किया जाएगा।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से आने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में एक सामान्य आशावाद है जैसे कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि की कीमत, और छोटे और मध्यम व्यापार उद्यमों के लिए बढ़ी हुई गुंजाइश।

संभावित विकल्पों में से सर्वोत्तम उपलब्ध वैकल्पिक स्थल और परियोजना डिजाइन के चयन के कारण भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास को कम किया गया है। वर्तमान प्रस्तावित अधिग्रहण का परियोजना क्षेत्र में पीएएफ और समुदायों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जहां परिवार (समुदाय सहित) संपत्ति खो रहे हैं, आजीविका या संसाधनों को पूरी तरह से मुआवजा और सहायता दी जाएगी ताकि वे सुधार कर सकें, या कम से कम अपनी पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को बहाल कर सकें।
पीएएफ को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्वास सहायता प्रदान की जाएगी, अर्थात कोई भी व्यक्ति या घर या व्यवसाय जो प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन के कारण उनका होगा:
(ए) जीवन स्तर बुरी तरह प्रभावित;

(बी) किसी भी घर में अधिकार, स्वामित्व या हित, या उपयोग करने का अधिकार, परिसर, कृषि और चराई भूमि, वाणिज्यिक संपत्ति, किरायेदारी, या वार्षिक या बारहमासी फसलों और पेड़ों या किसी अन्य अचल या जंगम सहित किसी भी भूमि का अधिकार संपत्ति, अर्जित या कब्जा, अस्थायी या स्थायी रूप से;
(सी) आय अर्जन के अवसर, व्यवसाय, व्यवसाय, कार्य या निवास स्थान या निवास स्थान अस्थायी या स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित; या,
(डी) सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों और संबंधों से प्रभावित या कोई अन्य नुकसान जो पुनर्वास योजना की प्रक्रिया के दौरान पहचाना जा सकता है।

प्रस्तावित परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले, काम करने वाले, व्यवसाय करने वाले और / या खेती करने वाले सभी पीएएफ, खोई हुई संपत्ति की सूची सहित, अपनी खोई हुई संपत्ति (भूमि और गैर-भूमि संपत्ति दोनों) और आय और व्यवसायों की बहाली के लिए आनुपातिक रूप से मुआवजे के हकदार हैं; और उनके पूर्व-परियोजना जीवन स्तर, आय-अर्जन क्षमता और उत्पादन स्तरों को सुधारने या कम से कम बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए पर्याप्त पुनर्वास उपायों के साथ प्रदान किया जाएगा।

पुनर्वास योजनाएँ RTFCTLARR अधिनियम, 2013 और HP RTFCTLARR नियम 2015 और नवीनतम R&R नीति के अनुसार तैयार की जाएंगी।

सहमत कार्यान्वयन अवधि के भीतर भूमि अधिग्रहण (मुआवजे और आय बहाली उपायों सहित) की लागत को कवर करने के लिए परियोजना अधिकारियों द्वारा पर्याप्त बजटीय सहायता पूरी तरह से प्रतिबद्ध और उपलब्ध कराई जाएगी।

पुनर्वास के लिए आवश्यक मुआवजे और अन्य स्वीकार्य सहायता के प्रावधान करने से पहले विस्थापन नहीं होगा। परियोजना निर्माण गतिविधियों से पहले संपत्ति का अधिग्रहण, मुआवजे का भुगतान, और पीएएफ की आजीविका पुनर्वास गतिविधियों का पुनर्वास और शुरू किया जाएगा। आजीविका और आय बहाली के उपाय भी होने चाहिए लेकिन चूंकि इनमें समय लग सकता है, जरूरी नहीं कि निर्माण गतिविधियों से पहले पूरा किया जाए।

यह कहते हुए कि यदि आवश्यक निकाय और राज्य सरकार बड़े पैमाने पर पीएपी और समुदाय के विभिन्न नुकसानों को कम करने के लिए उचित उपाय करती है और राज्य के सकारात्मक विकास और हितों को ध्यान में रखते हुए, परियोजना के लाभ बड़े पैमाने पर परियोजना की प्रतिकूल सामाजिक लागत को कम कर देंगे।

7.4.1 अंतिम सिफारिश

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन का लाभ न केवल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बल्कि पूरे जिले और राज्य को भी मिलेगा. वास्तव में पूरा उत्तरी क्षेत्र इस आगामी परियोजना से लाभान्वित होने वाला है। भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन परियोजना के कार्यान्वयन से क्षेत्र पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यदि प्रस्तावित न्यूनीकरण योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाकर, सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतें कम होंगी।

इसलिए इस परियोजना की वृहद तस्वीर को ध्यान में रखते हुए, जो राज्य और परिणामस्वरूप पूरे देश के विकास के लिए लाभ और योगदान देगी, अध्ययन में सिफारिश की गई है कि भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण किया जाना चाहिए। बशर्ते कि विभिन्न पहचाने गए प्रभावों को कम करने के लिए सुझाए गए सभी उपायों का न्यायिक रूप से पालन किया जाए।

8 सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

8.1 समाघात में कमी करने पर दृष्टीकोण

यह सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP) RFCTLARR अधिनियम, 2013 और HP RTFCTLARR नियम, 2015 के अनुसार नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने और भानुपल्ली -बिलासपुर-बेरी ब्राड गेज रेलवे लाइन के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें शमन, निगरानी और संस्थागत उपायों का एक सेट शामिल है जिसे प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को खत्म करने या उन्हें स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए परियोजना के डिजाइन, निर्माण और परिचालन चरणों के दौरान किए जाने की आवश्यकता है। SIMP को परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान लागू किया जा सकता है अर्थात। निर्माण पूर्व चरण, निर्माण चरण और परिचालन चरण। परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान सुझाए गए विभिन्न प्रबंधन उपायों का विवरण निम्नलिखित अनुभाग में दिया गया है।

8.2 समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय

8.2.1 सामाजिक उपाय

1. यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो पहले इस विवाद को सुलझाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानूनी मालिक को मुआवजा दिया जाए।
2. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों ने बाजार मूल्य से मुआवजे की गणना से पहले सर्किल दरों को अद्यतन और बढ़ाने का अनुरोध किया है।
3. पीएपी और पीएएफ को आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नौकरियां प्रदान की जानी चाहिए

8.2.2 पुनर्वास व् पुनार्व्यवस्थापन के उपाय

उन पीएएफ को उचित मुआवजा प्रदान किया जाना जिनके घरों का अधिग्रहण किया जा रहा है और अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत स्थानांतरण के कारण हुई असुविधा के लिए निर्वाह और परिवहन भत्ता के रूप में अतिरिक्त मुआवजा प्रदान किया जाना है।

8.2.3 पर्यावरणीय उपाय

हालांकि परियोजना में महत्वपूर्ण मिट्टी का क्षरण नहीं हो सकता है, हालांकि, असुरक्षित उत्खनन गतिविधियों से अपवाह के कारण मामूली मिट्टी के कटाव के परिणामस्वरूप मिट्टी का क्षरण हो सकता है, खासकर जब मिट्टी की मिट्टी की क्षरण क्षमता अधिक होती है। शमन उपायों की सावधानीपूर्वक योजना बनाने, काटने और भरने के समय और संचालन और पुनर्जीवन की आवश्यकता है।

उत्खनित सामग्री, ऊपरी मिट्टी और उप-मृदा और अपशिष्ट पदार्थों के डंपिंग से समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं जो निश्चित रूप से सतह और भूजल प्रदूषण का कारण बनेंगी। इसलिए यह प्रस्तावित है कि यदि रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) के लिए एक बैचिंग प्लांट स्थापित किया जाना है तो इसे साइट से दूर मानव बस्तियों से दूर स्थित होना चाहिए। जल और मिट्टी के कटाव के साथ-साथ जल निकायों के प्रदूषण की जांच करने के लिए और जल निकासी नेटवर्क को बरकरार रखने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, जल निकासी नेटवर्क में चेक डैम प्रदान किए जा सकते हैं ताकि कोई रुकावट और बाढ़ न हो।

अत: यह प्रस्तावित है कि जहां भी संभव हो, ऊपर की मिट्टी को डंप नहीं किया जाना चाहिए, इसके बजाय या तो एक तरफ रखा जाना चाहिए और डंपिंग साइट/खनन क्षेत्र (यदि कोई हो) के पुनर्वास में उपयोग किया जाना चाहिए या सीएसआर के तहत आसपास के किसानों को प्रदान किया जाना चाहिए।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि फलदार और गैर फलदार वृक्षों का अधिग्रहण कर लिया गया है और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए काटे जाने की संभावना है। यह प्रस्तावित है कि प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उचित क्षेत्र का चयन संभवतः उन स्थलों के निकट किया जाए जहां पेड़ काटे जाते हैं। ताकि स्थानीय पर्यावरण प्रभाव कम से कम हो या यह परियोजना से पहले जैसा ही बना रहे।

इस निर्माण परियोजना के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रबंधन को स्पष्ट रूप से विकसित किया जाना चाहिए।

निर्माण चरण के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए साइट पर ढोना/कच्चा सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए साथ ही परियोजना स्थल से मुख्य सड़क पर निर्माण/बकवास आदि के साथ प्रवेश करने वाले ट्रकों को ठीक से कवर किया जाना चाहिए ताकि वे उनके आंदोलन के दौरान प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। हॉर्न का प्रयोग कम से कम करने के लिए ड्राइवरों को जागरुकता/सख्त निर्देश जारी किए जाएं। परिवहन वाहनों पर प्रेशर हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध।

8.2.3 अन्य उपाय

1. सर्किल दरों में संशोधन कई पीएपी और पीएएफ को लगता है कि उनकी जमीन की मौजूदा सर्किल दरें बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने सर्किल दरों में संशोधन और वृद्धि करने का अनुरोध

किया है। अधिग्रहण के दायरे में आने वाले गांवों के साथ यह एक प्रमुख चिंता का विषय है। संबंधित अधिकारी इस मुद्दे को देख सकते हैं और संबंधित कानूनों के अनुसार पंचायतों की सर्किल दरों को उचित रूप से संशोधित कर सकते हैं

2. परियोजना के निर्माण चरण के दौरान प्रभावित आबादी (यदि कोई हो) की चिंताओं को दूर करने के लिए परियोजना स्थल पर एक सार्वजनिक निवारण तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

3. प्रस्तावक को एक विस्तार विंग स्थापित करना चाहिए जो आसपास के क्षेत्रों के गांवों के समग्र विकास के लिए नवीन कार्यक्रमों की डिजाइन, योजना और कार्यान्वयन करेगा। यह परियोजना को बाहर के लोगों के साथ एकीकृत करने में सहायक होगा।

4. भूस्वामियों को उचित मुआवजा दिया जाएगा

5. निर्माण सामग्री और कचरे को परिवहन के दौरान ठीक से ढंका जाना चाहिए ताकि रिसाव और फैलाव से बचा जा सके।

6. जागरूकता और वित्तीय साक्षरता शिविर- क्षेत्र में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, सामाजिक अधिकार और वित्तीय प्रबंधन आदि से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम अक्सर आयोजित किए जा सकते हैं। इससे प्रभावित ग्रामीणों को आबादी के विशाल प्रवाह और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के पैटर्न में प्रत्याशित परिवर्तनों से लाए गए सामाजिक परिवर्तनों का सामना करने में मदद मिलेगी।

कई भूमि अर्जन परियोजनाओं में यह देखा गया है कि जब भी परिवारों को भारी मात्रा में धन दिया जाता है, उस धन का उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा न्यायिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है और आम तौर पर विलासिता और अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च किया जाता है और व्यक्ति / परिवारों के खर्च करने के तरीके और जीवन शैली को भी बदलता है। कभी-कभी, इससे समाज में प्रचलित पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का नुकसान भी होता है। कई परिवारों को समग्र रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में पता नहीं है, इसलिए यहां चिंता है कि प्रतिकर के पैसे लंबे समय तक नहीं रहेंगे और अंततः परिवारों के साथ-साथ समाज को भी लंबे समय में प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे।

इसके अलावा, अशिक्षित ग्रामीणों और दुर्बल समूहों के साथ धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के कई मामले हैं, जब उन्हें प्रतिकर मिला है। इसलिए, आवश्यक निकाय विशेष बाहरी एजेंसी की सहायता से प्रभावित परियोजना क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित कर सकते हैं।

8.3 *R&R* में शामिल उपाय और अधिनियम 2013 के अनुरूप मुआवज़ा

यह एसआईए रिपोर्ट आवश्यक निकाय के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने और सार्वजनिक परामर्श और सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई आकांक्षा के अनुसार कार्य योजना तैयार करने के लिए फायदेमंद होगी। अध्ययन के निष्कर्षों के आलोक में अपेक्षित सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

तालिका 8-1: पहचाने गए और संबंधित शमन उपाय

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
1	निजी भूमि का नुकसान (53.19 हेक्टेयर)	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शीर्षक धारकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
2	निजी संपत्तियों के नुकसान के कारण अर्जन जैसे आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएं, सीमा की दीवारें, फसलें, फल असर और गैर-फल वाले पेड़। प्राप्त की जा रही निजी संपत्तियों की सूची तालिका 4.2 और 4.3 में उल्लिखित है	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
	सर्किल दरों का संशोधन	जिला कलेक्टर व् अपेक्षित निकाय के फैसले के अनुसार
3	विस्थापित परिवारों और व्यक्तियों के लिए अर्जन के कारण असुविधा	नए स्थान के निर्माण और नए घरों के निर्माण के लिए RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
4	भूमि पर निर्भर रोजगार / आय / आजीविका का नुकसान।	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों को उचित प्रतिकर। 2) अर्जित निकाय परियोजना के निर्माण और निर्माण के बाद के चरण में इन व्यक्तियों का रोजगार सुनिश्चित कर सकता है जो उनके

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
		कौशल सेट, योग्यता, आयु और मौजूदा आय पर निर्भर करता है। 3) अर्जन करने वाला निकाय परियोजना में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए इन व्यक्तियों के कौशल उन्नयन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला सकता है।. 4) इस परियोजना के परिचालन और अन्य चरणों के दौरान PAP और पफ को और प्रभावित ग्राम पंचायतों के स्थानीय लोगों को निर्माण, आपूर्ति और परिवहन में छोटे अनुबंधों को देने के लिए प्राथमिकता दीजानी चाहिए।
5	आम संसाधनों की हानि जैसे जल संसाधन जिसमें पेयजल संसाधन जैसे स्प्रिंग्स / और बावड़ियां शामिल हैं। चरागाहों / चरागाहों की हानि, जलाऊ लकड़ी के संग्रहण के लिए जंगल।	प्रभावित होने वाली सभी सामान्य संपत्तियों को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित समुदाय की पूर्व सहमति के साथ एक समान / उन्नत विकल्प के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।
6	दुर्बल समूहों पर प्रभाव: सर्वेक्षण से पता चलता है कि 32% महिलाएं HH, 11 तलाक, 192 विधवा, 42 शारीरिक रूप से अक्षम PAP हैं।	1) RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों को उचित प्रतिकर प्रदान करें। 2) इसके अलावा, उन्हें विशेष सहायता प्रदान की जा सकती है जैसे कौशल विकास और आय की बहाली के संदर्भ में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक कमजोर परिवार से कम से कम एक सदस्य। 3) अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रतिकर का संबंधित हिस्सा कमजोर व्यक्तियों

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
		को सीधे हस्तांतरित किया जाए ताकि धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की संभावना से बचा जा सके।
7	खाद्य सुरक्षा और पशुपालन पर प्रभाव: खेती योग्य भूमि और चरागाह के नुकसान से कृषि और पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।	कृषि विभाग को सलाह दी जाती है कि वह प्रभावित परिवारों को बची हुई भूमि या वैकल्पिक भूमि में गहन खेती करने में मदद करे। इसी तरह, उन्हें पशुपालन प्रथाओं को चलाने के लिए सहायता और बढ़ावा दिया जाना चाहिए
8	शोर प्रदूषण और वाहनों का आवागमन	1) स्थानीय लोगों के परामर्श से स्वीकार्य सीमा के भीतर शोर, यातायात, धूल के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए एक प्रबंधन योजना का विकास और कार्यान्वयन, 2) ध्वनि प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है: a) भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटों को परिभाषित करना। b) एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना। c) सींगों के उपयोग को कम करने के लिए ड्राइवरों को सख्त निर्देश। d) परिवहन वाहनों पर दबाव सींगों पर पूर्ण प्रतिबंध। e) सड़कों और यातायात स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन समान रूप से परिवहन वाहनों के समय को डगमगाते हुए।

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
		f) भारी वाहनों के चालकों को सख्त निर्देश देने के लिए छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और गति सीमा का पालन करने के लिए नियमित ओवरटेक करना।
9	वायु प्रदुषण	3) परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, ट्रकों जैसे परिवहन वाहनों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग स्थलों को स्नेहपूर्वक कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित पानी का छिड़काव भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

*स्रोत: टीम *SIA*

8.3.1 SIMP कार्यान्वयन का व्यय

प्रभावित परियोजना के लिए लागू कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में पात्रता ढांचे और पुनर्वास और पुनर्वास की प्रक्रिया नीचे प्रस्तुत की गई है

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुपालन में एक एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स विकसित किया गया है। एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स हानियों के प्रकारों और पात्रताओं की संगत प्रकृति और दायरे को सारांशित करता है।

तालिका 8-2: एंटाइटलमेंट मैट्रिक्स

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
भू मालिकों के परिसम्म्प्ती का नुकसान-				
	निजी भूमि	भूमि मालिक / शीर्षकधारी	बाजार मूल्य पर भूमि के) लिए नकदप्रतिकर, जिसे RFCTLARR अधिनियम,	

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा खोए हुए परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिएप्रतिकर की राशि पर वर्तमान स्टांप शुल्क के बराबर राशि। प्रशिक्षण सहायता गबारहमासी और गैर- (बारहमासी फसलों और पेड़ों के नुकसान की भरपाई बागवानी और कृषि विभागके प्रावधानों के अनुसार लागू की जाएगी। d) 25,000 रुपये का अनुदान पशु शेड या अल्प दुकानों का प्रतिस्थापन।	
	संरचना का नुकसान आवासीय या) वाणिज्यिक या आवासीय-सह- (वाणिज्यिक	भूमि मालिक / शीर्षकधारी	क स्वीकार्य मानदंडों के (अनुसार वर्तमान दरों के आधार परनिर्धारित नकद प्रतिकर (बी रुपये का स्थानांतरण (भत्ता के प्रावधानों के अनुसार 50000 RFCTLARR अधिनियम, 2013 के लिए	

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			विस्थापित परिवार (c) RFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार मुक्त घर का प्रावधान पूरी तरह से विस्थापित आवासीय / वाणिज्यिक या इसके बदले में घर की समान लागत की पेशकश की जा सकती है घर का निर्माण किया (घ विस्थापित परिवारों के (लिए36,000 रुपये का अनुदान भत्ता)RFCTLARR अधिनियम 2013) () विस्थापित परिवारों के लिए ५०,००० रुपये का पुनर्वास भत्ता)RFCTLARR Act 2013)	
	किरायेदारों और पट्टे धारकों	किरायेदारों और पट्टे धारकों	पंजीकृत पट्टियां लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना के मालिक को देय प्रतिकर के एक परिशोधन के लिए हकदार होंगी।	
आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान गैर-शीर्षकधारक -				
	कब्जा करने वालों के	प्रभावित व्यक्ति (व्यक्ति/ परिवार(	(ए (अतिक्रमणकारियों को दिया जाएगा 2 महीने की अग्रिम सूचना	

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			जो परिसंपत्तियों फसलों को / हटाने के लिए। (b) प्रभावित संरचना से बचाव सामग्री का अधिकार	
आजीविका की हानि शीर्षक और गैर-शीर्षकधारक -				
	आजीविका का नुकसान - शीर्षक धारक, कृषि श्रम और वाणिज्यिक बोली	(व्यक्ति/ परिवार(	एक बार का अनुदान 25,000 रु (मान के तहत निर्धारित RFCTLARR अधिनियम 2013)	वाणिज्यिक के लिए स्क्वाटर्स, जनगणना सर्वेक्षण की तारीख से पात्रता होगी
	निर्माण के चरण के दौरान संभावित और अप्रत्याशित प्रभाव की संभावना है	स्वामी, प्रभावित व्यक्ति	यदि कोई हो, तो हर्जाना का भुगतान संरचनाएं अस्थायी पहुंच होगी जहाँ भी आवश्यक हो, प्रदान किया गया	जैसे संरचनाओं पर अस्थायी प्रभाव, पहुंच या मार्ग के लिए अस्थायी व्यवधान
	मोबाइल कियोस्क की आय का अस्थायी नुकसान, यदि कोई हो	कियोस्क मालिक	दो महीने का अग्रिम नोटिस क्षेत्र खाली करें	
	SC, ST		सरकारी मानदंड योजनाओं में शामिल करने के लिए सहायता यदि शामिल नहीं है, तो सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र; और RFCTLARR	

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एससी और एसटी को अतिरिक्त लाभ अनुसूची	
	प्रभावहीन प्रभाव		किसी भी अप्रत्याशित प्रभाव को अधिनियम के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार प्रलेखित और कम किया जाएगा।	

पुनर्स्थापन और पुनर्वास की लागत का विवरण आवश्यक निकाय द्वारा प्रदान किया जाना है और मुआवजे की दरों को अंतिम रूप देने के बाद भुगतान किया जाना है।

8.4 आवश्यक निकाय द्वारा दिए गए उपाय

अपेक्षित निकाय द्वारा कोई उपाय साझा नहीं किया गया है। हालांकि, यह कहा गया था कि इस परियोजना के लिए अलग से आर एंड आर योजना प्रासंगिक कानूनों और नीतियों के अनुसार सरकार के परामर्श से तैयार की जाएगी।

8.5 पुनर्वास और पुनाव्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

अधिनियम 2013 के अनुसार, जहां अधिगृहीत की जाने वाली भूमि 100 एकड़ से अधिक के बराबर है, सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता में एक "पुनर्वास और पुनर्वास समिति" का गठन करेगी। इस समिति का उद्देश्य पुनर्वास और पुन्स्थापन योजनाओं या योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और ग्राम सभा के परामर्श से कार्यान्वयन के बाद के सामाजिक अंकेक्षण को अंजाम देना है।

उसके बाद कार्यान्वयन और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सदस्य निम्नानुसार हो सकते हैं:

1. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का प्रतिनिधि।
2. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली एससी आबादी का एक प्रतिनिधि।
3. क्षेत्र में काम करने वाले एक स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ) का प्रतिनिधि।
4. परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी।

5. प्रभावित क्षेत्र के पंचायत अध्यक्ष या उनके नामित / अध्यक्ष। /
6. संसद सदस्य और असंबद्ध क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य या उनके सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान)
7. आवश्यक शरीर का एक प्रतिनिधि।
8. *R&R* के संयोजक के रूप में प्रशासक।

8.5.1 शिकायत निवारण समिति (G.R.C)

PAF की सहायता के लिए उनकी जिज्ञासाओं और शिकायतों को सुलझाने के लिए कुशल शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाएगा। PAF की शिकायतों को पहले परियोजना के क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा। यदि उनके द्वारा निवारण ना हो तोशिकायतों को शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) में लाया जाएगा। प्रस्तावित जीआरसी की संरचना *R&R* समिति के समान हो सकती है। यह समिति मासिक आधार पर मिल सकती है या राज्य सरकार द्वारा मामले को परिभाषित किया जा सकता है।

G.R.C की मुख्य जिम्मेदारियां हो सकती हैं:

I. भूमि संपत्ति /अर्जन से उत्पन्न समस्याओं पर PAFको सहायता प्रदान करें ;
II. PAF की शिकायतों को रिकॉर्ड करें, शिकायतों को वर्गीकृत करें और प्राथमिकता दें और उन्हें हल करें; तथा,
III. जीआरसी की उनकी शिकायतों और निर्णयों के बारे में घटनाक्रम पर PAF को रिपोर्ट करें।

कानून की अदालत के तहत मालिकाना हक से संबंधित विवादों के अलावा, जीआरसी सभी पुनर्वास लाभों, प्रतिकर, पुनर्वास, प्रतिस्थापन लागत और अन्य सहायता से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करेगी। जब किसी भी शिकायत को क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के पास लाया जाता है, तो उसे शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर हल किया जाना चाहिए। जीआरसी हर महीने (यदि शिकायत समिति के पास लाई जाती है) मिलेंगे, प्रत्येक शिकायत की योग्यता का निर्धारण करेंगे, और शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतों का समाधान करेंगे - जिसे विफल करते हुए, शिकायत को निवारण के लिए उपयुक्त विधि न्यायालय में भेजा जाएगा। प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा: शिकायत का विवरण, शिकायत की तारीख, शिकायत की प्रकृति, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ और इन तारीखों से प्रभावित थे, और अंतिम परिणाम।

8.5.2 शिकायत निवारण के चरण

8.5.2.1 निगरानी और मूल्यांकन

SIMP कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि गतिविधियों को कई एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाना है। मॉनिटरिंग में यह पता लगाने के लिए समय समय पर-जाँच शामिल है कि क्या कार्यक्रम अनुसूचीप्रगति कर रहे हैं, जबकि मूल्यांकन *SIMP* .के प्रदर्शन का आकलन करना है। इस प्रयोजन के लिए, परियोजना अधिकारियों को प्रतिक्रिया देने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन योजना विकसित करने की आवश्यकता है। *R&R* की निगरानी और मूल्यांकन *R&R* उद्देश्यों, रणनीतियों और दृष्टिकोणों की सफलता को प्रतिबिंबित करने और *R&R* गतिविधियों, उनके प्रभाव और स्थिरता के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावकारिता का आकलन करने का अवसर देता है। निगरानी परियोजना प्रभावित कमजोर परिवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, BPL परिवारों, महिलाओं के नेतृत्व वाले घरों, विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे समूहों पर विशेष ध्यान देगी। *SIMP* कार्यान्वयन के मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से एक स्वतंत्र मूल्यांकन भी आवश्यक है।

8.5.2.2 आंतरिक निगरानी

SIMP कार्यान्वयन के लिए आंतरिक निगरानी परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाएगी जहां मुख्य उद्देश्य *SIMP* अनुसूची के खिलाफ प्रगति की रिपोर्ट करना होगा; प्रभावित परिवारों और लोगों को पूर्ण रूप से वितरित पात्र ताकी जाँच करें; *SIMP* कार्यान्वयन से उत्पन्न कि सीभी समस्या, समस्या या कठिनाई की पहचान करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना; शिकायत प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी करें और PAF की संतुष्टि को मापें। आंतरिक निगरानी *SIMP* में परिभाषित कार्यों की अनुसूची के खिलाफ प्रगति को मापने पर ध्यान केंद्रित करेगी। परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में भूमि अर्जन टीम, निर्माण एजेंसियों और परियोजना प्रभावित समुदायों के साथ संपर्क और प्रगति की समीक्षा करना शामिल होगा; *SIMP* के अनुसार पात्रता के विरुद्ध भूमि अर्जन प्रतिकर वितरण का सत्यापन; पीए एफ की आय और जीवनस्तर को बहाल करने के लिए सहमत उपायों के कार्यान्वयन का सत्यापन; पुनर्वास समस्याओं से उत्पन्न किसीभी समस्या, मुद्दे या कठिनाई की पहचान; पुनर्वास प्रभावित परिणामों के साथ परियोजना प्रभावित परिवारों और लोगों की संतुष्टि का आकलन करें; और PAF की शिकायतों का निवारण करने के लिए उस उपयुक्त सुधारात्मक कार्यों का पालन करना। *SIMP* कार्यान्वयन के प्रभारी RVNL के

फील्डस्तर के अधिकारी R&R प्रगति को ट्रैक करेंगे। इस उद्देश्य के लिए, सुझाए गए संकेत नीचे तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 8-7 :*SIMP* प्रगति की निगरानी के लिए संकेतक

1	भौतिक	*अर्जित* भूमि की संख्या, ध्वस्त संरचनाओं की संख्या, परिवारों की संख्या प्रभावित, भूमि खरीदने वाले परिवारों की संख्या और खरीदी गई भूमि की सीमा, PAF की सहायता /प्रतिकरप्राप्त करने की संख्या , प्रदान की गई PAF की संख्या परिवहन सुविधाओं स्थानांतरण भत्ता /, सरकारी भूमि की पहचान की सीमा घर साइटों के लिए, भूमि उपयोगकर्ताओं और निजी संरचना मालिकों की संख्या ने प्रतिकर का भुगतान किया
2	वित्तीय	भूमि संरचना के लिए /प्रतिकरकी राशि , स्थानांतरण के लिए नकद अनुदान, PAF के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भुगतान की गई राशि।
3	सामाजिक	PAF अपने अधिकारों, सांप्रदायिक सद्भाव, रुग्णता और के बारे में ज्ञान रखता है मृत्यु दर, कमजोर आबादी की देखभाल आदि।
4	आर्थिक	हकदार परिवारों को प्रदान की गई नौकरियों की संख्या, व्यवसाय की संख्या फिर से स्थापित, प्रतिकर का उपयोग, घर साइटों व्यापार /साइटों को खरीदा आय बहाली योजनाओं का सफल क्रियान्वयन
5	शिकायत	सामुदायिक स्तर की बैठक की संख्या, शिकायत निवारण बैठकों की संख्या की संख्या, परियोजना अधिकारियों द्वारा संतुष्टि के लिए निपटाए गए मामलों की संख्या, PAF, संबंधित अधिकारियों द्वारा संदर्भित और संबोधित शिकायतों की संख्या

**स्रोत: टीम SIA*

8.5.2.3 स्वतंत्र मूल्यांकन

एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी को निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए परियोजना द्वारा काम पर रखा जा सकता है: (a) आंतरिक निगरानी के परिणामों को सत्यापित करना; (b) मूल्यांकन करें कि क्या पुनर्वास उद्देश्यों को पूरा किया गया है, विशेष रूप से, क्या आजीविका और जीवन स्तर को बहाल किया गया है; (c) पुनर्वास क्षमता, प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता का आकलन; (d) यह पता लगाना कि क्या पुनर्वास पात्रता उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त थी और (तुलना) जीवन स्तर की यह तुलना उपलब्ध आधारभूत जानकारी के संबंध में होगी। SIMP के बाह्य मूल्यांकन में संकेतक के लिए निम्न तालिका को आधार माना जाना चाहिए।

तालिका 8 .8 परियोजना के मूल्यांकन के संकेतक

क्र० सं०	उदेश्य	खतरे	परिणाम
1	परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव कम से कम होगा	पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन में प्रत्याशित से अधिक समय लग सकता है	प्रतिकर की सहायता से भूस्वामियों की संतुष्टि। भूस्वामियों द्वारा प्रतिकर और सहायता के उपयोग का प्रकार प्रतिकर और उत्पीड़न के साथ संरचना के मालिकों की संतुष्टि संरचना मालिकों द्वारा प्रतिकर और सहायता के उपयोग का प्रकार
2	परियोजना के लिए संपत्ति खोने वाले व्यक्तियों और परिवारों को अधिनियम और नियमों के अनुसार प्रतिकर दिया जाएगा	संस्थागत व्यवस्था अपेक्षा के अनुरूप कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है	PAF के प्रतिशत ने केवल आर्थिक गतिविधि के रूप में हासिल किए गए कौशल को अपनाया। PAF के प्रतिशत ने माध्यमिक आर्थिक गतिविधि के रूप में हासिल किए गए कौशल को अपनाया
3	प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को सुधारने में सहायता की जाएगी या उनके जीवन स्तर को पुनः प्राप्त करना	*SIMP* को लागू करने वाले अधिकारी कार्य निष्पादित नहीं कर सकते हैं	PAF के प्रतिशत में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि की सूचना है, PAF के प्रतिशत को उनकी पसंद के कौशल में प्रशिक्षित किया गया कौशल सुधार के लिए चयनकर्ता में PAF की मदद करने में परियोजना अधिकारियों की भूमिका एक समय के

क्र० सं०	उदेश्य	खतरे	परिणाम
		उम्मीद के मुताबिक कुशलता से	आर्थिक पुनर्वास अनुदान के तहत PAF को प्रदान की जाने वाली उत्पादक परिसंपत्तियों का उपयोग
4	दुर्बल समूहों की पहचान की जाएगी और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता की जाएगी	PAF के नीचे गिरने की अप्रत्याशित संख्या में शिकायतें आ सकती हैं उनके मौजूदा जीवन स्तर	दुर्बल समूह द्वारा अतिरिक्त सहायता राशि के उपयोग का प्रकार प्राप्त शिकायतों के प्रकार शिकायत के लिए अग्रेषित शिकायतों की संख्या निवारण समिति (जीआरसी) और हल करने में लगने वाला समय PAF के प्रतिशत के बारे में अवगत कराना जीआरसी तंत्र के बारे में PAF के प्रतिशत को पात्रता के बारे में पता है परियोजना अधिकारियों के दृष्टिकोण और पहुंच के बारे में PAF की राय

* *स्रोत :टीम SIA*

9 निष्कर्ष और सिफ़ारिश

उद्देश्य, अवलोकन और सिफारिशें

आकलन करना कि, क्या प्रस्तावित अधिग्रहण आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है।

अवलोकन:-

• बेहतर परिवहन अवसंरचना के माध्यम से नई भानुपाली-बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन के निर्माण से राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क के साथ जुड़ाव होगा जिससे बाजार संपर्क मजबूत होगा और कृषि और औद्योगिक उत्पादों का तेजी से परिवहन होगा जिससे आने वाले वर्षों में, युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर खुलेंगे। इससे राज्य में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को जोड़ते हुए पर्यटन क्षेत्र में भी वृद्धि होगी।

• बेहतर बाजार संपर्क और थोक परिवहन सुविधा के रूप में परियोजना लंबे समय में पीएएफ और आसपास के क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होगी।

• यह परियोजना आने वाले भविष्य में रणनीतिक उद्देश्यों के लिए लेह की ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास की सेवा के लिए एक प्रवेश द्वार भी होगी जो राष्ट्रीय हित के लिए भी इसके महत्व को दर्शाती है।

• सर्वेक्षण के दौरान, 87% लोगों ने आगामी भानुपाली-बिलासपुर-बेरी बीजी रेलवे लाइन परियोजना या प्रस्तावित अधिग्रहण पर उचित मुआवजा दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की।

• एफजीडी और पंचायतों के साथ परामर्श के दौरान, ग्रामीण और माध्यमिक हितधारक इस धारणा के साथ, परियोजना के प्रति बहुत आशावादी थे कि यह बुनियादी ढांचे के विकास (सामाजिक और भौतिक दोनों) और रोजगार में वृद्धि के मामले में पूरे क्षेत्र में समग्र विकास, व्यवसाय के अवसर लाएगा।

परियोजना निश्चित रूप से भविष्य की राष्ट्रीय रणनीतिक और रक्षा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक दृष्टि है और सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करेगी जबकि यह भी महत्वपूर्ण है कि इस परियोजना के आने से प्रभावित लोगों को अच्छी तरह से मुआवजा और पुनर्वास किया जाएगा। इसलिए, भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण लोगों की चिंताओं को दूर करते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है।

प्रभावित परिवारों का अनुमान और उनमें से विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या।

अवलोकन:-

• 40.54 हेक्टेयर निजी भूमि का प्रस्तावित अधिग्रहण बिलासपुर जिले की 6 पंचायतों के 10 गांवों के 1109 परिवारों को सीधे प्रभावित कर रहा है.

• अधिग्रहीत की जा रही कुल 1109 भूमि धारकों/परिवारों की भूमि में से 136 पीएएफ बेघर हो रहे हैं। अधिकांश पीएपी के पास अतिरिक्त भूमि है (अधिग्रहण किए जा रहे खसरा के अलावा)।
• नोग पंचायत में 2 परिवारों ने प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान बताया है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बाद वे पूरी तरह से भूमिहीन हो जाएंगे।
• बहली बिल्ला गांव में 0.34 **हेक्ट** सरकारी भूमि निजी/सार्वजनिक संस्थाओं के पास पट्टे पर है जहां रेत, पत्थर और बजरी के खनन के लिए खनन कार्य किया जा रहा है। यह खनन कार्यों से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसर को प्रभावित कर सकता है।

3. **प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली संभावित भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपत्तियों की सीमा का आकलन ।**

अवलोकन:-

• चरण 3 के लिए 50.56 हेक्टेयर की आवश्यकता है। 10.02 हेक्टेयर भूमि का। वन/सरकारी भूमि, 0.34 हेक्टेयर सरकारी भूमि अन्य विभाग/व्यक्तियों के साथ पट्टे पर है और 40.54 हेक्टेयर निजी भूमि है।
• बिलासपुर जिले में प्रस्तावित रेल लाइन के (चरण 3) 11 किमी लंबे खंड में कुल 1109 शीर्षक धारक हैं। बीबीबी न्यू बीजी रेलवे लाइन परियोजना के लिए कुल 40.54 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 363 खसरा का अधिग्रहण किया जा रहा है।
• कुल 1109 स्वामित्व धारकों में से 871 (78.5%) स्वामित्व धारक केवल संपत्ति के रूप में भूमि खो रहे हैं जबकि 238 शीर्षकधारक भूमि और संरचना दोनों खो रहे हैं। 136 पीएएफ प्रस्तावित अधिग्रहण से बेघर हो जाएंगे।
• नोग पंचायत में 2 परिवारों ने प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान बताया है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के बाद वे पूरी तरह से भूमिहीन हो जाएंगे
• अधिग्रहीत की जा रही सार्वजनिक संपत्ति में पुलिस थाना, ट्रांसमिशन टॉवर, आंगनवाड़ी, सामुदायिक हॉल, सार्वजनिक शौचालय, भूतपूर्व सैनिक परिवहन संघ कार्यालय आदि शामिल हैं।
• कुल 238 आवासीय ढांचों, 39 व्यावसायिक संरचनाओं, 54 गौशालाओं को निजी संपत्ति के रूप में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। अधिग्रहण के तहत भूमि से जुड़ी अन्य संपत्तियों में कुल 15,174 फलदार पेड़, 35,921 गैर-फल वाले पेड़ हैं।

4. क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम न्यूनतम सीमा है।

अवलोकन:-

• निजी भूमि की आवश्यकता को कम करने के लिए भानुपाली-बिलासपुर-बेरी बीजी रेलवे लाइन संरेखण (तीसरा चरण) की योजना बनाई गई है।

• संरेखण को अंतिम रूप देने के दौरान, डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम), भूवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपग्रह इमेजरी से उत्पन्न व्याख्याओं के बाद परियोजना क्षेत्र के भीतर चार संरेखण विकल्पों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और अंत में कम विस्थापन और भूमि के अधिग्रहण के कारण वर्तमान संरेखण का चयन किया गया था।

• विकल्पों की समीक्षा करने के लिए, RVNL ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की और IIT रुड़की को भी शामिल किया। सभी विकल्पों के गुण-दोष का मूल्यांकन किया गया। तत्पश्चात, निर्माण क्षमता, कम भूमि अधिग्रहण महत्वपूर्ण स्थानों के लिए उचित कनेक्टिविटी और क्षेत्र में अपेक्षित भविष्य के विकास को देखते हुए वर्तमान संरेखण को मंजूरी दी गई थी।

• इस प्रकार, उचित विचार-विमर्श के बाद निजी भूमि के अधिग्रहण को कम करने के साथ-साथ परियोजना गतिविधियों के कारण न्यूनतम विस्थापन के लिए वर्तमान संरेखण का चयन किया गया है।

5. क्या वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

अवलोकन:-

• डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम), भूवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपग्रह इमेजरी से उत्पन्न व्याख्याओं के बाद परियोजना क्षेत्र के भीतर चार संरेखण विकल्पों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, अंत में कम विस्थापन और भूमि के अधिग्रहण के कारण वर्तमान संरेखण का चयन किया गया था।

6. परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, और उन्हें संबोधित करने की प्रकृति और लागत और परियोजना के लाभों की तुलना में परियोजना की समग्र लागत पर इन लागतों के प्रभाव का अध्ययन।

अवलोकन:-

• भानुपाली-बिलासपुर-बेरी न्यू बीजी रेलवे लाइन परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण का आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य और कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणालियों पर और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा।

• बहुत से लोगों को लाभ होता है जबकि कुछ खो देते हैं। अक्सर, कमजोर समूहों के लिए प्रभाव विशेष रूप से गंभीर होते हैं जैसे कि महिला मुखिया वाले परिवार, विधवाएं, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, बीपीएल परिवार, आरक्षित वर्ग के लोग और बुजुर्ग व्यक्ति।

• आम तौर पर स्वामित्व वाली संपत्तियों (वन भूमि, जल निकायों, चरागाह भूमि, मैदान और इसी तरह) तक पहुंच की हानि को अक्सर अनदेखा किया जाता है और क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है, विशेष रूप से कम संपत्ति के लिए क्योंकि उन्हें समुदाय को अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने वाला माना जाता है जिसे परिमाणित नहीं किया जा सकता है . लेकिन इसकी अनुपस्थिति समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में पास प्रदान किए जा सकते हैं ताकि यात्रा दूरी और चराई भूमि, ईंधन और चारा संग्रह क्षेत्रों तक पहुंच कम से कम प्रभावित हो।

• इस परियोजना की सभी लागतों और लाभों का आर्थिक मूल्यांकन कई सीमाओं के कारण संभव नहीं हो सकता है। कई मामलों में, मूल्यों को आरोपित करना पड़ता है और अनुमान कार्य करना पड़ता है। भानुपाली-बिलासपुर-बेरी नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण की लागत और लाभ का अनुमान लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन सहज तर्क से यह उम्मीद की जाती है कि परियोजना से होने वाले लाभ इसकी लागत से कहीं अधिक होंगे और इसलिए यह परियोजना उस पर निर्देशित होने के लिए समय, धन और प्रयास के लायक है और रेलवे,

अर्थव्यवस्था के विकास में एक सार्थक योगदान देगी। बड़ी और राष्ट्रीय रणनीतिक आवश्यकताओं पर।

7. एचपीआरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के फार्म-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल (यदि कोई हो) का सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना।

अवलोकन:-

• स्थानीय हितधारकों ने परियोजना गतिविधियों के लिए आने वाले प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की, जिससे मौजूदा बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों आदि पर दबाव बढ़ रहा है। इससे स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे में ऐसी सुविधाओं को पहले से ही संबोधित करने और मजबूत करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

• हितधारकों ने प्रवास के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना के बारे में भी राय व्यक्त की।

• सामुदायिक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि निर्माण चरण के दौरान उत्पन्न मलबे के वैज्ञानिक निपटान के लिए उचित कचरा डंपिंग स्थलों की पहचान की जाए और क्षमता समाप्त होने के बाद इन साइटों को पार्क के रूप में विकसित किया जाए। मैदान और सामुदायिक गतिविधियों के स्थल ताकि समुदाय का सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण बरकरार रहे, बल्कि उन्नत हो।

8. एचपीआरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के फॉर्म III के अनुसार सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार करना।

अवलोकन:-

एचपीआरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के फॉर्म III के अनुसार सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार कर प्रतिवेदन के अध्याय 8 में रखा गया है।

निष्कर्ष और सिफारिश:-

भानुपाली-बिलासपुर-बेरी बीजी रेल परियोजना इस क्षेत्र को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। यह परियोजना क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक कदम है और लंबे समय में क्षेत्र, राज्य और देश के समग्र विकास में योगदान देगी।

हालांकि, पीएएफ के सामने आने वाली गड़बड़ी के कारण चुनौतियों और समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उचित शमन की आवश्यकता है (इस मामले में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अनुसार मुआवजा)। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और अधिकांश पीएएफ रेलवे लाइन के निर्माण का समर्थन करते हैं बशर्ते उचित मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्वास की उनकी मांगों, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों और संबंधित मुद्दों को सकारात्मक रूप से और समय पर और वैध रूप से हल किया गया हो।

10 सन्दर्भ

- अग्रवाल, (m.n.d) भारत में दुर्बल समूह- स्थिति, योजनाएँ, भारत का संविधान।
- नोटिफिकेशन, भनुपली-बिलासपुर-बेरी बग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट.
- हिमाचल प्रदेश वन मंजूरी: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। (२०१ ९, फरवरी)। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त: http://forestsclearance.nic.in/viewreport.aspx?pid=FP/HP/HYD/31019/2017
- (एन.डी.)। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार।
- फाइनल रिपोर्ट ऑफ़ भनुपली-बिलासपुर-बेरी BG रेलवे लाइन फेज 2 द्वारा ES आर एशिया. (एन.डी.)। हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार।

11 अनुलग्नक